द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ९

२८ नवम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

260 (Ai) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज--(क्रमश:)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमश:)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमश:)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ़जुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री ग्रटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ग्राजमगढ़—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (ग्रडोनी)
वेरावन, श्री ग्र० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
शवनजप्पा, श्री (मंडया)
शवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (ग्रलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री —श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यरह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये प्रविधिज्ञों की आवश्यकतायें

†*२९१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के शेष अंश के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विभिन्न निदेशालयों की प्रविधिज्ञों संबंधी आवश्यकतायें सरकार किस प्रकार पूरी करेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : आयोग के पदाधिकारियों को उच्चतर प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने के वर्तमान तरीके के अलावा उपयुक्त प्रकार की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भर्ती कर उन्हें वर्त्तमान क्षेत्र-दलों में प्रशिक्षित कर लेने का विचार है। हाल ही में तेल के कुओं का छिद्रण करने का प्रशिक्षण देने के लिये ज्वालामुखी में एक प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गयी है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : ज्वालामुखी में तेल और गैस टेक्नालॉजी का प्रशिक्षण देने के लिये जो प्रबन्ध किया गया है क्या उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझा गया है, और यदि नहीं, तो भारत में तेल और गैस टेक्नालॉजी का प्रशिक्षण देने के लिये क्या अतिरिक्त प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के लिये हमें बड़ी संख्या में—लगभग १२००—व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जिनमें भूतत्ववेत्ता, भू-भौतिक शास्त्रज्ञ और छिद्रण कर्मचारी भी शामिल हैं। ज्वालामुखी वाला स्कूल केवल छिद्रण विशेषज्ञों के लिये है; हमने एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम[1] तैयार किया है; इस समय वहां जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वह हमारे तात्कालिक कार्यक्रम के अधीन हैं। वहां स्थान सीमित होने के कारण हमने इस ढंग का प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम बनाया है ताकि हम अपने छिद्रण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Phased Pragramme

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या तृतीय योजना अवधि के लिये गैस और तेल टेक्नालाजी संबंधी टेक्नीशियनों की आवश्यकता का प्राक्कलन कर लिया गया है, और यदि हां, तो यह प्राक्कलन क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तृतीय योजना के लिये टेक्नीशियनों संबंधी कार्यक्रम तैयार करने के लिये पहले हमारे पास उस कार्यक्रम का ही कुछ अनुमान होना चाहिये। इसके लिये कुछ--शायद एक वर्ष उससे भी अधिक--समय लगेगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या उन्हें प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये जत्थों में विदेश भेजा जाता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां। यदि हमें ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता होती है तो हम कुछ लड़कों को बाहर भी भेजते हैं। वास्तव में हमारे यहां के कई लड़के विदेशों में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या यह सच है कि कुछ इंजीनियरिंग कर्मचारी आसाम आयल कम्पनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह आसाम आयल कम्पनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यह कुछ दिन पहले की बात है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : रूमानिया के साथ हुये करार के फलस्वरूप कितने लड़कों को प्रशिक्षण के लिये रूमानिया भेजा जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : रूमानिया भेजे जाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों के दो जत्थे हैं। एक तो हमारी शोधनशाला के लिये है --इनकी संख्या ५०--६० या उससे भी अधिक है। अपने छिद्रण कार्यक्रम के संबंध में हम आगामी तीन चार महीनों में लगभग दो दर्जन व्यक्तियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस आयोग के अधीन जो विभिन्न निदेशालय अभी पूर्णतः अस्थायी हैं क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् उन्हें स्थायी घोषित कर दिया जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पदाली का स्थायी होना कार्य के स्थायी होने पर निर्भर है। हमें आशा है के तेल की खोज के कार्यक्रम में हमारी प्रगति काफी अच्छी है, और जब इस सम्पूर्ण कार्यक्रम को स्थायी बनाया जायेगा तो टेकनीशियनों को भी स्थायी आधार पर रखा जायगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अखिल भारतीय पैट्रालियम संस्था बनाने का कार्यक्रम इस समय किस अवस्था में है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी हम अखिल भारतीय पैट्रोलियम संस्था बनाने के किसी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी विभिन्न संस्थायें हैं जिनमें अपेक्षित प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार देश में छिद्रण करने वालों के लिए एक प्रशिक्षण संस्था आरम्भ करने वाली है, और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संस्था को रखने के लिये कोई स्थान पसन्द कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम ज्वालामुखी में एक छिद्रण केन्द्र आरम्भ कर चुके हैं। वहां लगभग ४० लड़के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; कुछ छिद्रण-स्थल पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सैद्धान्तिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार जैसे जैसे हमारी आवश्यकतायें और बढ़ती जायेंगी वैसे वैसे हमें अधिक लड़कों को भर्ती करना पड़ेगा और शायद कैम्बे में भी एक स्कूल की स्थापना करनी पड़े।

†**श्री रंगा** : क्या इस बात की व्यवस्था के लिये सरकार की कोई योजना है कि आसाम आयल कम्पनी हमारे युवकों को हर वर्ष बाकायदा ढंग से प्रशिक्षण देती है या नहीं। कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने बताया था कि हमें कुल लोगों को प्रशिक्षित कराना था, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दुर्भाग्यवश, मुझे यह कहना पड़ेगा, आसाम ऑयल कम्पनी में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये अपने लड़कों को भेजने का हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि वे अपना अधिकांश कार्य ठेके पर करते हैं और उनका लक्ष्य हमारे लड़कों को प्रशिक्षण देने से अधिक काम को समय के भीतर पूरा कर लेने का होता है इसलिये वे कहते हैं कि इसमें उन्हें अधिक समय लग जाता है । यह काम अब हम अपनी ही व्यवस्था के अन्तर्गत ज्यादा बाकायदा ढंग से आरम्भ कर रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या इंडियन स्कूल आफ माइन्स में तेल टेक्नालॉजी का प्रशिक्षण देने के लिये हाल ही में एक नया विभाग खोला गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, तेल की खोज संबंधी कुछ कार्यों के बारे में।

बच्चों का अपहरण

†**२९२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का पता लगाने के लिये मौजूदा कानूनों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है कि बच्चों के अपहरण और बच्चों का शरीर विकृत कर देने की समस्या का सामना करने के लिये वह पर्याप्त हैं या नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : इस संबंध में भारत सरकार ने जो अस्थायी निष्कर्ष निकाले हैं उन पर राज्य सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कितने राज्यों ने अपने विचार भेजे हैं और कितनों ने नहीं भेजे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कुछ संघ-राज्य-क्षेत्रों ने तो अपने टिप्पण और उत्तर भेज दिये हैं लेकिन राज्य सरकारों में से किसी ने अपने विचार नहीं भेजे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस मामले में भारतीय बाल-कल्याण परिषद् जैसी समाज-कल्याण संस्थाओं की राय ली जायगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी नहीं। उनको निर्देश किया गया है ; यदि न किया गया होगा तो हम अब कर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि जापान आदि पड़ोसी देशों में बच्चों के अपहरण की कोई समस्या नहीं है और क्या इस बात का पता लगाना मंत्रालय के लिये संभव होगा कि वे किस प्रकार इस सामाजिक व्याधि से छटकारा पा सकें ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के पास कई प्रस्ताव भेजे हैं और उनमें भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने की बात भी है और कई प्रशासनिक कार्यवाहियां सुझाई गई हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार को पता है कि बच्चे उठा ले जाने वाले के संदेह में जयपुर में पिछले महीने में एक निर्दोष साधू को जीवित जला दिया गया, और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में क्या संरक्षण दिया जायगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे इस बात का खेद है कि एक निर्दोष साधु की हत्या कर दी गयी है।

†**डा० सुशीला नायर** : मेरा ख्याल है कि बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिये एक व्यापक अधिनियम बनाने की आवश्यकता का बार-बार उल्लेख किया गया है। क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्यवाही की है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वह बम्बई के बाल अधिनियम को, जो सबसे प्रगतिशील प्रतीत होता है, अपना लें, और एक विधेयक संसद् में भी पुरःस्थापित होने वाला है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम मंत्री महोदय की बात नहीं सुन पाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय कृपया पूरी सभा को संबोधन कर अपनी बात कहें। माइक्रोफोन इस ढंग से लगाये गये हैं कि यदि वे अध्यक्ष पीठ की ओर मुंह करके बात नहीं कहेंगे तो उनकी बात पूरी सभा में सुनायी नहीं पड़ेगी।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे इसके लिये खेद है। यह प्रश्न एक महिला सदस्य ने पूछा था। इसलिये मैंने सोचा कि मैं उनकी ओर मुखातिब हो जाऊं।

†**श्री तंगामणि** : उचित विधान बनाने के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे सरकार को तीन महीने हो चुके हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल कुछ ही राज्यों की सरकारों ने उसका उत्तर दिया है। क्या इन निष्कर्षों के आधार पर यहीं एक उपयुक्त विधान पुरःस्थापित किया जायगा या सभी राज्य सरकारों के पास एक आदर्श विधान का नमूना भेज दिया जायगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह विधान तो यहां पारित किया जायगा, लेकिन इस विषय के समवर्त्ती सूची में होने के कारण विधान आरम्भ करने से पहले राज्य सरकारों की राय जानना आवश्यक है।

†**डा० सुशीला नायर** : मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकारों को बम्बई वाल अधिनियम को, जो आज कल सब से आधुनिक प्रकार का है, लागू करने की सलाह दी गयी है। क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने संघ-राज्य-क्षेत्रों में इस आधुनिक अधिनियम को लागू किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने निवेदन किया था कि हम स्वयं यहां अपना एक विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं जो, हमें आशा है, शीघ्र ही अधिनियम बन जायेगा।

†**डा० सुशीला नायर** : दिल्ली में जो अधिनियम लागू किया गया है वह है १९२१ का बम्बई बाल-अधिनियम। इसके बाद से उसमें दो पुनरीक्षण हो चुके हैं। बार बार अनुरोध करने पर भी सबसे नये अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। क्या इसका कोई कारण है?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि इसमें शायद कुछ वैधानिक कठिनाइयां हैं। इसलिये हमने संसद् में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है, जो यदि, सब कुछ ठीक से चला तो, चालू सत्र में नहीं तो देर से देर बजट सत्र में तो अवश्य ही स्वीकृत हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस प्रकार के उन व्यक्तियों को, जिन पर यह अपराध सिद्ध हो चुका हैं, सरे आम कोड़े मारने का कोई प्रस्ताव है?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी नहीं। हमने कोड़े मारने की सजा बिल्कुल समाप्त कर दी है।

पंजाब में स्थानीय निकायों के स्कूल

†*२९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से राज्य के स्थानीय निकायों के स्कूलों का प्रान्तीयकरण करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये धन देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना धन मांगा गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) स्थानीय निकायों के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण करने की एक योजना प्राप्त हुई है।

(ख) १९५८–५९ में केन्द्रीय सहायता के रूप में ६२ लाख रुपये।

(ग) राज्य सरकार को यह सलाह दी गयी है कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये वह इस योजना को अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लें।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इन अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये अब तक कुछ सहायता दी गयी है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५७–५८ में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने की योजना के अधीन १६,७५,५०० रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी थी।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार की प्रार्थना किसी अन्य राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के समक्ष भेजी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो पंजाब के सम्बन्ध में है। यदि माननीय सदस्य दूसरी रियासतों के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** क्या मैं जान सकता हूं कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक दुर्व्यवस्था को देखते हुए केन्द्रीय सरकार उन के राज्यीकरण के सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार कर रही है?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो इस प्रश्न से नहीं निकलता है। इसका नोटिस चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी है कि विभिन्न राज्य-क्षेत्रों के स्थानीय निकायों वाले स्कूलों का वह प्रान्तीयकरण कर लें?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सभी राज्य सरकारों को कोई सामान्य सलाह नहीं दी गयी है। लेकिन जब भी कुछ विशिष्ट प्रस्ताव दिये जाते हैं तब केन्द्रीय सरकार उन पर विचार अवश्य करती है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्[1]

+

†*२९४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के भवन के निर्माण के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनका अनुमोदन कर दिया है ;

(ग) क्या भवन के लिये स्थान का भी अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) से (घ). नक्शों का तो सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है लेकिन ब्यौरेवार प्राक्कलनों का अनुमोदन होना अभी शेष है। यह भवन नयी दिल्ली की इन्द्रप्रस्थ बस्ती में बनेगा और भारत के राष्ट्रपति ने ११ नवम्बर, १९५८ को इसका शिलान्यास कर दिया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि वचत कार्यवाही के रूप में मूल प्राक्कलनों में कमी कर दी गयी है। यदि हां, तो कितनी कमी की गयी है?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह सच है कि ८·२ लाख रुपयों के मूल प्राक्कलन को घटा कर ७·२ लाख रुपये कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Council for Cultural Relations.

सेठ गोविन्द दास : क्योंकि यह इमारत एक सांस्कृतिक इमारत बन रही है, इस लिए क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस का मानचित्र ऐसा बनाया जाय, जिस के देखने से भारतीय संस्कृति का भी कुछ प्रभाव मन पर पड़े ?

श्री हुमायून् कबिर : जी हां।

सेठ गोविन्द दास : इस के सम्बन्ध में किस किस से राय ली गई है ?

श्री हुमायून् कबिर : जो आर्किटेक्ट्स हैं, उन का नाम है कानविंदे एण्ड राय।

†**श्री स० चं० सामन्त :** मंत्री महोदय ने कहा है कि यह भवन दिल्ली में बनेगा। राष्ट्रीय प्रयोगशाला में इस परिषद् के लिये जो स्थान उपलब्ध होगा क्या उसकी उपयुक्तता के विषय में विचार कर लिया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया। क्या माननीय सदस्य का सुझाव है कि इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रखा जाये ?

†**श्री रंगा :** राष्ट्रीय पुस्तकालय में।

†**श्री स० चं० सामन्त :** जो अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा उसका उपयोग किया जा सकता है।

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि यह राष्ट्रीय प्रयोग शाला के विषय में है तो कौन सी राष्ट्रीय प्रयोगशाला ? यदि यह राष्ट्रीय पुस्तकालय के विषय में है तो इस नाम का कोई भवन ही नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई प्राथमिकता-प्राप्त महत्वपूर्ण निर्माण योजनाओं को धन की कमी के कारण स्थगित कर देना पड़ा था, क्या इस प्रकार के भवनों के निर्माण की योजनायें अब भी चालू रहेंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह तो अपनी अपनी राय की बात है। माननीय सदस्या की दृष्टि में संस्कृति का कुछ भी उपयोग भले ही न हो, अन्य लोगों की दृष्टि से तो हो सकता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** श्रीमान्, यह कैसा उत्तर है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जाना चाहिये।

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह अपनी-अपनी राय की बात है कि कौन सी चीज़ महत्व-पूर्ण है, कौन सी नहीं। मैं भारत के सांस्कृतिक संगठन के केन्द्रीय प्रधान कार्यालय के भवन को बड़ी ऊंची प्राथमिकता देता हूं। यह तो अपनी अपनी राय की बात है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति शान्ति। इससे कोई इंकार नहीं करता, लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि माननीय सदस्या हमारी संस्कृति से भलीभांति अवगत नहीं है।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं उत्तर का वह अंश वापस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्रियों को कुछ अधिक सहनशील होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** मंत्री महोदय ने बताया है कि वास्तुशिल्पी कानविन्दे एण्ड राय की फर्म को ठेका दिया गया है। वह कौन सी विशेष परिस्थितियां थी जिनमें नक्शे तैयार करने की योजनायें वास्तुशिल्पियों की उस फर्म-विशेष को दिये गये थे और नक्शे बनाने का कार्य केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग से संलग्न वास्तुशिल्पियों को नहीं दिया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस मसले पर कई वर्ष पहले विचार किया गया था और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से ही यह ठेका कानविन्दे एण्ड राय को दिया गया था।

जीवन बीमा निगम को नीति संबंधी निदेश

†*२९५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम को कोई नीति संबंधी निदेश दिया हैं, और यदि हां, तो क्या ; और

(ख) इस निदेश का प्रयोजन क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). सरकार ने इन प्रयोजनों के लिये अब तक दो निदेश दिये हैं :—

(१) कि मूंदड़ा-सौदे के संबंध में श्री एल० एस० वैद्यनाथन के बारे में जांच बोस जांच बोर्ड के सुपुर्द कर दी जाय ; और

(२) कि इलाहाबाद के उच्चन्यायालय से यह प्रार्थना की जाय कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन और बेग सदरलैण्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विनियमन और संचालन के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर दिया जाय और एक व्यादेश[1] जारी कर दिया जाय ताकि भूतपूर्व प्रबन्धकों को इन कम्पनियों के कार्य-संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने से रोका जा सके।

इन दोनों निदेशों को जीवन बीमा निगम ने क्रियान्वित कर दिया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** छागला जांच आयोग की सिफारिशों और निष्कर्षों का ध्यान रखते हुए इस निगम के प्रशासन और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कुछ कार्य-वाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह निगम का कार्य स्वतंत्र रूप से चलाने और प्रशासन सुचारू रूप से चलाने की बात सुनिश्चित कर लेने के लिये नीति सम्बन्धी निदेशों का प्रश्न है। क्या इस संबंध में कोई निदेश जारी किये गये हैं। और कुछ कार्यवाही की गयी है।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक माननीय सदस्य के प्रयोजन का संबंध है, इस विषय पर उन दो निदेशों के अलावा जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, अब तक और कोई निदेश नहीं निकाला गया है।

†**श्री विमल घोष :** जहां तक नीति संबंधी निदेश की दूसरी मद का संबंध है, उसमें कौन सी नीति निहित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Injunction.

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका संबंध विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति से है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।

†**श्री प्रभात कार** : क्या कर्मचारियों को बोनस देने के विषय में जीवन बीमा निगम को कोई निदेश दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह पिछले वर्ष दिया गया था और इस में कहा गया था कि सरकार ने जिस क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर लिया है उस में कुछ भी बोनस नहीं दिया जायेगा।

†**श्री विमल घोष** : उप मंत्री महोदय ने एक नीति बतायी है और मंत्री महोदय ने दूसरी ही निदेशक नीति बताई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं। माननीय सदस्य को मैं तीन प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं। मैं ने उन की ओर देखा भी था; वह बैठ गये थे इस लिये मैं ने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारा था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे खेद है कि मुझे देखा न जा सका।

छागला जांच आयोग ने निगम प्रशासन और कार्य के विषय में कुछ बड़ी सख्त बातें कही थीं क्या सरकार उन्हें बिना महत्व का समझती है। और क्या वह इन बातों का ध्यान रखते हुए कोई कार्यवाही करना या हिदायतें जारी करना आवश्यक नहीं समझती ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला। इस सभा में इस मसले पर चर्चा हुई थी और स्वयं प्रधान मंत्री ने इस के बारे में सरकार के विचार बताये थे।

†**श्री रंगा** : मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने के काफी अवसर दिये गये थे।

मिट्टी हटाने के उपकरणों का निर्माण

*†२९६. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री उ० च० पटनायक :
श्री संगण्णा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्रीरघुरामैया)** : (क) और (ख) भारत के युद्ध सामग्री कारखानों में मिट्टी हटाने के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है। अभी प्रतिरक्षा कारखानों में ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ करने का विचार है। ये ट्रैक्टर श्रेणी १, श्रेणी २, और श्रेणी ४ के होंगे।

इन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये ९ सितम्बर, १९५८ को टोकियो की मेसर्स कोमात्सु मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के साथ करार हुआ है। इन ट्रैक्टरों का निर्माण १९५९ और १९६२ के बीच करने का विचार है।

इन जापानी ट्रैक्टरों के भाव इसी प्रकार अन्य स्थानों पर उपलब्ध होने वाले ट्रैक्टरों की अपेक्षा अधिक अनुकूल और सस्ते हैं। केवल मजूरी देशनांक और इस्पात के भावों के अनुसार होने वाले उतार चढ़ाव के अधीन रहते हुए निश्चित मूल्यों की गारंटी दी गयी है।

हमारी सेना ने निर्माताओं द्वारा दी गयी विवरणी के आधार पर इन ट्रैक्टरों को स्वीकार कर लिया है। फर्म ने यह गारंटी दी है कि यह विवरणी के अनुसार कार्य करेंगे।

प्रतिरक्षा इंजिनियरों का एक दल जापान गया था और उस ने तीनों श्रेणियों के ट्रैक्टरों की परीक्षा सफल होने की सूचना दी है।

यह बात तय हो गयी है कि इस करार के अधीन जो ट्रैक्टर और अन्य सामान बनाये जायेंगे हम परस्पर सहमति से तय की गयी रायल्टी अदा करने के बाद, उसका किसी भी देश को निर्यात करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

यह अनुमान है कि इस करार के अधीन ट्रैक्टरों के निर्माण से विदेशी मुद्राओं की काफी बचत हो जायेगी—संभव है कि यह आगामी चार वर्षों में ११० लाख रुपयों के बराबर हो जाय।

†**श्री बहादुर सिंह** : इन फैक्ट्रियों की स्थापना में कितना व्यय होगा और ये किन किन स्थानों में स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री रघुरामैया** : हमारे युद्ध सामग्री कारखानों में ऐसी काफी मशीनें मौजूद हैं जिन का इस के लिये उपयोग किया जा सकता है। कुछ विशेष मशीनों का हमें आयात करना पड़ेगा—बस—सब मशीनों का नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आयात की जाने वाली मशीनों की कीमत जानना चाहते हैं।

†**श्री रघुरामैया** : लगभग ४० लाख रुपये है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह फर्म ट्रैक्टरों के लिये सरकारी ऐप्रूड लिस्ट (अनुमोदित सूची) में है ?

†**श्री रघुरामैया** : ये क्रालर ट्रैक्टर कहलाते हैं। सेना इन ट्रैक्टरों का उपयोग करती रही है—वह जापान के बने हुए नहीं थे लेकिन उस प्रकार के क्रालर ट्रैक्टर थे जिन के इस देश में निर्माण में जापानी लोग सहायता करने वाले हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस फर्म ने स्पेन सरकार को ट्रैक्टरों का संभरण किया था और वे असन्तोषप्रद पाये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : इस समय उस के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे विशेषज्ञों ने वहां जा कर इस बात का संतोष कर लिया है वह अपेक्षित कार्य पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मादनीय सदस्यों को इतनी जल्दी क्यों है ?

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या ऊसर के खर्च को भी उत्पादन लागत में शामिल कर लिया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : यह ब्यौरे की बात है जिस का हिसाब उत्पादन आरम्भ होने के बाद लगाया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले उन माननीय सदस्यों का नाम पुकारूंगा जिन्हों ने यह प्रश्न पूछा है। श्री रघुनाथ सिंह ।

†**श्री रघुराथ सिंह**: क्या यह सच है कि यह दल करार पर हस्ताक्षर होने के बाद जापान भेजा गया था ?

†**श्री रघुरामैया** : जी, हां ।

†**श्री राघुनाथ सिंह** : इसे पहले क्यों नहीं भेजा गया ?

†**श्री रघुरामैया** : पहली बात तो यह है कि एक अमरीकन फर्म–इन्टरनेशनल हार्वेस्टर्स के साथ एक करार हो चुका था जो अमरीकी प्रधान कार्यालय द्वारा पुष्टि के अधीन था। वह पीछे हट गये और हम ने यह विचार किया कि बात चीत को लम्बा करते जाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो भी हो, जापानी फर्म ने हमें विवरणी दे दी, सेना ने उस विवरणी का अनुमोदन कर दिया है। उस के अलावा जापानी फर्म ने पर्याप्त कार्य के सम्बन्ध में हमें गारंटी दी है। इसलिये हम ने करार कर लेना ही अच्छा समझा ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : इस प्रकार की फर्मों के अपने पुराने अनुभवों का ध्यान रखते हुए क्या इस फर्म के इतिहास और क्षमताओं का पता लगा लिया गया था और क्या कृषि और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालयों की राय ले ली गयी थी ?

†**श्री रघुरामैया** : वास्तव में, यह करार करने से पहले हम ने विश्व भर के देशों से टेंडर मांगे थे और केवल दो कम्पनियां निर्माण में हमारी सहायता करने के लिये तैयार हुई थीं। इन में से एक इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स है और दूसरी ब्रिटेन की मार्शल एण्ड कम्पनी है। दूसरी कम्पनी ने प्रथम श्रेणी के टाइप के ट्रैक्टर नहीं बनाये थे जिनकी सेना को आवश्यकता है। इसलिये हमारे पास केवल इंटरनेशनल हार्वेस्टर ही रह गये और उन्होंने भी इन्कार कर दिया इसलिये हम इस के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे ।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न का उत्तर यह नहीं है। पूछा यह गया था कि क्या अन्य मंत्रालयों से परामर्श किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को बैठे बिठाये प्रश्न नहीं पूछने चाहियें।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि ऐसे उपकरण तैयार करने के लिये युद्ध सामग्री कारखानों और एक भारतीय समवाय—वोल्टास लिमिटेड में कोई करार पहले से किया गया था और यदि हां, तो क्या वह करार रद्द कर दिया गया है और वह कब रद्द किया गया ?

†**श्री रघुरामैया** : मुझे किसी ऐसे करार के बारे में जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था ?

†**श्री उ० च० पटनायक** : प्रश्न यह था कि यह सौदा करने से पूर्व सिंचाई मंत्रालय, जिस में केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ मिट्टी हटाने की भारी मशीनें आदि के बारे में कार्यवाही करता है और सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, जो ऐसी भारी मशीनें प्रयोग करता है, से परामर्श किया गया था।

†**श्री रघुरामैया** : क्रालर प्रकार के ट्रैक्टर सिंचाई मंत्रालय के काम में नहीं आते। सिंचाई के लिये पहिये वाले ट्रैक्टर ही इस्तेमाल होते हैं। फिर भी .....

†**श्री उ० च० पटनायक**: केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के पास केटरपिलर हैं, जो क्रालर टाइप के ट्रैक्टर हैं ।

†**श्री रघुरामैया** : मुख्यतः इस का सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से था और हम ने यह करार करने से पूर्व उन से परामर्श कर लिया था।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या मिट्टी को हटाने वाली मशीनें किसी एक युद्ध सामग्री कारखाने में बनाई जायेंगी या कि बहुत से कारखानों में और यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं सब देख कर यह जानकारी दे सकता हूं ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : इस सौदे में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

†**श्री रघुरामैया** : वस्तुतः इस योजना से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। लगभग तीन या चार वर्ष में हम ११० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न पूछा गया था कि हमें कितनी मशीनरी का आयात करना पड़ेगा। मैं ने उत्तर में ४० लाख रुपये का अनुमान बताया था। वस्तुतः मशीनों के आयात पर उतना ही खर्च होगा जितनी हमारी बचत होगी।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ दल करार पर हस्ताक्षर करने के बाद चला गया था। करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद दल को भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब जापानी समवाय ने यह करार किया था तब उन्हींने यह आश्वासन दिया था कि यहां होने वाला उत्पादन और भेजा गया माल सन्तोषजनक होगा। उनके साथ करार न करने की कोई वजह नहीं थी। हम उनके काम को महत्व दिये बिना ही करार नहीं कर रहे थे और फिर इंटरनेशनल हार्वेस्टर्स के वायदे से फिर जाने के कारण पहले ही काफी समय नष्ट हो चुका था और हम नहीं चाहते थे कि पहले जो कुछ हो चुका है उसकी पुनरावृत्ति हो। इसलिये हमने तुरन्त एक करार कर लिया और यह देखने के लिये एक दल को भेज दिया कि उनकी क्षमता पर्याप्त है या नहीं ।

†**श्री गोरे** : संविदा हो जाने के बाद इन विशेषज्ञों को जापान में क्या करना था ? संविदा तो हो चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : संविदा इस शर्त पर की गई थी कि वह सन्तोषजनक कार्य करेंगे और विशेषज्ञ दल यही देखने गया था कि क्या उस समवाय में सन्तोषजनक रूप से कार्य करने की क्षमता है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इंटरनेशनल हार्वेस्टर्स अपने वायदे से क्यों फिर गये ?

†**श्री रघुरामैया** : यह तो स्वयं मुझे भी मालूम नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस करार में अलग पुर्जे बनाने के बारे में कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां तो इस समवाय को कितने प्रतिशत स्वामिस्व दिया जाना है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं स्वामिस्व की प्रतिशतता नहीं बता सकता ।

†**श्री त्यागी** : क्यों ? क्या इसमें कुछ गोलमाल है ?

†**श्री रघुरामैया**: क्षमा कीजिये मैंने इसे गलत समझा । २४ सितम्बर, १९५८ के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में हम बता चुके हैं कि स्वामिस्व की दर २ प्रतिशत है ।

धान की भूसी का उपयोग

†२९७. **श्री पद्म देव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का जापान की तरह धान की भूसी का उपयोग करने के लिये एक उद्योग आरम्भ करने का विचार है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : चावल की मिल के इलाके में जो चावल का छिलका मिलता है उस में से अलकोहल के जरिये तेल निकालने के लिये मैसूर में १० टन का एक प्लांट लगाने का प्रस्ताव पर सी० एस० आई० आर० विचार कर रही है । धान के भूसे से एक्टीवेटिड कार्बन बनाने का काम भी भारत में दो वर्ष से हो रहा है ।

श्री पद्म देव : "इण्डिया १९५८" प्रदर्शनी में जो धान के छिलके से खांड और तेल निकालने का प्रदर्शन किया गया है, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतला सकेंगे कि उस को देश के लिये क्या आर्थिक उपयोगिता होगी ?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने अभी बताया कि जो चावल का छिलका है उससे तेल निकालने की कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि वह जो वैजिटेबिल आयल्स हैं उनके डिस्क्लराइजेशन यानी वर्ण निरोध करने में फायदा होगा । इसमें एक और बात भी है कि अभी जो करीब ३०० टन के ऐक्टिवाइज्ड कार्बन की मांग है उसको अगर हम खुद पूरा कर सकेंगे तो उस से फारेन एक्सचेंज में बचत की जा सकेगी ।

श्री पद्म देव : क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये बाहर से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं और उन को कार्यों में नियुक्त किया गया है ?

श्री हुमायूंन्कबीर : बाहर से विशेषज्ञ बुलाने की कोई दरकार नहीं है । हमारे ही विशेषज्ञों ने यह काम पूरा कर दिया ।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह एक अलग यूनिट होगा या कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था का ही एक अंग होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था में ही आरम्भ हुआ था परन्तु अब यह काम त्रिचनापली में विजय कैमीकल वर्क्स, दि नर्बदा वैल्ली कारपोरेशन, बम्बई और शायद हैदराबाद की रिजनल रिसर्च लेबारेटरी में भी किया जा रहा है। मैंने 'शायद' इसलिये कि मुझे दो सूचनायें मिली हैं।

†**श्री व० प० नायर :** माननीय मंत्री के कथन से मैं यह समझा हूं कि चोकर और चावल के भूसे से एक ही प्रकार का तेल निकाला जाता है।

†**एक माननीय सदस्य :** भूसा और चोकर अलग-अलग वस्तुयें हैं।

†**श्री व० प० नायर :** हमने यह तो सुना है कि चावल के चोकर से तेल निकाला जाता है परन्तु भूसे से नहीं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या भूसे से भी तेल निकालने का तरीका ईजाद किया गया है।

†**श्री हुमायून् कबिर :** भूसे से 'ऐक्टीवेटिड कार्बन' प्राप्त होता है जो एक अलग वस्तु है।

†**श्री व० प० नायर :** क्या कुटीर उद्योग के तौर पर बड़े पैमाने पर 'ऐक्टीवेटिड कार्बन' तैयार किया जाने लगा है और क्या आवश्यक टैक्नीकल जानकारी दी जायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** तीन स्थानों पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। कुल क्षमता ५०० टन है परन्तु हम प्रति वर्ष १५० टन का उत्पादन करते हैं ?

†**श्री आचार :** हाल ही में जो कारखाना चालू किया गया है उस पर कितनी लागत आई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** दस टन के यूनिट पर ५,२५,००० रुपये की पूंजी लागत का अनुमान है।

जीपों के सौदे संबंधी मुकदमा

†*२९८. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जीपों के सौदे के बारे में ब्रिटेन में जो मुकदमा किया हुआ है क्या उसकी सुनवाई की कोई तिथि निश्चित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तिथि कौनसी है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) और (ख) मुकदमे की सुनवाई के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है।

†**श्री उ० च० पटनायक :** जैसा कि २२ अगस्त और २४ अगस्त, १९५८ के समाचारपत्रों में भी कहा गया है, क्या यह सच है कि भारत सरकार यह सोच रही है कि अदालतों में छीछालेदर करनेकी बजाय अदालत से बाहर ही निर्णय कर लिया जाय ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह तो समाचार पत्रों का संवाद है। इस बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मामला अभी अदालत में है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मामला अभी अदालत में है इसलिये माननीय सदस्य ऐसे शब्द इस्तेमाल न करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं तो यहां के समाचारपत्रों के संवाद के बारे में कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समाचारपत्रों में तो बहुत कुछ कहा जाता है; परन्तु वह सब मैं यहां नहीं कहने दूंगा । यह प्रश्न तिथि के बारे में था । माननीय सदस्य ने यह भी पूछ लिया कि क्या समझौता किया जा रहा है और साथ ही छीछालेदर का भी आरोप लगा दिया । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : समाचारपत्रों में यही कहा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका यह अर्थ नहीं कि माननीय सदस्य अखबारी बातों को तोते की तरह रट कर उन्हें यहां दोहरायें । जो मुकदमा अदालत में है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : आपने 'तोते की तरह रटना' शब्दों का प्रयोग किया है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है; यह 'तोते की तरह रटना' न सही परन्तु उनके शब्दों को दोहराना तो है ।

†**श्री गोरे** : प्रश्न का अभिप्राय यह था कि क्या इस मामले को अदालत से बाहर निबटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मुझे मालूम नहीं कि क्या ऐसी कोई प्रस्थापना है अतः मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या यह सच है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने सर फ्रांस सोस्काइस से कहा था कि वह इस मुकदमे के बारे में गुप्त रूप से अपनी राय भेजें और वह राय विधि मंत्री के पास है और यदि हां तो क्या यह सही है कि उन्होंने भारत सरकार को यह मन्त्रणा दी है कि मुकदमें की पैरवी न की जाय ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसका उत्तर तो विधि मंत्री ही दे सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह देखना मेरा कर्तव्य है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह संगत है या नहीं । मूल प्रश्न तिथि के बारे में है अतः यह उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विमल घोष** : श्रीमान्, यह प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि मैं पूछूं कि क्या उस मुकदमे के बारे में जिसकी तारीख निश्चित की जानी थी सर फ्रांस सोस्काइस की राय पूछी गई थी और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय हमारा सम्बन्ध केवल तिथि से है सारे मुकदमे से नहीं । माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं कि क्या तिथि इसलिये निश्चित नहीं की गई है कि वह बातचीत चल रही है । क्या यही बात है ?

†**श्री विमल घोष** : जी हां ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह प्रश्न उस उत्तर से उत्पन्न होता है जो २४ सितम्बर को दिया गया था और जिस में यह बताया गया था । कि दस्तावेजों का पता लगाया जा चुका है और उन का निरी-

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षण भी हो चुका है और अगले वर्ष के प्रारम्भ में मुकदमे की सुनवाई होने की संभावना है। अब यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या तिथि निश्चित हुई है। मैं ने बता दिया कि तिथि निश्चित नहीं हुई है। यह कहा गया था कि 'अगले वर्ष के प्रारम्भ में'। हमें तिथि के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं मंत्री से निश्चित उत्तर चाहता हूं। दस्तावेज़ प्राप्त हो चुके हैं। हमें यह पता चला है कि सरफ्रांस सोस्काइस को मुकदमे के बारे में अपनी राय गुप्त रूप से भारत सरकार को भेजने के लिये कहा गया था और वह विधि मंत्री को मिल चुकी है। मैं वह राय जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न।

कानपुर में विश्वविद्यालय

+

†*२९९. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में एक रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं। शिक्षा मंत्रालय को ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने एक प्रस्ताव कानपुर में एक प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित करने के बारे में है। यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न के बारे में और ब्यौरा चाहते हों तो वे वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री से पूछ सकते हैं क्योंकि इस का सम्बन्ध उन्हीं से है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि कानपुर में प्रस्तावित उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित करन के कारण वहां रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी स्थापित करने से इनकार कर दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दे चुका हूं कि यह प्रश्न वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री से पूछा जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं जानता हूं कि कानपुर में एक उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी कारण कानपुर में रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की अनुमति नहीं दी गई। उन का कहना है कि यह संस्था रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी के बराबर ही है परन्तु मैं इस से सहमत नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि असल बात क्या है ?

---

†**मूल अंग्रेज़ी में**

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि शिक्षा मंत्रालय को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है। टैक्नीकल विश्वविद्यालय और उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था के बारे में प्रश्न वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री को सम्बोधित किया जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी फैडरेशन ने माननीय मंत्री को इस मांग पर विचार करने के लिये कोई ज्ञापन भेजा है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन की मांग क्या है ? इस से यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** उन्हों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये अभ्यावेदन भेजा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई मांग भेजी है। विद्यार्थियों ने प्रार्थना की है या नहीं इस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को देखते हुए कि लगभग ६० प्रतिशत कालेज आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं और ४० प्रतिशत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या कभी यह सुझाव मिला है कि कानपुर में अलग विश्वविद्यालय स्थापित कर के कुछ एकरूपता लाई जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बता चुके हैं कि ऐसा कोई सुझाव नहीं है—माननीय सदस्य वही प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री दासप्पा :** यह देखते हुए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में साधारण ग्रैजुएट पाठ्यक्रम के लिये कालेजों की संख्या पर्याप्त नहीं है और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अधिक भीड़ रहती है क्या 'ग्रैजुएट' पाठ्यक्रम के लिये कालेज खोलने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री दासप्पा :** कुछ क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अन्य जगहों पर किये जाने वाले खर्च वहां करने पड़ेंगे। मेरा सुझाव है कि रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी की बजाये वह रुपया . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो किसी ने नहीं कहा कि रेज़ीडेंशल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का सुझाव है।

†**श्री दासप्पा :** उन्हों ने प्रौद्योगिकीय संस्था का उल्लेख किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगदीश अवस्थी: क्या मैं जान सकता हूं कि कानपुर नगर में बढ़ती हुई शिक्षा सस्थाओं की संख्या मुख्य रूप से प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं की है तो क्या ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार कोई कानपुर नगर में राज्य सरकार के समक्ष ऐसी योजना भेजने का विचार कर रही है कि वहां पर एक टेकनिकल यूनिवर्सिटी खोली जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने आप से निवेदन कर दिया है कि जहां तक टेकनिकल इंस्टीट्यूशंस का सम्बन्ध है, उन से मेरा सम्बन्ध नहीं है। आप मेहरबानी कर के इस प्रश्न को मिनिस्टर आफ कल्चरल एफेयर्स और साइंटिफिक रिसर्च से पूछ सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विदेशी मुद्रा विनियम

†*३००. **श्री फीरोज़ गांधी :**
श्री राम कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री कुन्हन :
श्री गोरे :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री विमल घोष :
श्री नाथ पाई :
श्री जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री ७ अक्तूबर, १९५८ के हिन्दुस्थान स्टैण्डर्ड, दिल्ली में छपे समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर एक उद्योगपति, श्री शान्ति प्रसाद जैन, के सामान की तलाशी किन हालात में ली गई थी ;

(ख) क्या कागजात पकड़े गये ;

(ग) क्या श्री एस० पी० जैन ने किसी कर्मचारी से कोई कागजात छीनने का प्रयत्न किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) विदेशी मुद्रा विनियम के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास उपलब्ध कुछ जानकारी के आधार पर ।

(ख) जो दस्तावेज़ पकड़े गये उस में एक डायरी और कुछ दूसरे कागजात हैं जिन में विदेशी मुद्रा का हिसाब रखा गया मालूम होता है । इन के अतिरिक्त उन के पास २५९० डालर का एक यात्री चैक था जबकि रिज़र्व बैंक ने उन्हें १४०० डालर की स्वीकृति दी थी ।

(ग) जी हां, उन्हों ने कागज़ छीन कर फाड़ने का प्रयत्न किया था परन्तु वह सफल नहीं हुए ।

(घ) श्री एस० पी० जैन के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९४७ के उप-बन्धों के अन्तर्गत न्याय निर्णयन कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री फीरोज गांधी**: एनफोर्समेंट का डायरेक्टर सरकार की अनुज्ञा से ही मुकदमा चला सकता है तो क्या सरकार सभा को आश्वासन दिलाती है कि यदि अनुमति मांगी गई तो दे दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अवश्य ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यह ५० लाख रुपये का मामला है क्या सरकार इस पर ४० लाख रुपये आयकर और १५० प्रतिशत अर्थात ६० लाख जुर्माना वसूल करेगी जैसाकि आयकर विनियमों में उपबंधित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह एक सुझाव नहीं है ?

†**श्री फीरोज गांधी** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर वह पहले से कैसे दे सकते हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : न्यायनिर्णयन की कार्यवाही शुरू हो गई है । उन्हें इस की जवाबदेही करना पड़ेगी और इस के पश्चात डायरेक्टर निर्णय करेगा कि यह मामला अदालत में भेजा जाये या स्वयं न्याय करे । आयकर का प्रश्न तो इस के बाद उत्पन्न होगा ।

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी यह बताया है कि श्री एस० पी० जैन को विश्व के दौरे के लिये १४०० डालर की मंज़ूरी दी गई थी परन्तु वापसी पर उन से २५९० डालर मिले और उन के पास ७००० रुपये की वस्तुयें भी थीं । इन बातों को देखते हुए क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा २३ख के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का विचार कर रही है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : अभी डायरेक्टर इन सब बातों की जांच कर रहे हैं । उन्हों ने २२ नवम्बर को नोटिस दिया था और ३ या ४ दिसम्बर तक उत्तर मिलने की आशा है । उस के बाद डायरेक्टर सारे मामले को देखेंगे । वह इन सब बातों पर विचार करेंगे ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या इस अनुसन्धान के कारण रिजर्व बैंक ने श्री एस० पी० जैन को पंजाब नेशनल बैंक के सभापति की पदवी छोड़ने को कहा है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : जी नहीं । यह सही नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्योंकि यह धन लिमिटेड कम्पनियों का है और हुंडियों में कमी बेशी कर के जमा किया गया है इसलिये क्या सरकार श्री एस० पी० जैन पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४२० के अधीन भी मुकदमा चलाना चाहती है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : श्री एस० पी० जैन के कागज़ों से पता लगी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों में उन की पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा है, क्या सरकार यह जानने के लिए कि विदेशों में उन के नाम कितनी विदेशी मुद्रा है, इस समय किये जा रहे न्याय निर्णयन के अतिरिक्त एक स्वतन्त्र जांच करने का भी विचार रखती है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : एनफोर्समेंट के डायरेक्टर इसी प्रयोजन के लिए हैं । अतः हम कोई और अलग जांच प्रारम्भ कराने की आवश्यकता महसूस नहीं करते । डायरेक्टर मामले की जांच करने में पूर्णरूपेण समर्थ है और वह जांच कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जाधव** : यह कहां तक सच है कि श्री एस० पी० जैन ने अवैध रूप से अमरीका और जर्मन से ३२ लाख रुपयों का व्यापार किया है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने यह राशि डालर और मार्क्स सिक्कों में वहां जमा कराई है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : सारा मामला विचाराधीन है । श्री जैन को नोटिस दे दिया गया है और उसके उत्तर का डायरेक्टर इन्तज़ार कर रहा है ।

†**श्री अ० डांगे** : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जांच कब तक होती रहेगी ?

†**श्री बे० गोपाल रेड्डी** : न्याय निर्णयन की कार्यवाही तो प्रारम्भ की जा चुकी है । इस मास की २२ तारीख को श्री जैन को नोटिस भी दे दिया गया है । अतः इस काम में कोई अनुचित विलम्ब नहीं लगा है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इस प्रकार के कानून को भंग करने के सम्बन्ध में पहले से ही एक स्पष्ट व्यवस्था विद्यमान है, तो फिर उनके विरुद्ध और नई जांच कराने से क्या लाभ है ? जैसा कि श्री फिरोज़ गांधी ने कहा है, जैन के विरुद्ध वर्तमान कानून के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं चलाई जाती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि श्री जैन के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग क्यों नहीं चलाया गया है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह कोई हस्तक्षेप्य अपराध नहीं है, इसलिए बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारन्ट के उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

†**श्री फीरोज गांधी** : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा २३ के दो भाग हैं :— (क) और (ख). (क) में न्याय निर्णयन की व्यवस्था है और (ख) में अभियोग चलाने की । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भाग (ख) के अनुसार अभियोग चलाने का भी विचार रखती है या कि केवल भाग (क) पर ही निर्भर करना चाहती है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : अभी इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता कि इस सम्बन्ध में क्या किया जायेगा । श्री जैन से जवाब आने पर डायरेक्टर स्वयं यह निर्णय करेंगे कि क्या वह स्वयं श्री जैन से जुर्माना वसूल करें अथवा श्री जैन को न्यायालय में पेश किया जाये ।

†**श्री फीरोज गांधी** : परन्तु बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : डायरेक्टर तो केवल सिफ़ारिश करेगा, वह सरकार से कहेगा कि श्री जैन को न्यायालय में पेश करने की अनुमति दी जाये ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यदि डायरेक्टर ने अभियोग चलाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया तो निश्चय ही सरकार उन्हें न्यायालय में पेश करने की अनुमति दे देगी ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या उन से पकड़े गये कागज़ों में कोई ऐसा विवरण भी है जिसमें विश्व के विभिन्न बैंकों में अनधिकृत विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हिसाब किताब लिखा हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जब कि सारा मामला डायरेक्टर के विचाराधीन है हमारे लिए यह बड़ा कठिन है कि हम इस समय उसके ब्यौरों के सम्बन्ध में कुछ बतला सकें। इस समय ब्यौरे के सम्बन्ध में बतलाना मामले के लिए अहितकर सिद्ध होगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार की बात देश में कोई नयी बात नहीं है। अतः क्या इस प्रकार की बातों के सम्बन्ध में एक सामान्य जांच करने के बारे में कोई प्रस्थापना है।

†**अध्यक्ष महोदय**: यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है।

†**श्री गोरे** : क्या सरकार को किन्हीं अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी प्राप्त है जिन्होंने विदेशी बैंकों में इस प्रकार से अपनी राशि जमा करा रखी है; और यदि हां, तो इस प्रकार की कुल राशि कितनी है?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होते।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : समय समय पर एन्फोर्समेंट के डायरेक्टर के पास कई शिकायतें आती रहती हैं और वे उनकी जांच करते हैं। १९५६-५७ में १३१९, १९५७-५८ में १५५६ और इस वर्ष अप्रेल से अक्तूबर तक ४४३ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहुत सी याचिकाएं भी प्राप्त होती हैं, परन्तु वे सभी की सभी सच नहीं होतीं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनाने का विचार रखती है जिस से अराष्ट्रीय कार्यों में संलग्न इस प्रकार के लोगों को राष्ट्रपति भवन में होने वाले राजकीय उत्सवों में प्रवेश करने पर मनाही हो और विभिन्न सम्मेलनों के सम्बन्ध में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को भोजन आदि पर भी आमंत्रित करने की भी मनाही हो।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : फिलहाल तो इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं है।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है। क्या माननीय मंत्री सभा पटल पर इस की एक सूची रखने की कृपा करेंगे अथवा क्या सरकार इस प्रकार के मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा करेगी ताकि लोगों को पता लग सके कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक अपराध किया है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : जी नहीं, इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दी जाय। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध होगी उसे हम सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

†**श्री प्रभात कार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री जैन ने विदेशी मुद्रा में अवैध रूप से व्यापार किया है और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने कागजात को नष्ट करने का प्रयत्न किया था, क्या सरकार रिज़र्व बैंक से यह कहेगी कि वह श्री जैन को पंजाब नेशनल बैंक के सभापति के स्थान से हटा दे?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह तो आपका सुझाव है, परन्तु यह बात इस मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेनलेस स्टील

†*३०१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील के निर्माण के लिए एक अग्रिम कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वे० प० नायर** : उस कारखाने में १०० टन एलाय स्टील के निर्माण की प्रस्थापना के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ८ सितम्बर को मैं ने सभा को बताया था कि जब एलाय स्टील संयंत्र स्थापित हो जायेगा तो सौ टन स्टेनलैस स्टील तैयार करने का परीक्षण किया जायेगा। उसके लिए एक अग्रिम प्रतिवेदन भी मांगा गया है।

†**श्री वें० प० नायर** : जी, नहीं। मेरा प्रश्न यह नहीं था। मूल प्रश्न में यह बताया गया है कि प्रस्थापना विचाराधीन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कम से कम इस बारे में निर्णय कर लिया गया है कि वहां पर १०० टन का उत्पादन किया जा सकेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैं ने बताया है विभिन्न देशों की विभिन्न फर्मों से इस बारे में अग्रिम रिपोर्टें मांगी गयी हैं। अग्रिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या कोई अग्रिम रिपोर्ट मांगी भी गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यही तो मैं कह रहा हूं।

†**श्री हेम बरूआ** : 'भारत १९५८' प्रदर्शनी में स्टेनलैस स्टील की एक विशेष प्रकार की किस्म दिखायी गयी है जिसका नाम 'थैकरन' बताया गया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसका नाम प्रोफेसर थैकर से कैसे सम्बद्ध कर दिया गया है जब कि उनका इस वस्तु के आविष्कार से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह नाम संभवतः उस व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसने उसका आविष्कार किया था। वह अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम रख सकता था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निवेली में ताप बिजली घर

†*३०२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **स्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली में एक ताप बिजलीघर स्थापित करने के सम्बन्ध में सिविल इंजीनियरिंग कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कारखाने तथा मशीनरी का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) संयंत्र तथा मशीनरी की प्राप्ति के लिए रूसी संस्था से किये जाने वाले ठेके का अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है । संभरणकर्ताओं से प्राप्त होने के बाद ही संयंत्र तथा मशीनरी लगायी जायेगी ।

विदेशी बैंकों द्वारा भुगतान

†*३०३. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में भारतीय उच्च आयोग ने विदेशी बैंकों के द्वारा ब्रिटेन को कितनी राशि अदा की थी; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये विदेशी बैंकों का उपयोग किन किन कारणों से किया जा रहा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग रिजर्व बैंक आफ इंडिया, लन्दन, के द्वारा अदायगी करता है । उस बैंक द्वारा विदेशी बैंकों की मार्फत निम्नलिखित राशियां अदा की गयी थीं :—

१९५७ (जनवरी से दिसम्बर)	६७,०५१,७८८ पौंड
१९५७ (जनवरी–जून)	१९,४४८,५३२ पौंड

(ख) सरकार की यह नीति है कि अदायगी के समय यथा संभव भारतीय बैंकों का ही उपयोग किया जाये, और उन्हें ही प्रोत्साहन दिया जाये । फिर भी, विदेशी बैंकों का उपयोग इसलिये किया जा रहा है कि विदेशों में भारतीय बैंकों की बहुत कम शाखायें हैं ।

वाटर प्रूफ मड पलास्टर

†*३०४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था ने हाल ही में 'वाटर प्रूफ मड प्लास्टर' (मिट्टी का जलाप्रवेश पलस्तर) नामक एक ऐसी सामग्री का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है, जिस का निर्माण उस ने स्वयं ही किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है; और

(ग) अभी तक किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) संस्था ने 'मड प्लास्टर' के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये विभिन्न प्रकार की 'वाटर प्रूफ' वस्तुओं के केवल तुलनात्मक परीक्षण ही किये हैं । इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप संस्था ने 'विटूमन एमल्शन' के एक प्रभावकारी 'वाटर प्रूफ' सामग्री के रूप में प्रयोग किये जाने की सिफारिश की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह वस्तु कच्ची दीवारों पर प्लास्टर करने के लिये इस्तेमाल की जा सकती है। उस से दीवारें अधिक मजबूत हो जायेंगी क्योंकि उन पर वर्षा के पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा।

(ग) अर्ध-क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में किये गये परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि 'वाटर प्रूफ मड प्लास्टर' लगातार ६ दिन तक होने वाली वर्षा को रोकने में समर्थ होता है, और रात को वर्षा के प्रभाव को और दिन में गर्मी के असर को २$^{१}/_{२}$ मास तक की अवधि तक रोक सकता है।

जापान से ऋण

†*३०५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान से प्राप्त होने वाले १८० करोड़ जापानी येन में से कितनी राशि नौपरिवहन विकास के लिये प्रयोग की जायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : १८० करोड़ येन के ऋण में से ५० करोड़ येन, ६.६ करोड़ रूपयों की राशि नौवहन के विकास के लिये निर्धारित की गयी है।

रूरकेला के लिये पुलिस बल

†*३०६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से यह कहा है कि रूरकेला क्षेत्र में पुलिस बल में वृद्धि करने पर उस पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को वह वहन करे; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : (क) और (ख). जी, हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है क्योंकि विधि और व्यवस्था का उत्तरदायित्व उनका अपना काम है इसलिये इस बात का निर्णय करना उनका अपना काम है कि किसी विशेष क्षेत्र में कितने पुलिस बल की आवश्यकता है। उनका खर्च वहन करना भी उनका अपना काम है।

बाल अवकाश गृह

*३०७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी स्थानों में बाल अवकाश गृह स्थापित करने की योजना पर खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). योजना का ब्यौरा और उस पर आने वाले खर्च का हिसाब अभी तैयार करना बाकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी की सेवायें

†*३०८. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने उपरोक्त उत्तर में निर्दिष्ट कार्यों में से अभी तक कितने कार्य किये हैं;

(ख) १४ करोड़ की राशि में से कितनी राशि अभी तक कम्पनी को अदा कर दी गयी है; और

(ग) शेष देय राशि कब अदा की जायेगी और उस का वास्तविक सेवाओं से कैसे सम्बन्ध स्थापित किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

जीवन बीमा निगम द्वारा मृत्यु दावों का फैसला

†*३०९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की स्थापना के समय से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५७ तक बुक की गई पालिसियों के अधीन ३० जून, १९५८ तक निगम को जो मृत्यु दावों की सूचना प्राप्त हुई थी, उन की कितनी संख्या है और उन की कितनी राशि है;

(ख) ३० जून, १९५८ तक उन में से कितने दावों का फैसला हो गया है और उन की कुल कितनी राशि है ; और

(ग) उक्त अवधि में मृत्यु दावों के निपटाने में औसत कितना समय लगा था ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) ५३,२७,३५८ रुपयों के १,१९१ दावे ।

(ख) ४,९४,१५७ रुपयों के १३१ दावे ।

(ग) ७ मास और १ दिन ।

कृत्रिम चावल

†*३१०. **श्री झूलन सिंह :**
श्री आसर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृत्रिम चावल के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और उसे देश में चावल खाने वाले लोगों तक पहुंचाने में कहां तक सफलता मिली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : इस समय "कृत्रिम चावल" शब्द का प्रयोग नहीं होता । उसे 'टेपिओका मकरोनी' के नाम से पहचाना जाता है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था मैसूर, में उस समय तक अग्रिम परियोजना चल रही है जो कि प्रति दिन लगभग एक टन 'टेपिओका मकरोनी' का निर्माण कर रही है ? यह मात्रा

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य में वितरित करने के लिये केरल सरकार को दे दी जाती है। केरल में एक बड़ा कारखाना स्थापित करने और उत्तर प्रदेश में 'टेपिओका मकरोनी' को चलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

†*३११. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बि० च० प्रधान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दक्षिण भारत में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी, नहीं।

राज्य विधेयक

†*३१२. **श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति के विचार के लिये राज्य विधेयकों के रक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या क्या लिखा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या १७/१५९/५८—न्यायिक १—दिनांक २६ अगस्त, १९५८ की एक प्रति रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

महा आयुक्त

†*३१३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाशिंगटन में महा आयुक्त का प्रस्थापित कार्यालय, और ब्रिटेन तथा यूरोप में उसकी शाखायें कब से अपना कार्य प्रारम्भ करेंगी ;

(ख) इस कार्यालय तथा इसकी शाखाओं में कौन-कौन अधिकारी रहेंगे; और

(ग) उन पर कितना वार्षिक खर्च आयेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) महा आयुक्त के कार्यालय ने वाशिंगटन तथा लन्दन में अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) वाशिंगटन में महा आयुक्त की सहायता के लिये निजी कर्मचारी वर्ग के अलावा एक समुपदेष्टा रहेगा। अमेरिका में हमारा मिनिस्टर (आर्थिक) और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कार्यपालक निदेशक और वैकल्पिक निदेशक भी अब उस संगठन में होंगे। यूरोप में स्थित महा आयुक्त, जो कि

---

†मूल अंग्रेजी में

फिलहाल हमारे लन्दन स्थित उच्चायुक्त के मिनिस्टर (आर्थिक) के रूप में भी कार्य करेगा, की सहायता के लिये द्वितीय सचिव की कोटि का एक पदाधिकारी होगा ।

(ग) अनुमान है कि इन दोनों संगठनों पर ९ लाख रुपये वार्षिक खर्च होगा ।

राजहुंडियां (ट्रैजरी बिल)

†*३१४. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के रक्षित बैंक में शेष राजहुंडियों (ट्रैज़री बिल) की कुल राशि कितनी है ;

(ख) इसमें से कितनी राशि, ३०० करोड़ रुपये के ४ प्रतिशत व्याज वाले १९७३ में चुकाये जाने वाले ऋण के अतिरिक्त निधिबद्ध[1] कर ली गई है अथवा निधिबद्ध करने का विचार है ;

(ग) ४ प्रतिशत व्याज वाले १९७३ के ऋण के ऊंचे व्याज तथा उससे सम्बन्धित अन्य शर्तों के कारण कितना अतिरिक्त वार्षिक खर्च करना पड़ेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) २० नवम्बर, १९५८ को लगभग ९२९ करोड़ रुपये ।

(ख) ९२९ करोड़ रुपयों की बकाया राशि ३०० करोड़ रुपये की उस राशि से अलग है जो पहले ही निधिबद्ध की जा चुकी है और अधिक राशि निधिबद्ध करने का फिलहाल कोई ख्याल नहीं है ।

(ग) बराबर की राशि की राजहुंडियों को कैंसिल करके ३०० करोड़ रुपयों के ४ प्रतिशत ब्याज वाले १९७३ के ऋण को जारी करने के कारण व्याज के रूप में ४·५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अधिक देने पड़ेंगे ।

सीमावर्ती विवाद

†*३१५. **श्री आसर** :
श्री महन्ती :
श्री पांगरकर :
श्री अगाड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेलगाम, निपानी और करतार जिलों के सीमावर्ती विवादों को हल करने के लिये कोई फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिये एक उपयुक्त उपाय ढूंढने के लिये बम्बई तथा मैसूर के मुख्य मंत्रियों में समझौता कराने का सरकार ने प्रयत्न किया है ।

केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड

†*३१६. **श्री बै० च० मलिक:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २७ सितम्बर, १९५८ को नई दिल्ली में केन्दीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड की बैठक में की गयी विभिन्न सिफारिशों और सुझावों को कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Finded

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : जी, हां ।

विक्रय कर में छूट

†*३१७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ एक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये उनके विक्रय कर में छूट देने की प्रस्थापना के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उत्तरों पर विचार किया जा रहा है ।

"बौंड डिलीवरी"

†*३१८. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विशेष प्रकार के व्यापार के बारे में, जिसे 'बौंड डिलीवरी' (बन्ध परिदान) कहते हैं, और जो भारत में स्थित तेल कम्पनियों में प्रचलित है, अब अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सम्बन्धित उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क निधि के अधीन, विदेशों को जाने वाले विमानों तथा जल-यानों को संभरित किये जाने वाले ईंधन (तेल) को आयात प्रशुल्क अथवा उत्पादन-शुल्क से छूट दी जाती है । इसलिये उन्हें बौंड में लिखित भांडागार से तेल कम्पनियों द्वारा कर देय भांडागारों से उसका संभरण किये जाने के लिये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रबन्ध है । दिल्ली जैसे स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानों को ईंधन संभरित करने के सम्बन्ध में, जहां कि कर देय भांडागार नहीं है, यह निर्णय किया गया है कि उनके लिये प्रशुल्क वापिस लिया जा सकता है । सरकार के चीफ़ कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर, जो कि एक नया मूल्य सूत्र निकालने के लिये तेल कम्पनियों के खातों का परीक्षण कर रहे हैं, कम्पनियों के इन व्यापारिक कार्यों पर होने वाले खर्चों और प्राप्तियों पर भी विचार कर रहे हैं । आशा है कि उनकी रिपोर्ट मार्च, १९५९ के अन्त तक प्राप्त हो जायेगी ।

प्रादेशिक सेना

†*३१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक प्रादेशिक सेना में भरती गत वर्ष की उसी अवधि में हुई भरती की अपेक्षा अधिक है या कम; और

(ख) यदि कम है, तो क्या सरकार उसके कारणों की खोज करेगी ?

मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां। भरती अधिक हुई है जिसमे कुछ अंश में कमी पूरी हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'पुष्पक' विमान

†*३२०. **श्री बहादुर सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बंगलौर की हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी में तैयार किये गये दो सीटों वाले अत्यधिक हलके 'पुष्पक' विमानों को अधिक संख्या में तैयार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कब किया जायेगा ;

(ग) उसका उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(घ) क्या इसमें भारतीय एयरो इंजन लगाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, जिसका इससे सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड में इसके उत्पादन के बारे में निर्णय कर लिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड इस पर विचार कर रही है।

(घ) फिलहाल नहीं।

वायुशीतक यंत्र

*३२१. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देहरादून के आयुध कारखाने द्वारा बनाया गया छोटा वायु शीतक यंत्र, जिसका प्रदर्शन "भारत १९५८" प्रदर्शनी में किया गया है, बड़े पैमाने पर तैयार किया जायेगा और जनता के उपयोग के लिये बाजार में बेचा जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : अगर काफी आर्डर आ जाएं तो इस कूलर का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जायगा और जनता के उपयोग के लिये बिकने को बाजार में पहुंचाया जायेगा।

पुरातत्व संस्था

†*३२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को इतिहास तथा पुरातत्व क्षेत्र के अन्य सहायक विषयों की ट्रेनिंग के लिये नई दिल्ली में एक पुरातत्व संस्था खोलने की योजना किस स्थिति में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: यह योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है और विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

†*३२३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम कृष्ण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तेल की खोज के लिये बरेली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत जिलों में सर्वेक्षण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हिमालय के तलवर्ती क्षेत्र में भूतत्वीय सर्वेणक्ष किये जा रहे हैं और मैदानों में गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय और भूकम्पिक पद्धतियों का आश्रय लिया जा रहा है । १९५७–५८ में दो क्षेत्र दलों ने लगभग ९८० वर्गमील का भूतत्वीय मान चित्रण किया था । अन्य तीन दल चालू अवधि में और सर्वेक्षण कर रहे हैं ।

१९५७–५८ में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में दो भूकम्पिक और दो गुरुत्वाकर्षण व चुम्बकीय दल कार्य में लगे हुए थे । गुरुत्वाकर्षण व चुम्बकीय दलों ने ३३४० वर्गमील का सर्वेक्षण किया तथा ३३५६ केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया । दो चुम्बकीय दलों ने ३२४ लाइन मीलों की खोज की बरेली क्षेत्र के आसपास कुछ रोचक परिणाम प्राप्त हुए हैं किन्तु आंकड़ों के निर्वाचन के लिये कुछ और शोध की आवश्यकता है । दो भूभौतिकीय दल और आगे काम कर रहे हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

†*३२४. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री विमल घोष :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा अपने ऋणों पर, जिनमें लाभ तथा भागिता अधिकार सम्मिलित हैं, सूद की दर निर्धारित करने में सरकार सहमत है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम गैर-सरकारी उद्योगों के ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सीधे ही कार्यवाही करता है । अतः ऋण के लिये ब्याज की दर का फैसला अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और ऋण के इच्छुक के बीच तय होता है । विदेशी ऋण.

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण भी सम्मिलित है, के लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अनुसार सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को बता दिया है कि वह निगम और भारत में गैर सरकारी ऋण प्राप्तकर्ताओं के बीच हुए वित्तीय समझौतों का सामान्यतया अनुमोदन कर देगी। इसमें लाभ को शेअर करना, स्टाक का विकल्प या ऐसी ही अन्य व्यवस्था भी सम्मिलित है। किन्तु इसके लिये यह शर्त है कि यह ऋण उन्हीं परियोजनाओं तक सीमित हैं जो विदेशी मुद्रा का अर्जन अथवा बचत करती है और निगम की कुल आय किसी भी समय उस मुद्रा से अधिक नहीं होगी जिसका परियोजना के माध्यम से अर्जन किया जाता अथवा बचत होती।

उत्तर प्रदेश में गंधक और मेग्नेशियम के निक्षेप

†*३२५. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हाल ही में उच्च कोटि के मेगनेशियम और शुद्ध गन्धक के भारी निक्षेपों की खोज की गई है ;

(ख) क्या प्रारम्भिक खोज उस अवस्था तक पहुंच गई है कि इनकी वाणिज्यिक आधार पर खोज सम्भव है ;

(ग) अभी तक प्राप्त नमूनों के विश्लेषण की क्या रिपोर्ट है ; और

(घ) खानों को वाणिज्यिक आधार पर प्रयुक्त करने के लिये योजना निर्धारित करने में सरकार ने अभी तक क्या किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मेगनेशियम इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है किन्तु उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर के निकटवर्ती स्थान में मेग्नेसाइट (मेग्नेसियम कारबोनेट) के वृहद् मात्रा में निक्षेप मालूम हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के खान तथा भूतत्वीय विभाग द्वारा गढ़वाल जिले में रूपगंगा घाटी के सूटोल गांव के समीप गन्धक का संक्षिप्त निक्षेप मिला है जिसमें ७ प्रतिशत 'नेटिव' गन्धक प्राप्त हुआ है।

(ख) उपरोक्त दो क्षेत्रों में निर्धारित मेग्नेसाइट की मात्रा से यह स्पष्ट होता है कि यह वाणिज्यिक आधार पर निकाला जा सकता है। और गन्धक के जो निक्षेप अब मालूम हुए हैं, वे उनके बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक स्तर पर खनन किये जाने की दृष्टि से अपर्याप्त हैं।

(ग) मेग्नेसाइट के विश्लेषण की रिपोर्ट इस प्रकार है :—

मेग्नेसियम आक्साइड . .	२० से ४५ प्रतिशत
कैलसियम आक्साइड .	१ से ३५ प्रतिशत
फैरम आक्साइड . .	१ से ३.५ प्रतिशत
ऐल्यूमीनियम आक्साइड . .	०.१ से १.० प्रतिशत
सिलिकान आक्साइड . .	१ से १० प्रतिशत
ज्वलन क्षति[1] . .	३५ से ५० प्रतिशत से कम।

(घ) मैग्नेसाइट की जांच जारी है : इस को पूरा होने पर ही वाणिज्यिक खोज की योजना पर विचार किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lesson ignition

वैज्ञानिक नीति संबंधी संकल्प

†*३२६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प की क्रियान्विति के लिये सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार का क्या परिणाम हुआ है ; और

(ग) इस विषय में और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग), विदेशों से लौटने वाले सुशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीय विज्ञों की उपयुक्त पदों पर नियुक्ति होने तक उनके अस्थायी नियोजन के लिये एक वर्ग की रचना का निर्णय किया गया है। भारत की शैक्षणिक डिग्रियों से विभूषित व्यक्ति जिनका शिक्षा सम्बन्धी रिकार्ड अत्यन्त उत्तम रहा है वह भी वर्ग के कुल पदों के २५ प्रतिशत से अनधिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अधिकारियों और वैज्ञानिक अधिकारियों की सेवा की अवस्था तथा शर्तों का पुनरीक्षण किया है और उन्होंने वैज्ञानिकों की उच्च श्रेणी में पदोन्नति, विशेष योग्यता पदोन्नति, अग्रिम वेतन वृद्धि इत्यादि के सम्बन्ध में निर्णय किये हैं। इन निर्णयों के बारे में विशेष जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**].

अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

†*३२७. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री कमल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के समीपवर्ती भागों में एक दृढ़ सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुनर्वित्त निगम

†४८०. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें पुनर्वित्त निगम द्वारा उद्योगों के विकास के लिये प्रदत्त ऋणों का उद्योगवार ब्यौरा दिया गया हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ५ जून, १९५८ को इस के पंजीयन से १९५८ में अक्टूबर के अन्त तक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पुनर्वित्त निगम ने लौह-मैंगनीज़ के उत्पादन के लिये ३० लाख रुपये का केवल एक ऋण स्वीकार किया है। किन्तु उस ऋण के अन्तर्गत अभी तक कुछ रकम नहीं दी गई है।

उड़ीसा के अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†४८१. श्री पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये १९५६-५७ में अन्य पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिये उड़ीसा से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ५९८।

(ख) ९११।

भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा

†४८२. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५७-५८ में भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा में सीधी भरती के आधार पर कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) इन भारत प्रशासन सेवा अधिकारियों में से अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारी हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) भारत प्रशासन सेवा—३।
भारत पुलिस सेवा—५।

(ख) १।

मैट्रिक पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†४८३. { श्रीमती मकीदा अहमद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामी रेड्डी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों के लिये राज्यवार (१) अनुसूचित जातियों (२) अनुसूचित आदिमजातियों और (३) अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित कितने विद्यार्थियों से १९५८-५९ में आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के लिये कितनी कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं ;

(ग) इन छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन करने वाली छात्राओं की कितनी संख्या है ; और

(घ) छात्रवृत्तियों की पहली किश्त कब तक देने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :) : (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]

(घ) १९५८-५९ के लिये छात्रवृत्तियों की पहली किश्त के रूप में चार महीनों की तदर्थ रकम ३५,३२८ विद्यार्थियों के सम्बन्ध में उनकी शिक्षा संस्थाओं के प्रधान अधिकारियों को जुलाई १९५८ में वितरण हेतु भेज दी गई थी।

छात्रवृत्ति के लिये चुने गये शेष विद्यार्थियों की रकम फरवरी, १९५९ के पहले भेज दी जायेगी।

संघ राज्य क्षेत्रों में मिलीजुली बस्तियां[1]

†४८४. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री संघ राज्य-क्षेत्रों में मिली-जुली बस्तियों के संबंध में ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है और लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर सरकारों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्वीप के संघ राज्य क्षेत्र और पश्चिम बंगाल एवं आसाम राज्यों में गैर हरिजनों को हरिजनों के साथ रहने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई क्योंकि वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। लक्कदीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में हरिजन नहीं हैं।

बम्बई और मद्रास की राज्य सरकारें और दिल्ली प्रशासन पहले से ही मिश्रित बस्तियों और संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार की बस्तियां बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४] मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पांण्डिचेरी की सरकारें इस प्रकार की बस्तियां स्थापित कर रही है। उपरोक्त विवरण में उनके स्थान बताये गये हैं।

केरल और पंजाब में हरिजन तथा गैर हरिजन मिश्रित छात्रावासों में रहते हैं। मिश्रित बस्तियों के प्रश्न पर केरल सरकार विचार कर रही है। पंजाब और बिहार की सरकारें बस्तियों के बारे में सिफारिश को क्रियान्वित नहीं कर सकी हैं क्योंकि उनके विचार में इस कार्य के लिए उपलब्ध निधि हरिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सर्वथा अपर्याप्त है। मैसूर और राजस्थान की सरकारें इस विषय पर अभी भी विचार कर रही हैं।

उड़ीसा में शिक्षा विकास कार्यक्रम

†४८५. श्री कुम्भार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिए उड़ीसा राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक कितनी रकम आवंटित की गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mixed Colonies

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) उड़ीसा राज्य के राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिए ६.१८ करोड़ रुपये में से प्रति वर्ष निम्न रकम आवंटित की गई थी :—

१९५६-५७	०.९० करोड़ रुपये
१९५७-५८	१.०४ करोड़ रुपये
१९५८-५९	१.०३ करोड़ रुपये

१९५६-५७ में कुल खर्च ०.७५ करोड़ रुपये हुआ। १९५७-५८ के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार उक्त वर्ष में ०.९८ करोड़ रुपये के कुल खर्च की सम्भावना है।

(ख) शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुसार जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये आयुक्त

†४८६. श्री कुम्मार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय में कितने कर्मचारी नियोजित हैं; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों से सम्बन्धित कितने कर्मचारी हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) ८३ ।

(ख) अनुसूचित जातियां . . . २२

अनुसूचित आदिमजातियां . . ३ ।

टेकनीकल शिक्षा

†४८७. श्री उ० च० पटनायक : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने वाली राज्य सरकारों और गैर सरकारी निकायों के लिए निम्न दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

(क) टेकनीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की सिफारिश के अनुसार शिक्षक वर्ग को वेतन तथा अन्य सुविधाएं दिलाना; और

(ख) अनुदान की पूर्ति के अनुसार अनुदान तथा ऋण की रकम खर्च करना ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) शिक्षकों के वेतन क्रम में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और गैर सरकारी टेक्नीकल संस्थाओं की सहायता का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) जहां तक गैर सरकारी टेक्नीकल संस्थाओं का सम्बन्ध है, स्वीकृत अनुदान और ऋण का विकास योजनाओं के लिए समुचित रूप में प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) प्रत्येक टेकनीकल संस्था में एक प्रबन्ध समिति हो जिसमें केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार और टेक्नीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के प्रतिनिधि भी रहें। संस्था की व्यवस्था और वित्त उक्त समिति को सौंप दी जाये।

(२) इमारतों के निर्माण पर खर्च और उपकरण की खरीदी प्रबन्ध समिति उस योजना के अनुसार करे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति का भी समिति द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

(३) संस्था के लेखे की परीक्षा एक अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा की जाये। लेखा परीक्षक यह भी प्रमाणित करेंगे कि स्वीकृत अनुदान एवं ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और अवस्थाओं के अनुसार प्रयुक्त किया गया है अथवा नहीं। इसके पश्चात् सम्बन्धित राज्य के महालेखा परीक्षक कहीं कहीं इसकी परीक्षा करेंगे।

२. राज्य सरकारों की संस्थाओं के मामले में जो स्वीकृत अनुदान और ऋण हैं वह पंचवर्षीय योजना के अधीन परियोजनाओं के लिए है और राज्य सरकारें अपने सामान्य नियमों तथा विनियमों के अनुसार इन पर खर्च करती हैं।

बम्बई का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†४८८. **श्री पांगरकर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई की भूतत्वीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन मिल गया है जो कि १९५७-५८ में समाप्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). १९५७-५८ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने खनिज पदार्थों का जो अनुसन्धान किया उसके प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं और वे एकत्र किये गये नमूनों के अन्य कई प्रकार के अनुसन्धान हो जाने के बाद प्राप्त होंगे।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनुसन्धान की प्रतियां कार्यकाल में सभा-पटल पर नहीं रखी जाती हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य विशेष अभिरुचि रखते हों तो मैं उन्हें १९५७ के कार्यकाल में बम्बई राज्य में किये गये कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार होने पर उन्हें भेज दूंगा। जब एक क्षेत्र में कार्य पूरा हो जायेगा तो ये प्रतिवेदन संस्मरणों के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में माध्यमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था

†४८९. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए बम्बई सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था करने की कितनी योजनायें प्रस्तुत की हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) दस।

(ख) १९५७-५८ तक ४६,७३,५१४ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है और १९५८--६१ में २ करोड़ रुपये की मंजूरी देने का विचार है।

बम्बई में समाज सेवा कैम्प

†४९०. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३५ के उत्तर के सम्बन्ध में १९५७-५८ में बम्बई में लगाये गये श्रम तथा समाज सेवा कैम्पों के परीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: १९५७-५८ में बम्बई राज्य में जो १५५ कैम्प लगाये गये उनमें से केवल ९९ कैम्पों के परीक्षित लेखे अभी तक उपलब्ध हुए हैं। ये लेखे कई सौ पृष्ठों में लिखे हुए हैं इसलिए उन्हें सभा-पटल पर रखना सम्भव नहीं होगा। लेखे के कुछ भाग सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]

बम्बई में टैक्नीकल शिक्षा

†४९१. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भायतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद् ने बम्बई राज्य के लिये टेक्नीकल शिक्षा की कोई योजनायें अनुमोदित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]

बम्बई राज्य में विज्ञान मन्दिर

†४९२. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में किन स्थानों पर विज्ञान मन्दिरों की स्थापना की गई है अथवा की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: एक विज्ञान मन्दिर अमरावती में स्थापित किया जा रहा है।

१९५८-५९ में इस राज्य में दो और विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जाने की संभावना है और उन के स्थानों के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श कर के निश्चय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सेवाओं में पाकिस्तानी

†४९३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सशस्त्र बलों और युद्ध सामग्री कारखानों में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन काम कर रहे हैं ; और

(ख) उन की सेवा की शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी

†४९४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में कितने ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजन पकड़े गये जो पश्चिमी बंगाल में अपने आप को भारतीय नागरिक बता कर रह रहे थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** जुलाई, १९५८ की समाप्ति तक कलकत्ता और हुगली जिलों में क्रमवार २,४५६ और १० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का पता चला जो अपने आप को भारतीय नागरिक बता कर रह रहे थे । शेष जिलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि'

†४९५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि का संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के बारे में अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में रचना समिति के प्रतिवेदन के बारे में क्या प्रगति की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् उन सिफारिशों से सहमत थी जो रचना समिति के प्रतिवेदन में दी गई थीं और उसने प्रतिवेदन महासभा को भेज दिया है । महासभा ने १५ अक्तूबर, १९५८ को समिति के प्रतिवेदन में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार विशेष निधि की स्थापना करते हुए एक संकल्प पारित किया था ।

भारत-पाक वित्तीय विवाद

†४९६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री, १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक वित्तीय विवादों का निबटारा करने के हेतु एक बैठक का आयोजन करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह तिथि कौन सी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

तेल के लक्ष्य

†४९७. श्री राम कृष्ण : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत तेल के मामले में स्वावलम्बी होने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). अपरिष्कृत तेल के मामले में हम स्वावलम्बी तभी हो सकते हैं जब कि देश में अपरिष्कृत तेल के पर्याप्त निक्षेप उपलब्ध हों। इस बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं और पंजाब, राजस्थान, कम्ब-कछ, गंगा घाटी, पश्चिमी बंगाल, और आसाम में तेल की खोज हो रही है। इन प्रयत्नों के परिणामों का पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

कोयला संसाधन

†४९८. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला संसाधन के विकास, उपयोग तथा संरक्षण के बारे में भारत की कोयला परिषद् द्वारा हाल ही में दिये गये सुझावों पर विचार कर के उन पर अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय की रूप रेखा सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या कोयला परिषद् द्वारा स्थापित की गयी समितियां अस्थायी होंगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). कोयला परिषद् के सुझावों पर सरकार ने विचार किया है। जो निश्चय किया गया उस की रूपरेखा यह है :—

विकास तथा संरक्षण : तृतीय योजना काल में १० करोड़ टन का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित कर के कोयले के उत्पादन की योजना अभी से तैयार करनी शुरू कर देनी चाहिये ।

कोयले वाले क्षेत्रों के भू-तत्वीय सर्वेक्षण और कोयले की खोज के लिये प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर दिया जाये ।

यह हिसाब लगाया जाये कि १० करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिये कितने अतिरिक्त टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपयोग : देश में कोयला संसाधनों के उपयोग में बचत और कार्यकुशलता के उपाय ढूंढ़ने के लिये एक ईंधन कार्यकुशलता समिति नियुक्त की जाये ।

उपरोक्त निर्णय कार्यान्वित किये जा रहे हैं। ईंधन कार्यकुशलता समिति स्थापित की जा चुकी है और इस की दो बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) समितियों के निर्देश पद बड़े विस्तृत हैं। इसलिये यह सम्भव है कि समितियां काफी समय तक चलेंगी ।

विज्ञान मन्दिर

४९९. **श्री पद्म देव :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत कितना व्यय किया गया है और उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या काम किये जा चुके हैं ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : विज्ञान मन्दिरों पर यह खर्च हुआ है :—

१९५६–५७	५२,६३२ रुपये
१९५७–५८	२९०,४९० रुपये

अभी तक देश के विभिन्न भागों में १८ विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये हैं। विज्ञान की ओर लोगों को ज्यादा सचेत करना ही इन का खास काम रहा है ।

सिकन्दराबाद में खनन संस्था

†५००. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद में खनन संस्था को १९५८–५९ के लिये कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये कठिनाई होती है क्योंकि वह संस्था खान क्षेत्रों से बहुत दूर स्थित है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) कोठागुडियम और गुडूर में खनन संस्थाओं को १९५८–५९ के लिये केन्द्रीय सरकार ने १·९५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सम्बन्धित विद्यार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की है। इसमें कोई कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। सिकन्दराबाद में जो खनन पाठ्यक्रम अस्थायी तौर पर आरम्भ किया गया है वह कोठागुडियम में संस्था की इमारत बनते ही वहां स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों से ऋण

†५०१. श्री वें० प० नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दामानी :
श्री मोहमद इमाम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक देश से भारत सरकार को कुल कितना ऋण मिलने का वायदा किया गया है और इस ममय भारत पर प्रत्येक देश का कितना ऋण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८**]

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा पर हुआ खर्च

†५०२. श्री वें० प० नायर :
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त मंत्री की हाल ही की विदेश यात्रा पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: अभी हिसाव पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है क्योंकि अभी एक विदेशी मिशन से एक बिल और विमान के किराये का बिल भी प्राप्त किया जाना है। आशा है कि कुल खर्च ७९,३०० रुपये होगा।

जापान में भारतीय संस्कृति केन्द्र

†५०३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में एक भारतीय संस्कृति केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की गतिविधियों का क्षेत्र क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि पूर्वी एशिया में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोला जाये परन्तु उस के स्थान, स्थापना की तिथि और वित्त के बारे में कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

विदेशी पूंजी विनियोजन

†५०४. **श्री कोडियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८—१९५८ के दस वर्ष में भारत में पूंजी का विनियोजन करने के बारे में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). १९४८--१९५८ के दस वर्ष में भारत में पूंजी का विनियोजन करने के बारे में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है। १ जनवरी, १९४८ से ३० जून, १९५८ तक भारत में पूंजी का विनियोजन करने की ९७६ मंजूरियां दी गई थीं। इस अवधि में १७० प्रार्थनायें अस्वीकृत की गईं।

राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र

†५०५. { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने आधारभूत शिक्षा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इन केन्द्रों का प्रबन्ध और उन की वित्त व्यवस्था सरकार ही करती है ;

(ग) यदि नहीं तो इन केन्द्रों को चलाने में कौन सी संस्थायें सहायता देती हैं अथवा हाथ बटाती हैं ; और

(घ) ये संस्थायें किस प्रकार की सहायता करती हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक।

(ख) जी हां। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विज्ञान मन्दिर

†५०६. { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८ में, अब तक, कोई नया विज्ञान मन्दिर स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मन्दिरों की संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं।

(ग) क्या इन मन्दिरों में कर्मचारियों और उपकरण की पूरी व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) दो ; एक नीलोखेड़ी (जिला करनाल, पंजाब) और दूसरा रणवीरसिंह पुरा (जिला जम्मू, जम्मू तथा काश्मीर) में।

(ग) जी नहीं।

(घ) कर्मचारियों को भर्ती करने और उपकरण प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण ?

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†५०७. { श्री रा० च० मांझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर वैज्ञानिक सस्थाओं तथा अन्य ऐसी संस्थाओं को टैकनीकल सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्था किस प्रकार की टैक्नीकल सहायता देती है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये वह कोई शुल्क प्राप्त करती है ;

(घ) यदि हां, तो यह शुल्क किस प्रकार निर्धारित तथा वसूल किया जाता है ; और

(ङ) क्या देश में अन्य गैर-सरकारी औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं को भी यह सहायता दी जाती है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर टैक्नीकल प्रयोग, गवेषणा कर के और मंत्रणा तथा विशेष प्रशिक्षण दे कर वैज्ञानिक संस्थाओं तथा अन्य ऐसी संस्थाओं को टैक्नीकल सहायता करती है ।

(ग) और (घ) : यह संस्था परामर्श देने के लिये और बोर्ड आफ गवर्नर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रयोग करने के लिये शुल्क लेती है। शुल्क साधारण तरीके से निर्धारित किया जाता है जिस से सामग्री, परिश्रम और उपकरण के प्रयोग का खर्च वसूल हो जाये। शुल्क की वसूली बिल भेज कर की जाती है ।

(ङ) यदि संस्था के लिये अपना शिक्षा का कार्य जारी रखते सम्भव हो तो वह देश की गैर-सरकारी औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं को भी यह सुविधायें देती है ।

पूंजी विनियोजन केन्द्र की स्थापना

†५०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकन अर्थशास्त्री तथा वित्तीय विशेषज्ञ प्रो० हैरी जे० रौबिनसन ने भारत सरकार को एक पूंजी विनियोजन केन्द्र की स्थापना करने का सुझाव दिया है जिस से कि विदेशी पूंजी के विनियोजन को बढ़ाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) : प्रो० हैरी जे० रौबिनसन ने, जो अमरीका के स्टैनफोर्ड गवेषणा संस्था वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हैं और जो फोर्ड प्रतिष्ठान की ओर से भारत आये थे, भारत सरकार के सहयोग से एक औद्योगिक विकास तथा सूचना केन्द्र की

†मूल अंग्रेजी में ।

स्थापना करने का सुझाव दिया था। इस केन्द्र का एक उद्देश्य यह भी होगा कि विदेशी पूंजी का विनियोजन कर के और टैक्नीकल जानकारी प्राप्त कर के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में वांछित उद्योग क्षेत्रों में औद्योगिक विकास किया जाये। सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है।

उड़ीसा में चूने के पत्थर के निक्षेप

†५०९. **श्री पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में चूने के पत्थर और अभ्रक के नये निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने हाल ही में चूने के पत्थर और अभ्रक के किन्हीं निक्षेपों का पता नहीं लगाया है। उड़ीसा सरकार के खनन निदेशालय ने हाल ही में बताया था कि कोरापट के उम्पावल्ली-तुन्मीगुदा क्षेत्र में चूने के पत्थर और बीपपुर, कोरापट के तेन्तुलीखुंटी क्षेत्र और कालाहांडी जिला में कोकसोरा और अयापथ स्थानों पर अभ्रक के निक्षेप मिले हैं।

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि

†५१०. **श्री राम कृष्ण** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि, नई दिल्ली में टैक्नीकल कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). नहीं श्रीमान। वीथि की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए टैक्नीकल कर्मचारी पर्याप्त हैं, जब इसकी गतिविधियां बढ़ जायेंगी और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना उचित होगा तो वृद्धि कर दी जायेगी।

रत्नगिरी पहाड़ी पर खुदाई

†५११. **श्री पाणिग्रही** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिला में रत्नगिरी पहाड़ी पर जो पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई की गई उसमें क्या वस्तुएं मिली हैं ; और

(ख) क्या १९६०-६१ तक उड़ीसा में इस प्रकार की कोई और खुदाई करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) सब से अधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु मिली वह ईंटों से बना हुआ एक स्तम्भ था। इस स्तम्भ के आस पास के

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र में और कई छोटे बड़े स्तम्भ थे और स्तम्भ के इर्द गिर्द के खंडहरों में कई छोटी बड़ी बौद्ध मूर्तियां और शिलायें मिलीं जिन पर बौद्ध धर्म और 'धारणी' का पाठ खुदा हुआ था।

(ख) आगे और स्थानों पर खुदाई करने का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है।

मैसर्ज होचीफ गैमन को ठेका

†५१२. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज होचीफ गैमन, बम्बई को दिये गये ठेके में 'कार्य के स्थान का पर्यवेक्षण तथा उपकरण का किराया' शीर्षक वाले १·५७ करोड़ रुपये के मद का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्य स्थान के पर्यवेक्षण में कौन-कौन से काम शामिल हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य कारखाने में ऐसे कामों के लिए अन्य ठेकेदारों को भी इस प्रकार का भुगतान किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १·५७ करोड़ रुपये इन कामों के लिए दिये गये हैं :—

	राशि (लाख रुपयों में)
पर्यवेक्षण कर्मचारियों पर खर्च	६७.३४
श्रमिकों के लिए रहने का स्थान, और श्रमिकों का बीमा आदि .	११.२०
संयंत्र का किराया	५०.००
भाड़ा, सामान को इधर उधर ले जाने का खर्च, और अन्य छोटे मोटे खर्च	२८.००

कुल १५६.५४ लाख रुपये या १.५७ करोड़ पये।

(ख) 'कार्य स्थान के पर्यवेक्षण' का अर्थ है उस स्थान पर हो रहे निर्माण कार्य का लगातार पर्यवेक्षण करना और निर्माण में काम आने वाली मशीनों को चलाना।

(ग) रूरकेला इस्पात कारखाने के अन्य भागों की सिविल इंजीनियरिंग संविदाओं में इस काम के लिए विशेष रूप से कोई भुगतान नहीं किया गया है। परन्तु इसे कुल भुगतान में शामिल कर लिया गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†५१३. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५७ तक देश में उच्च न्यायालयों के कितने ऐसे न्यायाधीश नियुक्त किये गये जो नियुक्ति से पूर्व किसी राजनैतिक दल के सदस्य थे; और

(ख) राजनैतिक दलों के अनुसार की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश केवल योग्यता के आधार पर संविधान में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रायः सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के कहने पर और भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके नियुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता कि वे किन राजनैतिक दलों के थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी समितियां

†५१४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **गृह- कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई कितनी समितियां इस समय कार्य कर रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी समितियों में संसद् सदस्यों को रखा गया है; और

(ग) प्रत्येक समिति में कौन-कौन से संसद् सदस्य हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) नौ ।

(ख) चार ।

(ग)

समितियां	संसद् सदस्य
१ दिल्ली मंत्रणा समिति	१. श्री राधा रमण २. श्री नवल प्रभाकर ३. श्रीमती सुचेता कृपालानी ४. श्री सी० के० नायर ५. श्री ओंकार नाथ ६. श्री ब्रह्म प्रकाश ७. मिर्ज़ा अहमद अली
२. मनीपुर मंत्रणा समिति	१. श्री ले० अचौ सिंह २. श्री रुंग सुंग सुइसा ३. श्री एल० ललित माधोब शारी
३. त्रिपुरा मंत्रणा समिति	१. श्री दशरथ देब २. श्री बांगशी ठाकुर ३. श्री अब्दुल लतीफ
४. हिमाचल प्रदेश मंत्रणा समिति	१. श्री जोगेन्द्र सेन मंडी २. श्रीमती लीला देवी ३. श्री आनन्द चन्द ४. श्री पद्म देव ५. श्री नेक राम नेगी

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के १९५८–५९ का आयव्ययक

†५१५. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के सभापति ने परिषद् के १९५८-५९ के आयव्ययक को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) परिषद् को बताया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ३६ के अधीन ७८.१८ लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगरताला में सरकारी क्वार्टर

†५१६. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरताला और त्रिपुरा के सब डिवीज़नों में सरकारी कर्मचारियों के लिए १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कितने क्वार्टर बनवाये गये हैं;

(ख) उनमें से अधिकारियों के लिए कितने हैं और कर्मचारियों के लिए कितने;

(ग) उन क्वार्टरों के बनवाने में कुल कितनी लागत लगी;

(घ) क्या वास्तविक लागत आयव्ययक में उपबन्धित राशि से अधिक लगी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

- †**गृह-कार्य मंत्रालय में-राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५७-५८ में ८४ क्वार्टर बने थे और १९५८-५९ में ८१ क्वार्टर अभी बन रहे हैं ।

(ख) ७३ पदाधिकारियों के लिए और ९२ कर्मचारियों के लिए हैं ।

(ग) १४,४५,०८०.०० रुपये ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कौशाम्बी में प्राप्त वस्तुएं

†५१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में खुदाई की क्या प्रगति है;

(ख) क्या वहां हड़प्पा से मिलती जुलती कुछ पुरातत्वीय वस्तुयें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन प्राप्त वस्तुओं का ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) खुदाई में ऐतिहासिक महत्व की बहुत सी छोटी-छोटी चीजें मिली हैं, जिन में से पकवमृद्[1], विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन में सब से अधिक महत्वपूर्ण भूरे तथा काली पालिश वाले बर्तनों पर मनुष्यों के सर तथा हड्डी और लोहे के बने हुए तीरों के अग्रिम भाग हैं। इस वर्ष प्रागतिहासिक निक्षेप के अतिरिक्त इतिहास के प्रारम्भ होने के समय से लेकर पांच मुख्य कालों की जानकारी एवं भूरे रंग की मिट्टी के बढ़िया बर्तन एवं चित्रों के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं ।

(ख) प्राप्त वस्तुओं की जांच की जा रही है और फिलहाल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

†५१३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय पर्वतारोहण संस्था में इस समय कितने छात्र हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Terracottas.

(ख) क्या प्रशिक्षण दिये जाने वाले लोगों का चुनाव करने की कोई कसौटी है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). हिमालय पर्वतारोहण संस्था वर्ष में चार बेसिक पाठ्यक्रम चलाती है जिन में से प्रत्येक की अवधि छः सप्ताह होती है। एक बार के पाठ्यक्रम में सामान्यतः २४ छात्र होते हैं। चालू पाठ्यक्रम में जो १ नवम्बर, १९५८ से आरम्भ हुआ था २६ छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं। अब तक प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में सामान्यतः निर्णय संस्था स्वयं करती है किन्तु प्रशिक्षण में शामिल किये जाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिये संस्था द्वारा निर्धारित मान के अनुसार शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिये। नवम्बर, १९५४ से जब से यह संस्था खुली है, १५ बेसिक पाठ्यक्रम चला चुकी है जिस में २९४ छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

शिक्षा मंत्रालय में कर्मचारी

†५१९. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट और क्लर्कों के स्थानों के कितने प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित हैं;

(ख) अभी तक इनको न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†५२०. श्री दलजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त मंत्रालय में असिस्टेंट और क्लर्कों की संख्या कितनी है और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये कितने प्रतिशत स्थान रक्षित हैं ;

(ख) अभी तक रक्षित स्थानों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थानों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये रक्षित स्थानों की पूर्ति गृह-कार्य मंत्रालय के ज्ञापन संख्या ४२/२१/४९-एन० जी० एस०, दिनांक २८ जनवरी, १९५२ में निर्धारित संख्या के अनुसार की जाती है, जिसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्कों की प्रत्यक्ष भर्ती नहीं की जाती है। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्कों के वेतन क्रम में इस मंत्रालय द्वारा स्थान रक्षित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। लोअर डिवीजन के क्लर्कों की सीधी भर्ती अवश्य की गई थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कुछ स्थान खाली हैं जिन को उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने तथा लोअर डिवीजन के क्लर्कों की और भर्ती करने पर प्रतिबन्ध होने के कारण नहीं भरा जा सका।

(ग) और नई भर्ती पर प्रतिबन्ध हट जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र।

उड़ीसा में अनुसूचित जतियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†५०१ **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बसाई गई बस्ती और मकान कितने गैर अनुसूचित जाति और आदिम जाति के परिवारों को मकान आवंटित किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मांगी गई जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में कोयला

†५५२. **श्री आसर** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के उस्मानाबाद जिले की उम्बरगा तहसील के केराली गांव के आस-पास काफी कोयला निक्षेप पाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयले की खानों का पता लगाने के लिये एक छिद्रण दल भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं। सारी उम्बरगा तहसील दक्षिणी चट्टानों से घिरा हुआ है और इस क्षेत्र में कोयला मिलने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण

५२३. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण जनता को कब उपलब्ध किया जायेगा ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस): भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण सरकार द्वारा उस की कीमत का निर्णय हो चुकने के बाद तुरन्त जनता को उपलब्ध हो जायेगा। कीमत नियत करने में कई एक मंत्रालयों का हाथ है इसलिये देर हो रही है। आशा की जाती है कि यह निर्णय बहुत जल्दी हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में स्मारक

†५२४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के संघ क्षेत्र में कितने रक्षित स्मारक हैं; और

(ख) क्या छावनी में कांगला और गोविन्दागी मन्दिर रक्षित स्मारकों में आते हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) एक ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि, नई दिल्ली

†५२५. सरदार इकबाल सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथि, नई दिल्ली द्वारा १९५८ में अब तक कितने रंग चित्र और पत्थर पर खुदे चित्र प्राप्त किये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक के लिये कितना मूल्य दिया गया ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) २८ रंग चित्र और ३ पत्थर पर खुदे चित्र ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]

बम्बई को लोहे और इस्पात का संभरण

†५२६. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई को १९५८–५९ में लोहे और इस्पात का कितना कोटा आवंटित किया गया है तथा उक्त काल में अब तक वास्तव में कुल कितनी मात्रा में उसका संभरण किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : बम्बई राज्य को १-४-५८ से ३०-९-५८ के बीच १५,४११ टन कच्चा लोहा और ४१,०६८ टन इस्पात आवंटित किया गया था जिस में से ३०-९-५८ को २३,०४४ टन इस्पात भेज दिया गया है। कच्चा लोहा कितना भेजा गया इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†५२७. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सहायता से १९५७–५८ में अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकान बनवाये गये हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : अब तक उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२] आसाम, बम्बई, जम्मू

†मूल अंग्रेजी में

तथा काश्मीर, केरल, मैसूर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से अभी प्रगति संबंधी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है ।

मानक समिति[1]

†५२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानक समिति का मुख्य प्रयोजन और उस के कार्य क्या हैं;

(ख) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति ने अब तक क्या काम किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) (१) उपरकरण का विनियमन करना ।

(२) प्रत्येक सेवा में काम करने वाले लोगों द्वारा उपकरण की किस्मों और मात्रा में अधिकतम कमी करना ।

(३) संयुक्त सेवा के मानक की नीति निर्धारित करना ।

(४) अन्य राष्ट्रीय मानक संगठनों के बीच सम्पर्क स्थापित करना ।

(ख) सभापति

प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता ।

सदस्य

चीफ आफ दि जनरल स्टाफ, सेना मुख्यालय; चीफ आफ मैटीरियल, नौवहन मुख्यालय; एयर आफिसर इन्चार्ज, टैक्नीकल एण्ड इक्वीपमेंट सर्विसेज, विमान मुख्यालय; वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) के अतिरिक्त वित्तीय परामर्शदाता ।

(ग) इस समय समिति तथा उस की उपसमितियां तीनों सेवाओं में जो उपकरण काम में आते हैं उन की कुल संख्या में कमी करने की दृष्टि से उन की जांच कर के एक सूची तैयार करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है ।

राजस्थान में चोरी-छिपे लाई पकड़ी गईं वस्तुएं

†५२९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक चोरी-छिपे लाई वस्तुओं का जिन में सोना और जवाहिरात भी शामिल हैं, अलग-अलग कितना मूल्य था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	पकड़ा गया सोना	पकड़े गये जवाहिरात	पकड़ा गया अन्य सामान
	(रुपयों में मूल्य)	(रुपयों में मूल्य)	(रुपयों में मूल्य)
१९५७–५८	८,७७,१०४	कुछ नहीं	९,६०,४०६
१९५८–५९ (३१ अक्तूबर १९५८ तक)	१४,०८,१२१	कुछ नहीं	२,३२,०६५

†मूल अंग्रेजी में

[1]Standardisation Committee.

अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†५३१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के प्रत्येक जिले में १९५६–५७ और १९५७–५८ में दी गई केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अलग कितने मकान और बस्तियां बसाई गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये १९५७–५८ में आवंटित कुछ राशि व्ययगत हो गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की राशि व्ययगत न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) पजाब में १९५६–५७ और १९५७–५८ में प्रत्येक गांव में बनाये गये मकानों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]** जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकारों को अनुदान देने के लिये नई प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके अनुसार राज्य सरकारों को तीन चौथाई केन्द्रीय सहायता नौ बराबर मासिक किश्तों में मिला करेगी जो मई से आरम्भ होगी जिसका अन्तिम भुगतान प्रथम तीन तिमाहियों में हुये वास्तविक व्यय के आधार पर करना होगा जिसका अन्तिम समायोजन अगले वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष को दृष्टिगत रखते हुये वास्तविक के अनुसार किया जायेगा। राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं को अपने वित्त विभाग की सहमति से और भारत सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यान्वित कर सकती हैं। इसके अनुसार उन्हें उसी वर्ग की एक योजना के स्थान पर दूसरी योजना के लिये पुनर्विनियोजन करने का अधिकार भी मिल गया है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†५३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में १९५६–५७ और १९५७–५८ में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि से अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये बसाई गई बस्तियां और बनाये गये मकान गैर-अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों को दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य में (जिले वार) ऐसे कितने मामले हुये हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय प्रशासकीय सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०४९/५८]

संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं संस्कृत आयोग, १९५६-५७ के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०५०/५८]

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को, प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

१. श्री खुशवक्तराय
२. श्री बाली रेड्डी
३. श्रीमती मैमूना सुल्तान
४. श्री रामेश्वर राव
५. श्री जार्ज थामस कोट्टुकप्पली
६. श्रीमती मंजुला देवी
७. श्रीमती राज्य लक्ष्मी
८. श्री बाला साहेब पाटिल
९. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
१०. श्रीमती केसर कुमारी
११. श्री कृ० गु० देशमुख
१२. श्री लक्ष्मण सिंह
१३. कुवरानी विजय राजे

मैं समझता हूं कि समिति की सिफारिशों से सभा सहमत है। सदस्यों को तदनसार सूचित कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : ९ सितम्बर, १९५८ को श्रीमती इला पालचौधरी तथा चार अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर में माननीय श्रम उपमंत्री ने बताया था कि :

> "फेडरेशन के, जिसके प्रतिनिधि हम से मिले थे, उपाध्यक्ष ने हमें लिखा है कि यह प्रश्न स्वयं क्षेत्रों द्वारा ही तय किये जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।"

अखिल भारतीय पेट्रोलियम कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने, जिनमें मैं भी था, भारत सरकार से निवेदन किया था कि एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया जाये । बाद में २५ अगस्त, १९५८ को बम्बई से मैंने श्री गुलजारी लाल नन्दा को एक पत्र लिखा था; उसमें भी मैंने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की मांग की थी। मैंने अपने २५ अगस्त के पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि फेडरेशन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति ही चाहता है और तेल कम्पनियां कुछ क्षेत्रीय बातचीत शुरू करवा के सारी मांग को ही गड़बड़ कर देना चाहती हैं। उस पत्र के बाद ही माननीय मन्त्री ने इस प्रश्न का उत्तर सभा में दिया था। माननीय उपमंत्री ने प्रश्न के उत्तर में सभा में बताया कि मैंने सरकार को लिखा है कि सरकार इस प्रश्न को क्षेत्रों द्वारा ही तय होने के लिए छोड़ दे। पर, मैंने जो कुछ लिखा था और फेडरेशन की जो मांग है, यह बात उसके बिल्कुल विपरीत है ।

मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया है उसके द्वारा उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप सा लगाया है। मैंने जो कुछ लिखा था उसके बजाय माननीय उपमंत्री ने सभा में यह बताया कि मैंने उन्हें लिखा है कि मामला क्षेत्रों में तय होने के लिये छोड़ दिया जाये । यह बात गलत है । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय उपमंत्री अपने वक्तव्य को शुद्ध करें ताकि पेट्रोलियम कर्मचारियों में जो ग़लत-फ़हमी पैदा हो गई है वह दूर हो जाये ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने २५ अगस्त को श्रम और रोजगार मंत्री के नाम जो पत्र भेजा था उसका अभिप्राय मैंने यही समझा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि वेतन बढ़ाने आदि, का प्रश्न क्षेत्रों पर ही तय होने के लिये छोड़ दिया जाये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : पत्र के तीसरे पैरे में बात स्पष्ट कर दी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पत्र में स्वयं सुझाव दिया था कि यदि तेल कम्पनियां ऐसा ही करती रहेंगी तो विभिन्न दल अपने मार्गों का अनुसरण करेंगे ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : माननीय उपमंत्री ने सभा में कहा कि मैंने उन्हें लिखा था कि मामला तय होने के लिए क्षेत्रों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, यह बात सही नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो अब क्या किया जा सकता है ? न तो फेडरेशन और न ही कम्पनियां उनके हाथ में है । सरकार बीच बचाव करने की कोशिश कर ही रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : माननीय मन्त्री अपनी गलती के लिए खेद प्रकट करें ।

†**श्री आबिद अली** : किस गलती के लिए ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पत्र में जो बात नहीं थी उस बात का उल्लेख करने के लिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री ने सभा में बताया कि मैंने यह बात पत्र में लिखी थी, जबकि पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को उत्तरों की शुद्धि के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वक्तव्यों की सीमा को समझना चाहिये यदि कोई माननीय सदस्य समझते हैं कि माननीय मंत्री ने शुद्ध उत्तर नहीं दिया है या पत्र का अर्थ भिन्न समझा है तो वे इस बात को सभा के सामने रख सकते हैं ; फिर मैं माननीय मंत्री को सूचना देता हूं कि वे समय पर उपस्थित रहें और स्थिति को स्पष्ट करें । इस मामले में दोनों ओर से सफाई दे दी गई है अतः अब हमें इस को समाप्त करके आगे की कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिये ।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त मंत्री द्वारा २५ अगस्त, १९५८ को भारत के जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये ।"

श्रीमान्, इस स्तर पर मैं कोई लम्बा चौड़ा वक्तव्य नहीं देना चाहता क्योंकि सरकार के विचार मूल प्रस्ताव के समय भली भांति प्रकट किये जा चुके हैं । अब यह वक्तव्य तीन महीने से अधिक अवधि से जनता तथा माननीय सदस्यों के सम्मुख आ चुका है । इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की कटु आलोचना नहीं हुई । इसलिये मैं इस समय कोई विशेष बातें नहीं कहना चाहता । माननीय सदस्य इस नीति के बारे में जो भी सुझाव रखेंगे सरकार उन पर भली भांति गौर करने को तैयार है और यदि आवश्यकता हुई तो वह तदनुसार उचित परिवर्तन करने को भी तैयार है ।

इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि भारत का जीवन बीमा निगम अपनी विनियोजन नीति को इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि समूची जाति का भला हो सके । इसके बारे में कुछ लोगों ने यह सन्देह प्रकट किया है कि इससे निगम सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने के लिये ऐसी योजनाएं चालू कर सकती है जो कि बीमा पत्रधारियों की दृष्टि से अधिक उपयोगी न हों । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि निगम द्वारा किया जाना वाला प्रत्येक विनियोजन इस आधार पर निहित रहता है कि उससे निगम को लाभ हो तथा निगम की राशि को अधिक खतरा न हो । इस लिये निगम की विनियोजन नीति को जनता के भलाई के साथ सम्बद्ध करने में किसी प्रकार का संशय करना व्यर्थ है । पिछले तीन महीने से निगम को इस नीति का अनुसरण करने में कोई कठिनाई नहीं अनुभव हुई है । अब निगम ने अपनी एक विनियोजन समिति भी बना ली है और उसे भावी विनियोजन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है । अन्त में मैं सभा को एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार सदस्यों द्वारा रखे जाने वाले सुझावों पर विचार करने के लिये हर प्रकार से तैयार है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट) : मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने हमें जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया है । आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम की निधियों का कैसे विनियोजन किया जाये ? हमारे देश

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

की मुद्रा प्रणाली में आज एक क्रान्ति आ चुकी है। २४० जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से देश में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज सरकार के पास अनेक दिशाओं से धन का आगमन हो रहा है। उसे यह सोचना है कि इस अपार राशि को देश के हित के लिये कैसे प्रयोग किया जाये? निगम के पास प्रतिवर्ष ३५ से ४० करोड़ रुपये विनियोजन के लिये आते हैं। रिजर्व बैंक तथा भविष्य निधि व राज्य बैंक आदि से भी विनियोजन के लिये काफी राशि उपलब्ध होती है। अगर इन सब राशियों का बुद्धिमता से इस्तेमाल किया जाये तो देश के आर्थिक विकास में बड़ी भारी सहायता मिल सकती है। सबसे पहले हमें बीमा पत्र-धारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिये। दूसरे हमें गिल्ट एज्ड तथा इक्विटी मार्किटों में स्थिरता लाने का सदा ध्यान रखना चाहिये। हमें प्रत्येक निधि का इस प्रकार विनियोजन करना चाहिये कि उससे बीमा कर्ताओं को अधिक से अधिक लाभ हो सके। हमें सुरक्षित क्षेत्रों में रुपया लगाने की अधिक चिन्ता न कर ऐसे क्षेत्रों में रुपया लगाने का प्रयास करना चाहिये जिनमें कि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं समझता हूं अब हमें धारा २७ क की यह शर्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं कि ५० प्रतिशत निधि अवश्य परम-प्रतिभूतियों में लगाई जाये। इस संबंध में हमें प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार पृथक् अनुपात निश्चित करना चाहिये। हमें अगले ७ वर्षों में लगभग २०० करोड़ रुपये चाहियें। उसमें से कुछ राशि हमें भविष्य निधि से भी मिल जायेगी। इस लिये हमें परम-प्रतिभूतियों को स्थिर रखने के लिये अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

इसके अलावा इस नीति वक्तव्य में यह कहा गया है कि ३५ प्रतिशत निधि अनुमोदित विनियोगों में लगाई जायेगी। मेरा निवेदन है कि हमें अनुमोदित विनियोगों का संवरण भी इस दृष्टि से करना चाहिये कि उनमें लगाये जाने वाले रुपये से अधिकतम लाभ हो सके। शेष १५ प्रतिशत राशि को हम अन्य क्षेत्रों में लगा सकते हैं।

प्रतिवर्ष जीवन बीमा राशि के बढ़ते जाने की सम्भावना है। यह राशि उन लोगों से आयेगी जो लगभग साम्य आधार पर पूंजी का विनियोग करते हैं। इस लिये हमें भी इस पूंजी का साम्य विनियोगों में विनियोजन करना चाहिये। सरकारी क्षेत्र की वार्षिक विनियोजन मांग लगभग २०० करोड़ रुपये है। निजी क्षेत्र की भी लगभग इतनी मांग होगी। इसलिये निगम को प्राइवेट लोगों से मिलने वाली राशि को अधिकाधिक प्राइवेट क्षेत्र में लगाने का प्रयास करना चाहिये। इसे नये उद्योगों के लिये साहस करने वाले व्यक्तियों को हर प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि स्कन्ध विपणि में भी दृढ़ता तथा शक्ति आ सके।

निगम को कुछ व्यवहार नियम बनाने चाहियें। इसे कम्पनियों पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से कभी अंश नहीं खरीदने चाहियें। इसका प्राइवेट कम्पनियों पर कब्जा जमाने के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

पिछले दो वर्षों से जीवन बीमा निगम ने कितने विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग किया है? लोगों में यह धारणा फैल रही है कि निगम केवल बम्बई और कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्रों में ही चि रखता है। यह शेष क्षेत्रों में कोई पूंजी नहीं लगाना चाहता। माननीय मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार की भावना नहीं फैलने देनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वह इस वाद विवाद के अंत में लोक-सभा के पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करें जिसमें यह दिखाया गया हो कि पिछले दो वर्षों में निगम ने देश के किन-किन भागों में किन-किन उद्योगों में कितना रुपया लगाया है।

इतने बड़े निगम का कार्य दक्षता से चल सके इसके लिये यह बड़ा आवश्यक है कि इस पर उचित अधीक्षण रहे तथा साथ ही इसको प्रतियोगिता के आधार पर चलाया जाये। हमें राष्ट्रीयकरण के उपरान्त भी परिमित रूप से अन्य कम्पनियों को जीवन बीमा का कार्य करने की अनुमति प्रदान कर ी चाहिये। ताकि निगम में प्रतियोगिता की भावना से काम करने की स्फूर्ति बनी रहे। इन कम्पनियों को परस्पर मुकाबला करने की हम चाहे अनुमति न दें। इसके लिये हमें इस निगम को पांच विभिन्न निगमों में बांट देना चाहिये। इससे हमें पता चल सकेगा कि कोई निगम कित ी दक्षता से कार्य कर रहा है।

वक्तव्य में यह कहा गया है बीमा नियंत्रण के पास निगम के सभी विनियोगों के आंकड़े तथा सूचना रहेगी। मेरा निवेदन है कि यह सूचना तुरन्त संसद् के पास भेजी जानी चाहिये ताकि वह निगम पर ठीक प्रकार से नियंत्रण रख सके। इससे संसद् निगम में अधिक दिलचस्पी ले सकेगी तथा उसे पता चलता रहेगा कि जीवन बीमा निगम राष्ट्रीयकरण के पीछे निहित उद्देश्यों को कहां तक प्रतिभूत कर रहा है तथा यह बीमा पत्रधारियों के हितों की कहां तक रक्षा कर रहा है?

अंत में मैं यह सुझाव रखूंगा कि गृहमंत्री को प्रति छः मास के पश्चात् निगम के कार्यक्रम के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखना चाहिये ताकि इसकी नीतियों का लगातार निरीक्षण होता रहे।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर): हमें दो बातों पर मुख्यतया विचार करना है। एक विनियोग नीति के बारे में और दूसरे उस नीति के अनुसार विनियोग करने के लिये उचित मशीनरी की स्थापना के बारे में।

विनियोग नीति के बारे में कुछ लोगों नें यह कहा है कि क्योंकि जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण योजना के लिये संसाधन उपलब्ध करने के लिये किया गया है इसलिये निगम की समस्त निधि को एक निश्चित ब्याज ले कर सरकार को दे देना चाहिये। सरकार उसे जहां उचित समझे लगाती रहे। किन्तु मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। निगम को अपनी स्वतंत्र विनियोग नीति निर्धारित करनी चाहिये। क्योंकि सरकार का निगम पर नियंत्रण रहेगा इस लिये निगम जो भी नीति अपनायेगा वह अवश्य प्रमुख योजना एवं सरकारी नीतियों के अनुकूल ही होगी।

अब मैं पुरानी धारा २७-क के बारे में कुछ कहूंगा। पुरानी धारा के अनुसार केवल १० प्रतिशत निधि साम्य अंशपूंजी में लगाई जा सकती थी किन्तु अब निगम को किसी भी कंपनी की अंशपूंजी अथवा ऋण पत्रों में ३० प्रतिशत राशि लगाने की अनुमति दी गई है। मैं समझता हूं यह प्रतिशत बहुत अधिक है। इससे निगम का कंपनियों पर बहुत नियंत्रण बढ़ जायेगा और गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां निगम की आश्रित कम्पनियां बन जायेंगी। इस सीमा को घटा कर १५ प्रतिशत कर देना चाहिये।

इस संबंध में मैं एक और बात कहना चाहता जब सरकार ने धारा २७क (४) का संशोधन किया है तब उसने धारा २७क(३) का संशोधन क्यों नहीं किया? इसका यह प्रभाव हुआ है कि जब पहले कोई भी बीमा कंपनी किसी बैंकिंग समवाय में २ प्रतिशत से अधिक राशि नहीं लगा सकती थी अब निगम १० अथवा १५ प्रतिशत तक राशि का विनियोग कर सकता है। इस धारा का संशोधन भी बड़ा आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिमल घोष]

निगम की नीति में प्राइवेट कम्पनियों में विनियोग करने की भी स्पष्ट उदघोषणा की जानी चाहिये। निगम को बीमापत्रधारियों के हितों के साथ-साथ समस्त जाति व देश की आवश्यकताओं एवं उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिये। इस संबंध में वित्त मंत्री को स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये कि अगर बीमा पत्रधारियों एवं जातिगत हितों में कहीं पर विरोध उठ खड़ा हुआ तो निगम की नीति किस को प्रधानता देने की होगी ?

नीति वक्तव्य में यह कहा गया है कि निगम को सट्टे बाजार में नहीं आना चाहिये किन्तु साथ ही यह कहा गया है कि मंदे के दिनों में वह स्कन्ध खरीद सकता है और तेजी में बेच सकता है। यह अगर सट्टेबाजी नहीं तो और क्या है ? मैं इस नीति का विरोध करता हूं। निगम को रिजर्व बैंक की तरह सब कुछ खुले बाजार में करना चाहिये और इसे परम प्रतिभूतियों में तथा साम्य अंशों में ही पूंजी विनियोग करना चाहिये। बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद १९५६ से प्राइवेट सेक्टर में विनिमय की राशि और भी बढ़ गई है और परम प्रतिभूतियों में कम हो गई है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये।

अब निगम ने बंधकों पर नये ऋण देना बंद कर दिया है। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ आया। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या निगम ने पुरानी रहन की प्रतिभूतियों पर नये ऋण देने बिलकुल बंद कर देने का निश्चय किया है ? यदि हां तो यह बात ठीक नहीं है। इन ऋणों को बंद नहीं किया जाना चाहिये। सभी देशों में इस प्रकार के ऋण दिये जा रहे हैं।

अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बीमा अधिनियम की धारा ६(२)(ख) के अन्तर्गत सरकार निगम के विनियोग के लिये कुछ मार्गदर्शक नियम बनाना चाहती है ? इस धारा में जिस विनियोग समिति तथा जिन नियमों के बनाने का उल्लेख किया गया है क्या सरकार उन पर अमल करना चाहती है ?

विनियोग मशीनरी तथा नीति के बारे में हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिये। पुरानी विनियोग समिति तथा मूंदड़ा के दृष्टांत से हमें सबक सीखना चाहिये और ऐसी मशीनरी बनानी चाहिये कि फिर ऐसी घटनाएं न घटित हो सकें।

निगम को केवल कुछ विशेष क्षेत्रों के हिस्सों में रुपया ही नहीं लगाना चाहिये उसे सारे देश के उद्योगों का ध्यान रखना चाहिये।

अब जो नई विनियोग समिति बनाई गई है उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कलकत्ता के पूंजी बाजार का विशेष ज्ञान हो। पहले वित्त मंत्री ने इस सभा में एक विधेयक रखना चाहा था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में पृथक्-पृथक् परामर्शदाता समितियां बनाई जायें। किन्तु उन्हें किन्हीं कारणों से वह विधेयक वापस लेना पड़ा था मैं समझता हूं हमें अब उस विधेयक की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि वह निगम के लिये बड़ी लाभकारी होगी। इन स्थानों के अतिरिक्त हम कानपुर और देहली में भी एक-एक समिति बना सकते हैं। स्थानीय मंडियों की स्थिति की जानकारी के लिये ऐसी समितियों का होना बड़ा लाभदायक रहेगा।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री मेरे इन सुझावों पर उचित रूप से विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन हिन्दुस्तान की सब से बड़ी पूंजीवादी संस्था है और धनवान से धनवान और गरीब से गरीब का रुपया इसमें लगा हुआ है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जो रुपया हम लगायें वह सोच समझ कर लगायें और देखें कि किस तरह से यह रुपया सुरक्षित रह सकता है, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा आमदनी इस रुपये पर हो सकती है। कुछ अर्सा हुआ मूंदड़ा कम्पनियों में बीमा कम्पनी का रुपया लगा और उसके द्वारा कुछ कम्पनियों के शेयर खरीदे गये और इसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस नुकसान को देखते हुए हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम इस मामले में और भी सतर्क रहें, और भी सचेत रहें।

जब सरकार ने जीवन बीमा निगम की स्थापना की तो उस समय २४० के करीब कम्पनियां अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रूप में हिन्दुस्तान के हर हिस्से में काम कर रही थीं। उनके अलग अलग बोर्ड थे, वे बोर्ड अलग अलग से अपनी पालिसियां तय करते थे, अलग अलग से अपना रुपया लगाते थे। इनके द्वारा जो रुपया लगाया जाता था वह मकानों के मार्टगेज में, शेयरों में, गवर्नमेंट पेपर्स और डिबेंचर्स में तथा इसी तरह से दूसरे कामों में लगाया जाता था। तो इन २४० के करीब कम्पनियों का एक ही बड़ा निगम होना और उसका काम एक ही केन्द्र द्वारा संचालित होना, एक ही जगह से चलाया जाना, मेरी राय में, उतना इफैक्टिव नहीं हो सकता जितना इफैक्टिव उसे होना चाहिए।

जहां तक कि इस निगम द्वारा रुपये लगाये जाने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में स्थापित हजारों कम्पनियों के आर्डिनरी शेयरों में और डिबेंचरों में उसका रुपया लगना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह लगाया भी जा रहा है। जब ऐसी बात है तो मेरा नम्र निवेदन है कि जैसा कि डा० कृष्णास्वामी ने कहा हमें अलग अलग पांच या छः जोन बनाने चाहियें या चार या छः रीजिस बनानी चाहियें, पांच या छः जोनल कारपोरेशंस बनानी चाहियें जिनके कि अलग अलग से एडवाइजरी बोर्ड रहें और अलग अलग से वे अपना रुपया लगावें तथा उसका हिसाब रखें और अलग अलग से जीवन बीमे का काम भी करें। इसका एक लाभ यह होगा कि उनमें आपस में होड़ लगी रहेगी और हम को यह भी पता लगता रहेगा कि किस जोन ने कम काम किया है, किस ने कहां कहां अच्छी तरह से इनवैस्टमेंट किया है और कितना फायदा करवाया है और किस जोन ने कम से कम रुपया डुबाया है। मैं समझता हूं कि यह चीज बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम को अलग अलग पांच या छः जोंस में बांट दिया जाये।

अब जो इनवैस्टमेंट पालिसी है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने सैक्शन २७ को तबदील किया है और कहा है कि पहले जहां दस परसेंट किसी प्राइवेट कम्पनी के आर्डिनरी और डिबेंचरों के शेयरों में अधिक से अधिक लगाये जा सकते थे उसको अब ३० परसेंट खाली आर्डिनरी शेयरों के लिए कर दिया गया है। मैं मानता हूं कि ब्याज कुछ शेयरों में कुछ अर्से के लिए ज्यादा हो सकता है किन्तु कभी कभी यह भी हो जाया करता है कि सारी की सारी रकम ही कुछ शेयरों में डूब जाया करती है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार कर लिया जाये। मैं चाहता हूं कि १० या १५ परसेंट से अधिक किसी प्राइवेट कम्पनी के आर्डिनरी शेयर में लगाया जाये और इस चीज को नियमों में स्थान दे दिया जाये।

अब मैं प्रेफेंस शेयरों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जो अच्छे प्रेफेंस शेयर माने जाते हैं वैसे शेयर छः या साढ़े छः परसेंट के सौ रुपये में फ्री आफ टैक्स के मिलते हैं। इन में अगर टैक्स जोड़ा जाये तो आठ या साढ़े आठ परसेंट का ब्याज होता है। जहां तक आर्डिनरी शेयरों का सम्बन्ध है

[श्री रामेश्वर टांटिया]

उनमें काफी घटा-बढ़ी होती है। साथ ही साथ हम को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जीवन बीमा में जो रुपया आता है, वह ज्यादातर गरीब आदमियों का आता है, मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उनका आता है, जो आफिसिस में क्लर्क हैं उनका आता है और उनके हित में यह देखा जाना बहुत आवश्यक है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा ब्याज बिना किसी खतरे के कैसे मिल सकता है। मैं मानता हूं कि यह ज्यादा ब्याज स्पेकुलेशन और आर्डिनरी शेयरों में है और आज जिस सौ रुपये के शेयर की कीमत सौ रुपया है कल उसकी १२५ हो सकती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसकी कीमत घट कर ७५ भी हो सकती है। इस वास्ते हमें सोचना होगा कि हमें ज्यादा रुपया प्रेफ्रेंस शेयरों में या आर्डनरी शेयरों में लगाना चाहिए। प्रेफ्रेंस शेयर में आर्डिनरी शेयरों के मुकाबले में कम घटा बढ़ी होती है और नुकसान होने पर उनका ब्याज नहीं मिलता है, वह जुड़ता रहता है। मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो १५ या २० परसेंट रुपया वह प्राइवेट कम्पनियों की पूंजी में लगावे वह प्रेफ्रेंस डिबेंचर्स और प्रेफ्रेंस शेयरों में ज्यादा लगावे और आर्डिनरी शेयरों में कम लगावे।

पहले प्राइवेट कम्पनियां नये मकान बनाने के लिए पालिसी होल्डरों को रुपया देती थीं। आज शायद यह तय हो गया है कि इस तरह से रुपया नहीं दिया जायेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि साधारण और मध्यम श्रेणी वाले लोगों को इस चीज़ को करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये और उन को जीवन बीमा निगम उनकी पालिसियों की जो सरैंडर वैल्यू है उसको कोलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में रख कर उनको छोटे छोटे मकान बनाने के लिए कम से कम ब्याज पर रुपया दे। यदि ऐसा किया गया तो जो आपका रुपया है वह तो सेफ रहेगा और साथ ही साथ बीमा कराने वालों की आप अधिक से अधिक सेवा भी कर सकेंगे।

जीवन बीमा निगम काफी रुपया प्राइवेट कम्पनियों के आर्डिनरी शेयरों में लगाता है। जैसा कि श्री विमल घोष ने कहा कि अगर अलग अलग ज़ोन हों और सब ज़ोंस में एडवाइज़री बोर्ड हों तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि इन बोर्ड स में प्राइवेट सैक्टर के आदमी भी लिये जायें, पब्लिक सैक्टर के भी लिये जायें और अगर ऐसा किया गया तो ज्यादा जानकारी का मौका मिलेगा और पता चल सकेगा कि किस ज़ोन की क्या हालत है और जिस कम्पनी के शेयर हम खरीद रहे हैं, वह अच्छी कम्पनी है या नहीं, उस रुपये का हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं और वह ठीक इनवैस्टमेंट है या नहीं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : निगम की विनियोग नीति के बारे में इस सभा की लगभग सहमति है। इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

अब निगम की आय दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। निगम को बढ़ती हुई आय के इस युग में बीमा पत्रधारियों के हितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे यह सोचना चाहिए कि क्या यह अपनी निधि का कुछ अंश गांवों में उद्योगो तथा छोटी बचत के लोगों के लिए नहीं लगा सकता ? शहरों और बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्रों में पूंजी लगाने के साथ इसे ग्रामों का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी तक यह कार्य सुधार बोर्ड, जिला बोर्ड तथा नगर-पालिकायें करती आई हैं किन्तु उनके पास सीमित आय होने के कारण लघु आय वर्ग के लोगों को

†मूल अंग्रेजी में।

अपना कार्य करने के लिए उचित धन नहीं मिल सका है। मैं मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि क्या निगम जिला स्टेशनों में लघु उद्योगों को ऋण दे सकता है अथवा नहीं ?

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने जीवन बीमा निगम के विनियोजन नीति सम्बन्धी वक्तव्य सभा के सामने रखा है। विनियोजन की नीति के सम्बन्ध में दो बातें बहुत आवश्यक हैं एक, धन की सुरक्षा और दूसरे लाभ की उपलब्धता। प्रसन्नता की बात है कि इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। आज लगभग ५५ लाख बीमाधारी हैं जिसकी कुल राशि लगभग ४०० करोड़ रुपये है। इस धन को ऐसे कार्यों में विनियोजित किया जाना चाहिए जिनमें खतरा की गुंजाइश कम से कम हो जैसे सरकारी प्रतिभूति आदि।

पैरा ७ के वक्तव्य में कहा गया है कि निगम देश के सामाजिक विकास की वृद्धि के उपक्रमों में पूंजी लगायेगा। मुझे लगता है कि देश के सामाजिक विकास का कार्य समाज कल्याण आदि हो सकता है पर ऐसे कार्यों में पूंजी लगाना न लाभप्रद होगा और न अधिक सुरक्षित होगा। जब सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की थी और सरकार ने बैंकों तथा बीमा समवायों से अंशपूंजी की मांग की थी तो सरकार ने पूंजी की सुरक्षा तथा कुछ लाभांश की भी गारंटी दी थी। ऐसा ही भाण्डार व्यवस्था निगम की स्थापना के समय हुआ था अतः यदि सरकार जीवन बीमा निगम के धन को सामाजिक सेवाओं में, जिसमें कोई सुरक्षा नहीं है, लगाना चाहती है तो उसे चाहिए कि वह बीमाधारियों को उनके धन की सुरक्षा की कुछ गारंटी अवश्य दे।

डा० कृष्णस्वामी ने ५० प्रतिशत की सीमा पर आपत्ति की। उनका कहना था कि परम प्रतिभूतियों के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। उनका अभिप्राय था कि निगम को समन्याय पूंजी में अधिक व्यय करने की अनुमति न दी जाये। कई बार अधिक समन्याय पूंजी से विनियोजन इसलिए भी किया जाता है कि लोग समवाय में प्रबन्ध पर कब्जा पाना चाहते हैं। पर जब उन समवायों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से अच्छी है, जिन में निगम समन्याय पूंजी के रूप में विनियोजन करना चाहता है तो उसे विनियोजन क्यों न करने दिया जाये। अतः मैं समझता हूं कि नीति वाले वक्तव्य में ठीक ही कहा गया है कि निगम को ३० प्रतिशत की सीमा तक सामान्य पूंजी में विनियोजन करने की छूट होगी। ३० प्रतिशत की सीमा कुछ अधिक नहीं है।

जहां तक भविष्य में किये जाने वाले विनियोजन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि अब जीवन बीमा निगम किसी भी समवाय की पूंजी के $^{1}/_{10}$ भाग से अधिक का विनियोजन उसमें नहीं करेगी क्योंकि अभी हाल की दुर्घटनाओं से उसे शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। धारा २७,उपधारा (क) में कुछ रूपभेद किया गया है जिसके अनुसार निगम प्राइवेट लिमिटेड समवायों में विनियोजन कर सकेगा। मेरा विचार है कि निगम केवल उन्हीं प्राइवेट समवायों में विनियोजन करे जो सरकारी समवाय है और प्रविधिक रूप से प्राइवेट समवाय है। अन्यथा यदि निगम गैर-सरकारी क्षेत्र के प्राइवेट समवायों से विनियोजन करेगा तो यह बात आपत्तिजनक होगी। क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र के प्राइवेट समवायों में न जो जनता को लेखाओं की छानबीन करने का अवसर मिलता है और न उन पर उतनी निगरानी ही रहती है।

एक बात और है। सरकारी क्षेत्र के केवल उन्हीं उपक्रमों में निगम को विनियोजन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो औद्योगिक उपक्रम हों। सट्टेबाजी टाइप के उपक्रमों में निगम को विनियोजन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने जो नीति सभा के सामने रखी है उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि निगम को ५ या ६ छोटे छोटे एककों में बांट देना चाहिये। इस से काम में सुविधा होगी। पर मैं इस मत के पक्ष में नहीं हूं। २१४ समवायों को मिला कर निगम का निर्माण किया गया तो उस के प्रबन्ध आदि में अनेक कठिनाइयां आईं। अब धीरे-धीरे वे कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यह बात लाभदायक नहीं होगी कि हम फिर नई कठिनाइयां पैदा कर दें।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

अतः मेरा विचार है कि निगम को ५-६ छोटे-छोटे एककों में विभाजित न किया जाये।

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति निर्धारित कर दी है। होना तो यह कार्य पहले ही चाहिये था क्योंकि तब संभवतया वह दुर्घटना न होती जो हो चुकी है।

इस अधिनियम के पारित होने के समय मेरा यह दृष्टिकोण था कि प्रत्येक राज्य में एक अलग जीवन बीमा निगम हो। सारे देश में एक ही निकाय होना वांछनीय नहीं है। इतना केन्द्रीकरण अच्छा नहीं होता। इस के कारण अत्यन्त स्पष्ट हैं। जब तक देश में केवल एक ही निगम रहेगा तब तक पूंजी का विनियोजन राज्यों में विशेष कर, कभी भी वांछनीय ढंग से नहीं हो सकता। अतः हमें पांच छः ऐसे निगमों की स्थापना करनी चाहिये। यह बात इस विषय से असंगत नहीं वरन् विनियोजन के महत्वपूर्ण प्रश्न से पूर्णतया आबद्ध है। मैं बिना अनुभव के यह बात नहीं कह रहा बल्कि अपने अनुभव के आधार पर ही सारी बातें बता रहा हूं। मुझे मैसूर राज्य का अनुभव है।

मैं श्री मुरारका की इस बात से भी पूर्णतया सहमत हूं कि विनियोजन औद्योगिक क्षेत्र में किया जाय।

श्रीमान् हमें बीमा निगम की निधि की अत्यधिक चिन्ता करनी चाहिये। अब यह राष्ट्र का कर्तव्य है कि नीतिधारियों के हितों को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। सरकार तो यह ध्यान रखेगी ही और विनियोजन सोच समझ कर ही होगा। यदि सरकार स्वीकृत प्रत्याभूति में धन विनियोजित करती है तो चिन्ता की तो कोई बात नहीं है। सरकार का दीवाला निकल जाने की तो कोई संभावना नहीं है। घबराने से भी तब कोई लाभ नहीं है।

हां तो मैं मैसूर राज्य के अनुभव के बारे में बता रहा था। हम ने वहां एक व्यापारिक संस्था को १० लाख ऋण दिया था आज उन का पत्र आया है जिस में उन्होंने बताया है कि उन्होंने ब्याज सहित सारा ऋण वापस कर दिया है। अतः पांच ६ निगमों से हमें अधिक लाभ रह सकता है। श्री मुरारका इस बारे में कहते हैं कि अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। तब वह स्वयं ही बता दें कि उपयुक्त समय कब आयेगा।

†श्री मुरारका : इस निगम को स्थिर होने का अवसर तो दें।

†श्री दासप्पा : वह कोई निश्चित समय का सुझाव तो दे ही नहीं रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे यदि अभिकर्ताओं का ठीक प्रबन्ध किया जाये तब अधिक पालीसी वाले लोगों की उपलब्धि हो सकती है। यदि कुछ अभिकर्तागण मिल कर अपने संसाधनों को मिला लें तो निस्सन्देह वे लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। इतना काम अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। अब लोग भी बीमा कराने के पक्ष में होते जा रहे हैं। इस कारण यदि सहकारी प्रयास किये जायें तो निगम का कार्य अत्यधिक उन्नति कर सकता है।

हमारे निगम के ७० प्रतिशत से अधिक धन की मात्रा का विनियोजन साख वाली प्रत्याभूतियों में हुआ है जो सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से अधिमान्यता अंशों में भी हम विनियोजन की मात्रा को ३० प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। मैं इस नीति का भी स्वागत करता हूं।

निगम सार्वजनिक समवायों में भी धन का विनियोजन कर सकता है क्योंकि ऐसे समवायों की संख्या भी २४० है।

किन्तु चूंकि यह देश में एक ही केन्द्रीकृत समवाय है अतः यह स्वाभाविक रूप से ही बड़े संस्थापनों की ओर ही ज्यादा झुकेगी। इस से छोटे निगमों को हानि रहेगी। अतः निगम को राज्यवार विनियोजन का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये। इस के स्थान पर यदि राज्यवार निगमों की स्थापना होती तो देश को अधिक लाभ पहुंचता।

अन्य विषयों में निगम ने अपने विनियोजन को कम रखा है इस के लिये मैं निगम वालों को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : हम विनियोजन के प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। एक तो ठोस नीति अपनाने की बात है और दूसरी है उस नीति को समाजवादी दृष्टिकोण में मिला देने की बात। इस का राष्ट्रीयकरण भी इसी कारण से किया गया था कि वहां का प्रबंध अच्छा नहीं था।

हमारे देश के लिये समाजवादी दृष्टिकोण से विनियोजन करना ही हितकारी होगा। इस वक्तव्य के बारे में बताया जाता है कि यह पुरातन बीमा अधिनियम की धारा २७-क का उल्लंघन करता है। बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण भी इसी कारण हुआ था कि अधिनियम के बावजूद भी उन का प्रबन्ध ठीक रूप से न चलता था। पहले इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और तत्पश्चात् जीवन बीमा समवायों का। यह राष्ट्रीयकरण योजना की क्रियान्विति के प्रश्न को सामने रख कर किया गया था। उस समय के वित्त मंत्री का दृष्टिकोण इस से यह था कि एक तो राष्ट्र में बचत हो तथा दूसरी जीवन बीमा समवायों के धन का विनियोजन योजना की आवश्यकताओं के संदर्भ में संगत रीति से हो। अब हमें यह सोचना है कि क्या आधुनिक विनियोजन नीति योजना से संगत है ?

पहले यदि हम पूर्णतया ठोस दृष्टिकोण से भी देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक इस निगम की पूंजी लगभग १०,००० करोड़ रुपये तक हो जायेगी। अर्थात् उस समय हमारे पास इतनी राशि योजनाबद्ध व्यवस्था में विनियोजन के लिये उपलब्ध होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

हम यह नहीं चाहते कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में निजी उपक्रम के कोई अवसर ही न रहें। हमें उन्हें अवसर देना है किन्तु बिरला समिति ने गत वर्ष ही विदेशों के दौरे के पश्चात् कहा था कि विदेशी सहायता मिलना तो कठिन नहीं है अपितु सारी समस्या तो आन्तरिक संसाधनों की है। हमने उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

यदि परम्परागत प्रणाली को देखें तो कई बाहर के देशों में इस प्रकार के निगम बहुत से संस्थापनों में पूंजी विनियोजन करते हैं।

श्री बिमल घोष ने गिरवी की समस्या का उल्लेख किया। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में मकानों की बड़ी भारी कमी है। केवल बम्बई नगर की आवास समस्या को हल करने के लिये ही २०,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। क्या निगम इस प्रकार की सम्पदायें बनाने लगे ? उसे करने का एक ढंग गिरवी का है। यह काम योजनाबद्ध रीति से भी किया जा सकता है। क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की जाती है ? कुछ विदेशों में इस प्रकार के विचारों को बड़ी तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। आप व्यापक नीति भी अपना सकते हैं।

हमें यही कहा जाता है कि हमारी विनियोजन नीति में किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं होनी चाहिये किन्तु शतप्रतिशत जोखिम रहित नीति कभी संभव ही नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में आप के समक्ष विदेशों के विनियोजन के आंकड़े दे सकता हूं। अमेरिका के अनेक बीमा समवायों ने द्वितीय युद्ध के पश्चात् २६९० लाख डालर के सम्पत्ति संबंधी ऋणों को बट्टे खाते डाला था। एक ही दशक में उन्हें एक बिलियन राशि की हानि हुई।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

मैं यह नहीं कहता कि हमारी नीति ऐसी हो जिस से हमें हानि हो। हमें कभी भी अपना संतुलन नहीं खोना चाहिये। मूंदड़ा कांड को अब हमें भूल जाना चाहिये। हो सकता है हमें आगे भी हानि हो किन्तु अधिक जोखिम वाली आशंकायें नहीं हैं।

"हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू" ने अभी अमेरिका वालों के समक्ष एक प्रश्न यह रखा था कि अब बीमा कराने वालों को या तो सम्पूर्ण राशि की सुरक्षा की बात ही माननीय होगी या फिर मन्दी तेजी के उतार चढ़ाव से होने वाली बेकारी से बचने की बात अपनानी होगी। यदि देश में विनियोजन न होगा तो मन्दी आयेगी। इस कारण या तो मन्दी से ही बचा जा सकता है या फिर अपने रुपये की पूर्ण सुरक्षा ही की जा सकती है।

हां हमें कुप्रबन्ध तथा कुव्यवस्था से पूर्णतया बचना होगा और उसी के साथ एक उपक्रमी नाविक की भांति सुरक्षा से आगे बढ़ना होगा। रुपये को घर में ही गाड़ कर तो नहीं रखना।

हमें यह निर्णय भी करना होगा कि क्या हम आय के लिये विनियोजन करें अथवा कार्यवृद्धि के लिये। यह प्रश्न ही तो वास्तव में बड़ा तत्वपूर्ण है। यदि हम संतुलित निधि का सिद्धान्त स्वीकार करें तो कार्यवृद्धि का विषय आ जाता है और विनियोजन में शतप्रतिशत सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं रह जाता है।

हमें आशा करनी चाहिये कि इन निधियों का सावधानी से संतुलन के लिये प्रयुक्त किया जायेगा। मैं ने बार बार इसी प्रकार की नीति अपनाने की बातें कही हैं। कारण यह है कि बीमा निगम को देश के बाजार की व्यवस्था में पूरी रुचि लेनी होगी और इस में विकसित होने वाले अवांछनीय पहलुओं का दमन इसे ही करना होगा।

दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार मैं यह मानता हूं कि हम निर्धन लोगों की बचत को अर्थात् भविष्य निधि आदि की रकम को बीमा निगम के वित्त के समान नहीं समझते। जीवन बीमा पालिसियों की कीमत बढ़ती जा रही है किन्तु भविष्य निधि वालों को उस से उतना लाभ प्राप्त हो नहीं हो रहा। जब दोनों बचतों का प्रयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये हो रहा है तब क्या कारण है कि उन में मतभेद किया जाये।

जहां तक विनियोजन ही का स्वतः सम्बन्ध है वह भी योजनाबद्ध रीति से ही होना चाहिये। विनियोजन समिति भी सक्षम होनी चाहिये और हमारे पास प्रतिवर्ष विनियोजन क्षमता बढ़नी चाहिये। हमारे हां गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इस रीति से कार्य करना चाहिये कि वह भी योजनाबद्ध व्यवस्था का अनुपूरक बन जाये। तभी यह क्षेत्र प्रभावपूर्ण रीति से काम कर सकता है। बीमा निगम की निधियों से हम अपने समाज में पर्याप्त अनुशासन रख सकते हैं। ३० प्रतिशत राशि जो निजी संस्थापनों में लगाई जा सकती है—किन्तु दुख की बात यह है कि हमारे देश के गैर-सरकारी क्षेत्र ने ईमानदारी से काम ही नहीं किया। यदि ये लोग ईमानदारी से चलते तो आयकर जांच आयोग की क्या आवश्यकता पड़ती। इसलिये व्यवस्था में अनुशासन रखने के लिये ये विनियोजन सोच कर ही किये जाने चाहियें।

अब ब्रिटिश लेबर पार्टी ने यही निर्णय किया है कि राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं है। किन्तु हमारी बात तो अलग है। हम ने शेयरों की कीमतें देख कर ही धन का विनियोजन तो नहीं करना है। हम ने यह देखना है कि किस उद्योग से देश को लाभ होगा। इस कारण वित्त मंत्री जी को चाहिये कि वे हमें अधिक ब्यौरात्मक बातें बतायें।

अभी मिस्र में भी मैं ने यही लेबर पार्टी वाली प्रवृत्ति देखी। उन्हों ने भी सीमित राष्ट्रीयकरण किया है। हमारे देश में अब बैंकों के पास भी बहुत धन है किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है। अभी हम तीसरी योजना की रूपरेखा भी बनाने लगेंगे। मैं चाहूंगा कि वह योजना भी उन्हीं महत्वकांक्षाओं को ले कर बनाई जाये जिन के आधार पर दूसरी योजना बनी। उस के लिये हम बैंकों का धन भी प्रयुक्त कर सकते हैं। वास्तव में इस समस्या की पूर्ति के लिये एक राष्ट्रीय विनियोजन बोर्ड ही की स्थापना करनी होगी। अब हमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विवाद में नहीं पड़ना चाहिये। हमें तनिक तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिये और परिस्थितियों को अपने ही अनुसार ढाल लेना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह इस साल जीवन बीमा निगम का रुपया लगाने के बारे में नीति यहां पेश की गई है, इसी प्रकार जीवन बीमा निगम के महत्व को देखते हुए, हर साल सरकार का यह कांम होना चाहिये कि यह नीति सदन के सामने विस्तृत रूप से पेश करे।

आज जो नीति ववतव्य हमारे सामने पेश किया गया है उस के दोतरफा अर्थ लगाये जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब भी इस तरह की नीति ववतव्य पेश किया जाये तो वह इतना निश्चित

[श्री ब्रजराज सिंह]

होना चाहिये कि उस के दो अर्थ न लगाये जा सकें । हमेशा वही अर्थ लगाया जा सके जो कि सरकार चाहती है । ताकि सरकार का उद्देश्य अच्छी तरह पूरा हो सके ।

सदन में चर्चा की गई है कि जीवन बीमा निगम के पास जो धन है उसे विभिन्न रीतियों से लगाकर हम राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं । लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, कि यह धन प्राइवेट उद्योगों में लगाया जाये । मैं तो चाहता हूं कि यह धन उन उद्योगों में लगाया जाये जो कि पबलिक सेक्टर में हैं, और ऐसा करना हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार भी होगा । हम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में भी धन लगा सकते हैं लेकिन उन में ही जो कि पबलिक सेक्टर में हैं । यदि इसी प्रकार हम देश के उद्योगों का उत्थान करें तो बहुत अच्छा होगा । प्राइवेट कम्पनियों को हम जीवन बीमा निगम के धन से मदद दें यह कोई अच्छी बात नहीं हो ी ।

एक बहुत ही जरूरी चीज है जिस की तरफ अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है । अभी तक जीवन बीमा निगम के धन को केवल उन्हीं उद्योगों में लगाने पर विचार किया जाता है जो कि शहरों में हों । लेकिन जहां असली हिन्दुस्तान बसता है, अर्थात्, गांवों में, वहां पर यह धन लगाने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । उदाहरण के लिये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं । सब लोग जानते हैं कि देश में मकानों की बड़ी जरूरत है और मकान बनाने में किसी को नुकसान नहीं हुआ करता । पहले भी जो २४० लाइफ इंश्योरेंस कम्पनियां थीं, उन का काफी रुपया इस काम में लगा हुआ था । मकान बनाने के लिये रुपया कर्ज देती थी । कुछ कम्पनियां अपने तौर पर भी मकान बनाने का काम करती थीं । इस काम में उन को नुकसान नहीं उठाना पड़ा । मैं चाहता हूं कि राष्ट्र की इस बड़ी समस्या को हल करने के लिये सरकार क्यों न यह सोचे कि गृह-निर्माण समस्या को जीवन बीमा निगम के धन से हल करे । इस तरह देश की एक बड़ी समस्या हल हो सकेगी । और यह नीति वक्तव्य के अनुसार भी होगी जिस में कि यह कहा गया है कि जीवन बीमा निगम के धन की सुरक्षा रहे और उसे इस तरह के कामों में लगाया जाय जिन से कि समाज की भलाई हो । तो मेरा ख्याल है कि इस प्रकार रुपया लगाने से ये दोनों काम हो जायेंगे । मैं यह नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह गृहनिर्माण की समस्या का सवाल कई तरह हल हो सकता है । या तो जीवन बीमा निगम खुद गृह-निर्माण योजना को अपने हाथ में ले । अगर वह खुद ऐसा नहीं कर सकती तो यह व्यवस्था करे कि प्राइवेट लोगों को दस दस पांच पांच हजार रुपया मकान बनाने के लिये कर्ज दे और वे लोग उन मकानों को या अपनी और दूसरी जायदाद को निगम के पास गिरवी रखें । इस तरह से मुल्क की एक बहुत बड़ी समस्या हल की जा सकती है ।

एक तरफ तो हमारे सामने यह समस्या है कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम अपनी योजना के उद्देश्यों को पूरा कर सकें, और दूसरी तरफ हमारे पास इस जीवन बीमा निगम का धन आता है । यह जो ५५ लाख पालिसी होलडर्स का धन हमारे पास आता है इसको अगर हम स्टाक मारकेट में लगा कर सट्टे बाजी करें तो यह हमारे लिये मुनासिब नहीं होगा । यहां मूंदड़ा डील के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं और जब जब सदन में उस पर चर्चा हुई तो यह कहा गया कि सरकार की नीति की वजह से यह चीज हुई । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम ने सट्टे पर यह धन न लगाया होता या भविष्य में न लगायें तो इस तरह के सवाल ही न उठें । इस में मैं निगम की नीति का उतना सवाल नहीं समझता जितना इस बात का क्या हम इस प्रकार स्टाक मारकेट में रुपया लगा कर एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं । मेरी तुच्छ राय में यह मुनासिब काम नहीं है और इसमें जीवन बीमा निगम का धन नहीं लगाया जाना चाहिये ।

मेरा विचार तो यह है कि हम को अपनी योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये पालिसी होल्डर्स के इस धन को लगाना चाहिये। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हमें इस धन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिये। लेकिन जब इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो गया है तो इस धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है। राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद सरकार धन की सुरक्षा के लिये जिम्मेदार हो गई है। उसे इस धन की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इस बात पर बार-बार जोर बने की कि इस धन की सुरक्षा का ध्यान रखा जाये क्या आवश्यकता है। राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद यह सरकार का काम हो जाता है और इस धन की सुरक्षा रहेगी ऐसा हम को मान लेना चाहिये। लेकिन फिर भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि जीवन बीमा निगम के धन की सुरक्षा की जरूरत है और उस को सुरक्षित रखा जाना चाहिये। लेकिन खास ध्यान तो हम को इस तरफ देना चाहिये कि हम को जो इस तरह से धन मिल रहा है इस का अधिक से अधिक उपयोग योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाये।

अब एक सवाल और उठता है। हमारे यहां अभी भी दस करोड़ एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जिस में खेती नहीं की जाती पर जिस में खेती की जा सकती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी योजना क्यों न बनाई जाये कि इस धन का एक बड़ा हिस्सा इस खेती योग्य जमीन पर लगाया जाये इस में नुकसान होने का कोई सवाल नहीं है। अगर इस जमीन को तोड़ा जाये और उस में खेती की जाये तो उस से एक तरफ तो हमारा धन राष्ट्र के हित में लगेगा, दूसरे मुल्क की जो खाद्य की बड़ी समस्या है वह हल होगी और तीसरे जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिन के पास काम नहीं है, उन को जमीनें और काम मिलेगा और इस तरह से बेकारी की समस्या भी हल होगी।

श्री त्यागी (देहरादून): लेकिन फिर पालिसी होल्डर्स को देने के लिये रुपया कहां से आयगा।

श्री ब्रज राज सिंह: रुपया तो सरकार के पास ही रहेगा। सरकार उस की गारंटी देती है।

श्री त्यागी: लेकिन जब रुपया जमीन पर लगा दिया जायेगा तो देने के लिये कहां से आयेगा।

श्री ब्रजराज सिंह: इस में जोखिम का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो केवल एक विचार दे रहा हूं। आप अगर चाहें तो इस की तफसील में जा सकते हैं और इस की पूरी योजना को देख सकते हैं कि इस में रुपया अधिक उपयोगी ढंग से लगेगा कि नहीं। खैर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. . . .

†**सभापति महोदय**: ढाई बजा है और अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसवें प्रतिवेदन में जो २५ नवम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा १०० का संशोधन)

†श्री अन्दुर्गकर (उस्मानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अन्दुर्गकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण विधेयक*

(धारा १८ का संशोधन)

†श्री वाडीवा (छिंदवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दु दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री वाडीवा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दुकानदार (मूल्यों की पर्चियाँ लगाना) विधेयक*

†श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"दुकानदारों द्वारा वस्तुओं पर मूल्यों की पर्चियां लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दुकानदारों द्वारा वस्तुओं पर मूल्यों की पर्चियां लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अ० मु० तारिक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के २८-११-५८ के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २ में प्रकाशित ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक*

(धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)

†**श्री राम कृष्ण** : (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा ३०, ७८, ८५ इत्यादि का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक*

(धारा ८ का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण** : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के २८-११-५८ के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २ में प्रकाशित ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक*

(धारा ८ का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि संस सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर सशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

प्रबन्ध परिषद विधेयक*

†**श्री राम कृष्ण** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के लिये उनमें प्रबन्ध परिषद् स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित कर की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि

"औद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के लिये उन में प्रबन्ध परिषद् स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

समवाय (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के २८-११-५८ के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २ में प्रकाशित।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक *

(धारा ७ का संशोधन)

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री महन्ती** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ का संशोधन)

†**श्री अब्दुल सलाम** (तिरुचिरापल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने की अनुमति है ?

†**अनेक माननीय सदस्य** : जी हां ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

समवाय (संशोधन) विधेयक--जारी

(धारा २९३ का संशोधन)

†**सभापति महोदय**: सभा अब श्री महन्ती द्वारा १९ सितम्बर, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :--

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

चौधरी रणवीर सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

चौ० रणवीर सिंह: (रोहतक): सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमने इस सदन में फ़ैसला किया है कि इस देश में समाजवादी ढांचे का समाज बनाया जाये । इसलिए महन्ती साहब ने जो बिल पेश किया है, उसके ऊपर हमें बड़ी शान्ति के साथ ग़ौर करने की ज़रूरत है । मैं मानता हूं कि यहां शायद कोई भी मेम्बर ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो कि इस सदन के ऊपर किसी रुपए वाले का प्रभाव और उसकी वजह से यह सदन अपना फ़ैसला बदले । जहां तक उन के मुद्दे का ताल्लुक है, मैं मानता हूं हो कि सदन का हर एक सदस्य उन के साथ सहमत है । सवाल यह पैदा होता है कि जो खतरा उन्होंने

---

*भारत सरकार के २८-११-५८ के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

ज़ाहिर किया है, दर-असल इस देश में ऐसा कोई खतरा है भी या नहीं। मैं मानता हूं कि वह खतरा एक दिमाग़ी खतरा है। अगर असल हालात को देखा जाय, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस देश में ऐसा कोई खतरा नहीं है। जबकि हमारे पड़ौसी देश में, जो कि कभी हमारा ही हिस्सा था, एक भी चुनाव नहीं हो पाया है और अब आखिर में वहां पंचायती राज्य का ढांचा खत्म हो गया है और फौजी राज्य कायम हो गया है, उसके मुकाबले में हमारे देश में दो जेनरल इलैक्शन हो चुके हैं। माननीय महन्ती साहब ने अपनी तक़रीर के दौरान में श्री लाल बहादुर शास्त्री की एक स्पीच का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चार हज़ार उम्मीदवारों में से कुछ चन्द ही उम्मीदवार ऐसे थे जो अपने इलैक्शन का खर्चा खुद दे सकते थे। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें इस बात से क्यों गिला है। क्या वह इस सदन में बड़े-बड़े राजाओं और अमीरों को लाना चाहते हैं? उन्हें तो इस बात पर खुशी ज़ाहिर करनी चाहिए थी कि ग़रीब आदमियों को ही इस देश में रहने वाले करोड़ों ग़रीब आदमियों का नुमाइन्दा बना कर यहां लाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने इन ग्यारह सालों में जो कामयाबियां हासिल की हैं, उन में एक यह भी है कि उस ने इस देश के ग़रीब लोगों का ध्यान रखते हुए आम तौर पर ग़रीब आदमियों को ही अपना उम्मीदवार बनाया। हो सकता है कि मेरे दोस्त को इस बात से कोई गिला या नाराज़गी हो, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो इस बात पर बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं खुद भी उन में से एक हूं। मेरे ख्याल में यहां बहुत कम दोस्त ऐसे होंगे—शायद वे पचास के करीब होंगे—जो ग्यारह बारह साल से लौक-सभा और उससे पहले सैंट्रल असेम्बली के सदस्य रहे हों और उन में से बहुत ही कम ऐसे दोस्त होंगे, जो आज भी अपना इलैक्शन का खर्चा अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन के उन सदस्यों की यह एक बड़ी खासियत है, बड़ी क्वालिफ़िकेशन है कि उन्होंने दस ग्यारह साल तक मेम्बर रहने के बावजूद ग़रीब आदमी रहना ही पसन्द किया, क्योंकि इस देश में समाजवादी ढांचा बनाने में गरीब आदमी ही ज्यादा मदद कर सकता है और वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स (निहित स्वार्थ) से असर-अंदाज नहीं हो सकता है।

मेरे दोस्त श्री महन्ती ने इस सिलसिले में दो तीन वाकायात का ज़िक्र किया। उनके मुताल्लिक सही जवाब तो मन्त्री महोदय ही दे सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनको पिछले ग्यारह साल के अरसे में यही दो वाकयात ऐतराज़ करने के लिये मिले—यानी टिस्को और इस्को को दस करोड़ रुपया बगैर सूद के क्यों दिया गया—तो उनका खदशा अपने आप ही झूठा साबित हो जाता है। आप जानते हैं कि इस देश में लोहे की कितनी ज़रूरत है। इस वक्त हम लोहा बाहर से मंगा रहे हैं और हमारे देश में ये दो बड़ी कम्पनियां हैं, जो लोहा पैदा करती हैं। अगर उन को देश की लोहे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो कि देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, दस करोड़ रुपए बगैर सूद के दे दिये जाते हैं, तो वह उतना ही अच्छा है जितना कि ग़रीब किसान और मज़दूर को अपना कारोबार या खेती बढ़ाने के लिए बगैर सूद के रुपया देना है।

मेरे दोस्त ने साढ़े छः फ़ीसदी सूद का भी ज़िक्र किया। मुझे मालम नहीं कि मेरे लायक दोस्त को इस बात का पता है या नहीं कि रिज़र्व बैंक हिन्दुस्तान के किसान और मज़दूर को खेती और छोटी मोटी कारीगरी में बढ़ावा देने के लिए डेढ़ फ़ीसदी सूद के ऊपर कर्ज़ा निकालता है। हो सकता है कि वह रुपया इतना सस्ता जितना कि रिज़र्व बैंक निकालता है, किसानों और मजदूरों तक न पहुंच पाता हो, लेकिन उसको पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूं कि अगर हम डेढ़ फ़ीसदी सूद के बगैर भी दे सकें, तो अच्छा है, क्योंकि अगर किसान और मज़दूर खुशहाल होगा, तो फिर हमें इस देश में ब्याज के रुपए की ज़रूरत नहीं होगी, देश में रुपए का कोई घाटा नहीं होगा।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त को इन दो बातों के अलावा ऐतराज़ करने की कोई बात नहीं मिली। एक ऐतराज़ उन्होंने यह किया कि वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने उन को जो कर्ज़ा दिया है,

सरकार ने उसके लिए उनकी जमानत क्यों दी । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी ऐसी चीज़ की जमानत दी गई है जिसको हवाई जहाज से उठा कर कहीं ले जाया जा सकता है ।उनका ऐतराज यह है कि इन कम्पनियों को वर्ल्ड बैंक से कर्जा दिया गया है, उसकी जमानत देश की सरकार ने क्यों दी और देश की सरकार ने जमानत देकर देश को जामिन बना दिया । मेरा कहना साफ़ है कि जमानत जिस चीज़ के लिए दी गई है, उस चीज़ को ये दो बिजिनेस हाउस हवाई जहाज़ में उठा कर किसी दूसरे देश में तो ले जा नहीं सकते । उस रुपए से कारखाना लगेगा और वह कारखाना इस देश में ही रहेगा और मेरे दोस्त श्री महन्ती और दूसरे सदस्य अगर कल को चाहेंगे कि यह सरकारी कारखाना हो जाय, तो हम ही इस का फ़ैसला करेंगे, कोई तीसरा आदमी फ़ैसला नहीं करेगा । उस को किस शर्त पर सरकार ले, क्या कम्पेन्सेशन दिया जाय, यह भी फ़ैसला हमारा ही होगा । और हम कौन हैं ? हम आखिर देश के नुमान्इन्दे हैं । लोगों ने हम को यहां चुन कर भेजा है । इस बारे में देश को या किसी भाई को इस बात की शिकायत हो, तो वह मेरी समझ में नहीं आती । लेकिन खैर, वह शायद अपने ढंग से सोचते हैं । उन्हें इसमें कोई आपत्ति दिखाई दी होगी । लेकिन एक बात मैंने और देखी और वह यह है कि अगर मंत्री महोदय का इरादा रुपया लेने का ही होता, तो वह दूसरे तरीके से काम करते । मुझे तो मालूम नहीं कि किसी ने कांग्रेस पार्टी को कोड़ी भी दी है या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दस लाख रुपया एक पार्टी ने और ढाई लाख रुपया दूसरी पार्टी ने कांग्रेस को दिया । उन दोनों को दस दस करोड़ रुपया दिया गया । अगर हमारा रुपया लेने का ही मुद्दा होता, तो जिस कम्पनी ने ढाई लाख रुपया दिया था, उसको सिर्फ ढाई करोड़ रुपया ही लोन देते । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा कोई इरादा नहीं । बात बिल्कुल साफ़ है । अगर दूसरी पार्टियों का हिस्सा खाता देखा जाय, तो वे तो बहुत आगे गई हैं । मुझे मालूम नहीं कि कहां तक सच है लेकिन मुझे पता चला है कि त्रावणकोर कोचीन के राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने डेढ़ साल के अन्दर ३५–३६ लाख रुपया इकट्ठा किया था । इसके बारे में मुझे पक्का पता नहीं है कि यह कहां से आया, लेकिन यह चीज मुझे बतलाई गई है । हो सकता है यह गलत हो । मैं तो चाहता भी यही हूं कि यह गलत हो । लेकिन मैं यह जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक आल इण्डिया (अखिल भारतीय) पार्टी है, जो कि देश की पार्टी है, उसने भी अपने १०–११ साल के पिछले इतिहास में इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया है या कर नहीं सकी है । हमें इसमें कोई गिला नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को ३५–३६ लाख रुपया देकर अगर कोई उसके विचारों को बदलना चाहता हो तो वह बदल नहीं सकता है । यह उसकी भूल है कि वह सोचे कि कोई उसके सिद्धान्तों को बदल सकता है । इसी तरह से अगर कोई यह समझता है कि कांग्रेस पार्टी के विचारों को पैसा देकर अगर कोई बदल सकता है तो वह भी उसकी गलती है । इसका सबूत यह है कि जिन कम्पनियों का जिक्र इस हाउस में किया गया है और जिन के बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने खूब रुपया हम को दिया है जैसी कि उनकी इन्फार्मेशन है, उन्हीं बीमा कम्पनियों को हमने सरकारी अधिकार में कर लिया है । इस तरह की बात होने के बावजूद भी अगर कोई किसी को चन्दा दे तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है । अगर किसी को इसमें कोई ऐतराज़ होता है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

अगर हमारे देश के पिछले ११ साल के आर्थिक इतिहास को देखा जाय तो पता चलेगा कि इन वर्षों में हमने देश के अन्दर समाजवादी ढांचा स्थापित करने का फैसला किया है, इस सदन ने फैसला किया है । हमारे भाई ने एपलबाई की रिपोर्ट को क्वोट किया है । मैं भी इसे पढ़ना चाहूंगा । लेकिन जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने साफ लिखा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है वह बिजिनेसमैन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती है । वह उन पर इतना अविश्वास करती है जितना अविश्वास कि यू० के० में भी नहीं है । मैं समझता हूं कि यह तो खयालात की बात है । जिसकी जैसी मर्जी हो वह वैसे ही खयाल ज़ाहिर कर सकता है । एपलबाई ने जो कुछ कहा है उसमें से जो बात हमारे भाई को पसन्द आ गई वह उन्होंने कह दी और जो उनको पसन्द नहीं आई उसको

[चौ० रणवीर सिंह]

उन्होंने नहीं कही। जो बात किसी के दिल लग जाती है वही वह कहना पसन्द करता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एग्लबाई की हमारे बारे में क्या राय है, किसी जज साहब की हमारे बारे में क्या राय है, उनकी हिन्दुस्तान की स्यासी पार्टियों के बारे में क्या राय है—बहुत अच्छी उन की राय हो सकती है और बहुत अच्छे उन के खयालात हो सकते हैं—इस में न जा कर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्यासी जीवन के बारे में जो असली राय है वह असली राय तो पोलिटिकल पार्टीज़ की ही हो सकती है और वही उस के बारे में राय ज़ाहिर करने की हकदार हो सकती हैं। जज साहब को क्या मालूम है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती हैं ? उन्हें तो यही मालूम हो सकता है कि वकील कैसे अदालतों में आते हैं और किस तरह से केस आते हैं, किस तरह से वे वकील लोग केस तैयार करते हैं, अच्छी वकालत कौन करता है इत्यादि। लेकिन इस बात को वे कैसे जान सकते हैं या कैसे उन को इस बात का पता चल सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को चलाने का तरीका क्या होता है। यह भी एक कहानी है। मैं इस बात में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई एक्सपर्ट ही इस सारी चीज़ को बता सकता है और वैसा एक्सपर्ट हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से अच्छा और कौन हो सकता है। उन्हों ने इस देश की दो जनरल एलैक्शंस लड़ी हैं और चार-चार हज़ार उम्मीदवार मैदान में खड़े किये हैं जो संख्या किसी भी पार्टी द्वारा खड़े किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कहीं ज्यादा है। तो इस बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी की राय ज्यादा अच्छी और मुस्तनद होगी। हमारे महन्ती जी को जज साहब की बात पसन्द आई और उन्हों ने वह कह दी। मैं समझता हूं कि उन्हें कहनी भी चाहिये थी, यह उन का काम था।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हम पिछले ग्यारह साल के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि इस देश के आर्थिक ढांचे को आगे बढ़ाने के लिये ६१ सरकारी कम्पनियां चालू करने का फैसला हो चुका है और वे बन चुकी हैं। और यह मैं उस लिस्ट के आधार पर कह रहा हूं जोकि हम को सप्लाई की गई है और हो सकता है कि इस के बाद चार पांच और सरकारी कम्पनियां बन चुकी हों। लेकिन ६१ कम्पनियां ऐसी हैं जो के पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं और डिफेंट केटेगरीज़ की हैं। यह कोई छोटा काम नहीं है और यह भी तब जब हम उसका मुकबला दूसरे देशों के साथ करते हैं चाहे वे टोटेलिटेरियन देश हों अथवा डेमोक्रेटिक। हमारे पड़ौसी देश में तो कोई काम चल ही नहीं रहा। हम दूसरे पड़ौसी देशों को देखें तो हमें पता चलेगा कि एक देश की यह कहानी नहीं है तकरीबन चारों तरफ के देशों की यही कहानी है कि वहां पर पंचायती राज ही खत्म हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई महन्ती जी को कोई गिला नहीं होना चाहिये बल्कि खुशी होनी चाहिये कि जिन पर आप पिछले दस सालों से शक करते आये हैं कि चन्दा ले कर वे अपने खयालात को बदल देंगे, वह सही नहीं निकला है और यहां पर आज भी हम पंचायती राज को कायम रखे हुए हैं। साथ ही साथ यहां दो-दो जनरल इलैकशन्स हो चुके हैं और हम ने इन इलैकशन्स को करने का कानून भी बनाया था। ये दोनों इलैक्शन्स अमन से हमन कराई। इन इलैक्शन्स (चुनाव) में जो राजे हमारे खिलाफ लड़े उन में से कुछ जीत कर आये, जो बड़े-बड़े जागीरदार लड़े वे भी जीत कर आये। मजदूरों और किसानों के अपने आप को जो नुमाइंदे कहते हैं वे भी जीत कर के आये हैं। सोशलिस्ट पार्टी वाले भी जीत कर आये हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी जीत कर के आये हैं। हमें किसी से कोई गिला नहीं है। अगर गिला होता तो लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में बागडोर थी और जिस तरह की इलैक्शन कानून वह बनवाना चाहते बनवा सकते थे। तो मैं महन्ती जी को बतलाना चाहता हूं कि जहां पर बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी के कोई नुमाइंदे उनके प्रदेश में हार गये हैं वहां पर आया कौन है, इसका अंदाज़ा वह लगायें और अगर उन्होंने इस का अंदाजा लगाया तो उन को पता चलेगा कि वहां पर रजवाड़ेशाही के कोई पुरानी किस्म के विचारों के आदमी जीत कर आये हैं, फ्यूडल

लार्डस (जमींदार) आये हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्या चाहते हैं ? क्या वह चाहते हैं कि यहां फ्यूडल लार्ड्स का बोल बाला हो ? लेकिन जो भाई यह चाहते हैं कि यहां पर किसानों और मजदूरों का बोल बाला हो तो मैं समझता हूं कि उन को जो डर दिखाया जा रहा है उस से डरने की तो उन को कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मेरे मित्र महन्ती जी ने जो बिल मूव किया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

इसके पहले कि मैं अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखूं मैं कुछ चीजें जो पिछली मर्तबा बहस में उठाई गई थीं, उन को आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री न० रं० घोष ने महन्तीं जी का खंडन करने के लिये कुछ बातें ऐसी कही हैं जिन के बारे में मैं अपने विचार यहां रखना चाहता हूं और मैं यह साबित करना चाहता हूं कि जो चीज़ उन्होंने कही है वह कहां तक सत्य है या कहां तक उस के बारे में उन को इल्म नहीं है । उन्होंने जो कुछ कहा था उस का सारांश यह था कि इंगलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया इत्यादि देशो में लोक समवायों द्वारा दलों को चन्दा देना अनुचित नहीं समझा जाता है फिर जब कार्मिक संघ चन्दा जमा कर सकते हैं तो राजनैतिक दलों का चन्दा लेना क्यों अनुचित माना जाय ।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी ट्रेड यूनियन्स हैं उन के फंड्स के बारे में मेरे माननीय मित्र को शायद यह मालूम नहीं होगा कि वे पोलिटिकल फंड्स रख नहीं सकती हैं। हम जानते ह हैं कि जब मान्यता प्रदान की जाती है तो उन्हें यह साफ तौर से कह दिया जाता है कि अगर पोलिटिकल फंड्स की कोई कलास होगी तो मान्यता नहीं दी जायेगी । टाटा कम्पनी ने १० लाख ३५ हज़ार रुपया रूलिंग पार्टी को चुनाव के लिये दिया, २ लाख २५ हजार इंडियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी ने रूलिंग पार्टी को चुनाव के लिये दिया और उस की डिफेंस में हमारे भाई गरीब ट्रेड यूनियन का नाम लें और यह कहें कि हम टाटा से पैसा लेते हैं तो दूसरी राजनैतिक पार्टियां यूनियन से पैसा लेती हैं। और अगर यही उनका कनक्लूशन हो और वे यही कहना चाहते हों तो मैं समझता हूं कि शायद ट्रेड यूनियन्स को रिकनाइज़ करने वाला जो कानून है, उस को मेरे भाईयों ने नहीं देखा है या उस का खयाल नहीं किया है ।

मैं समझता हूं कि श्री महन्ती ने एक बहुत बड़ा सवाल इस सदन के सामने पेश किया है। इसमें क्या कानूनी पेचीदगियां हैं या इस के क्या लीगल एसपैक्ट्स हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि आज क्या वाकई इस फंड को पाने से वह कांग्रेस पार्टी जिस के पीछे कि एक इतिहास है, जिस के पीछे कि एक कुर्बानी है, ६५ साल की वह बुनियाद जिस बुनियाद पर लाखों नौ-जवानों की लाशें होंगी, क्या वाकई में उस की इज्जत इस देश में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? हमें सिर्फ यह देखना है कि इस के लीगल इम्पलीकेशन (कानूनी नतीजा) क्या हैं। हमारे भाई घोष साहब ने यह कहा था कि जस्टिस तेन्दुलकर ने यह नहीं कहा कि यह रांग या इम्मारल है और चूंकि इस बिना पर किसी हाई कोर्ट के जज ने यह नहीं कहा कि यह रांग या इम्मारल (अनुचित या अनैतिक) है इसलिये यह जायज है। मैं अपने मित्रों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आज हिन्दुस्तान में चुनाव किस चीज़ से लड़ा जाय ? आज के हिन्दुस्तान में चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता । मैं खुद कानपुर जैसे क्षेत्र से चुनाव लड़ा था । मैं एक सरकारी मुलाजिम था, एक निकाला हुआ मुलाजिम था और पन्द्रह महीनों से बेकार था । लेकिन मैं ने इस चुनाव में देखा कि गरीबों ने किस तरह से जत्थेबन्दी की और शक्तिशाली कांग्रेस के नुमाइन्दे को १७ हजार वोटों से हराया । लेकिन सवाल आज के चुनाव का नहीं अगले चुनाव का है । सन् १९६२ का या दूसरा चुनाव तभी जीता जा सकेगा जब लोगों के तरीके शुद्ध होंगे । वही जीत सकेगा जिस का नैतिक स्तर ऊंचा होगा । अगर आप

[श्री स० म० बनर्जी]

समझते हैं कि टाटा जैसे सरमायेदारों के पैसों से आप चुनाव जीत सकते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र और उस प्रजातांत्रिक आधार की जड़ पर, जिस के उसूल पर हमारी सरकार खड़ी है या चुनाव हो रहे हैं, कुठाराघात किया जायेगा। इसलिये इस चीज के बजाय इस चीज को कहा जाय कि यह अमेंडमेंट मान लिया जाय यह ठीक नहीं है। मेरे भाई महन्ती जी आखिर अपने बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्य तथा कारणो के विवरण) में क्या कहते हैं? वह कहते हैं: कि यह विधेयक समवाय अधिनियम १९५६ की धारा २९३ (१) (ङ) का संशोधन करने के उद्देश्य से रखा गया है जिस से ५००० रु० से अधिक चन्दा केवल न्यायालय की अनुमति के बिना न दिया जा सके। हालांकि होना यह चाहिये कि राजनीतिक पार्टियों को पवित्र रखने के लिये, राजनीतिक पार्टियों में पोल्यूशन न हो, राजनीतिक पार्टियां नीचे न गिरें, गिरने से उन को रोकने के लिये, उन को बचाने के लिये नियम बनाया जाए कि देश में पोलिटिकल कंट्रिब्यूशन न हो। और इसलिए ट्रेड यूनियन्स के लिये हम जनता से पैसा लेते हैं, गरीबों से लेते हैं, मेहनतकशों से लेते हैं, उन लोगों से लेते हैं जिन से कि लेना चाहिये। एक-एक रुपया, एक-एक आना और एक एक पैसा तक कर के और उनके सामने झोलियां फैला कर लेते हैं। लेकिन आखिर क्या बात है कि सरमायेदारों ने आज साढ़े दस लाख रुपया दे दिया चुनाव में? बात यह है कि उस के एवज में उन्हों ने दस करोड़ रुपया लिया, जैसा हमारे भाई महन्ती जी ने रक्खा कि उस पर कोई सूद न हो। दूसरी तरफ तकावी सवा छः परसेन्ट के हिसाब से बांटी जाय। जहां गरीब किसानों बस्तियां उजड़ चुकी हैं खेती नष्ट हो चुकी है, वह परेशान हैं, हाहाकार कर रहे हैं, वहां पर आखिर सवा छः परसेन्ट के हिसाब से क्यों लिया जाय? मैं कहता हूं कि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिये, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिये या नैतिक दृष्टिकोण से देखिये और आप खुद फैसला कीजिये कि क्या यह जायज होगा? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि साढ़े दस साल रुपया दे कर टाटा कम्पनी ने किस तरह से टाटा नगर में मजदूर आन्दोलन को कुचला गया है। शक्तिशाली सेन्ट्रल गवर्नमेंट और शक्तिशाली बिहार गवर्नमेंट दोनों खड़ी रह गई। मोहताज थीं टाटा कम्पनी की जब मजदूरों पर गोलियां चलीं, जब वहां लाठी चार्ज हुआ। ७०० लोगों पर मुकदमे चलाये गये और सब लोग इस तरीके से देखते रहे क्योंकि बेचारे समझते थे कि यह जो दस लाख रुपया दिया गया उस में तकरीबन ६ लाख रु० आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दिया गया, ३ लाख रु० बिहार कांग्रेस कमेटी को दिया गया और १ लाख रु० हमारी उड़ीसा कांग्रेस कमेटी को दिया गया। आखिर वह क्या कहते? मैं समझता हूं कि चाहे राजनीतिक जिन्दगी में हो चाहे सामाजिक जिन्दगी में या आर्थिक जिन्दगी में, चाहे रूलिंग पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, कुछ रुपया देने के बाद वह लोग हमेशा चाहते हैं कि उन को खरीद लिया जाय ताकि सत्ता की बागडोर उन के हाथों में रहे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज को कम से कम मान लिया जाये। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पूज्य दोस्त लाल बहादुर जी का नाम इस में लूं। मेरे भाई रणवीर सिंह जी ने बार बार उन को बचाने की कोशिश की और यह कहने की कोशिश की लाल बहादुर जी हमेशा चुनाव लड़ाते हैं, उन के हाथों में बागडोर रहती है। वह भी क्या करें। हिन्दुस्तान की जमीन ही कुछ ऐसी है मैं ने देखा है कि यहां चार साल, ग्यारह महीने और उन्तीस दिन हमारी रूलिंग पार्टी के पीछे लोग ऐसे दौड़ते हैं जैसे सांप के पीछे इन्सान लाठी ले कर दौड़ते हैं। लेकिन एक दिन वह हमारी नाग पंचमी का देवता बन कर खड़ी हो जाती है और सारे वोट उस में डाल दिय जाते हैं। यह हिन्दुस्तान की परम्परा है, आखिर इस का आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बदलते हुए जमाने को आप देखिये। इस साढ़े दस लाख रुपये के लिए उन्होंने कहा कि दो ही जगह लिया गया है, तीसरी जगह क्या हुआ? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सारे कानपुर से हजारों रुपया चुनाव में

दिया जाता है । लेकिन आप उस को लीगलाइज क्यों करते हैं ? आप डोनेशन लीजिये । २५ हजार रुपया, बैलेंस शीट में अंकित है, जे० के० श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया है । इस में मुझे एतराज नहीं, पर इसे लीगलाइज क्यों किया जाय ? आखिर एक इम्मारल चीज को आप लीगलाइज क्यों करें । यह चीज देश के लिए घातक होगी । अगर हमें चैरिटी करनी है तो जरूर करें, हम किसी चैरिटेबल अस्पताल को दे दें । अगर आप समझते हैं कि कांग्रेस कमेटी चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन (दान लेने वाली संस्था) है तो जरूर चैरिटी की जाय । आप कांग्रेस को भी चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन मान लीजिये । इस का नाम आप आरफेनेज रख लीजिये, विधवा आश्रम रख लीजिये । मुझे आज पिछली कांग्रेस कमेटी की याद आती है । सन् १९४७ के पहले जब लोग गांधी टोपी को देखते थे, जब कांग्रेस वाले देहातों में जाते थे तो कोई नहीं पूछता था कि तुम हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो । कहते थे, आ गया देश सेवक, उस के खद्दर में उस की जिन्दगी का राज छिपा हुआ है, उस की कदम बोसी करते थे, कदम चूमते थे । लेकिन आज क्या है ? सन् १९४७ के पहले वह देश के सेवक थे, सन् १९४७ के वक्त वह देश के शासक हुए और सन् १९५८ में देश के शोषक हुए । इसी से तमाम चीजें हो रही हैं ।

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो वह समाजवाद कैसे बनेगा ? समाजवाद पर कुठाराघात करने वालों से अगर आप रुपया लें तो समाजवाद कैसे बनेगा ? बिरला साहब की रोज की आमदनी करीब ३ लाख रु० है और मामूली सड़कों पर लेटने वाले इन्सान की ८ आ० रोज न हो तो कैसे काम चलेगा ? हम कहते हैं कि इन ३ लाख वालों को आप ३ हजार पर लाइये, तो आप कहते हैं कि हमारा समाजवाद ऐसा नहीं है । ९, १० आदमी आकाश पर बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और ३६ करोड़ आदमी पाताल में हैं । हम कहते हैं कि आखिर इन कैलाश पर बैठने वालों को, आकाश पर बैठने वालों को नीचे उतारो, ऊंचे और नीचे में १/१० का अन्तर करो, तो आप कहते हैं कि हमारा समाजवाद ऐसा है, हम पाताल में इतनी मिट्टी डालेंगे कि वह कैलाश पर्वत बन जाय । लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है ।

(श्री बर्मन पीठासीन हुए)

इस लिए मैं कहूंगा कि आप इस को देखिये । मैं आप के खिलाफ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अगर आप वाकई समाजवाद की तरफ, इश्तराकियत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आज वाकई आप का काफिला ३६ करोड़ लोगों को लेकर समाजवाद की तरफ जाना चाहता है तो समाजवाद के ऊपर कुठाराघात करने वाले जो लोग हैं उन से फायदा उठा कर, उन से रुपया ले कर आप समाजवादी ढंग से नहीं देख सकते हैं । मेरा निवेदन है एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से, एक सच्चे नागरिक की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से कि आखिर हमारी और आप की लड़ाई क्या है ? हम जानते हैं कि हमारी और आप की लड़ाई एक भाई भाई की लड़ाई है । हम पांडव हैं और आप कौरव हैं, राज्य करते हैं । हमें पांच गांव की जरूरत है । हम आप से सिर्फ पांच गांव चाहते हैं । हम चाहते हैं रोजी रोटी--एक गांव, हम चाहते हैं कपड़ा--दूसरा गांव, तीसरा गांव है अस्पताल, चौथा गांव बच्चों की शिक्षा और पांचवां गांव मकान । अगर यह पांच गांव नहीं दिये तो महाभारत की लड़ाई होगी भले ही इस सदन में या कहीं और पर हो । इसलिये कौरव राज, आप से यही कहना है कि हम महाभारत की लड़ाई यहां लड़ेंगे और फिर नार्थ ऐवेन्यू और साउथ ऐवेन्यू में जा कर एक साथ लेटेंगे । हमारी और आप की भाई भाई की लड़ाई है । हमारे पूर्वजों की जो परम्परा रही है उसी के हिसाब से कह रहे हैं कि आप यह रोटी दे नहीं सकेंगे अगर आप रोटी छीनने वालों की मदद लेंगे । इस लिए इस बिल को आप कम से कम इस वजह से डिफैन्ड न करें, जिस तरीके से आज हमारे भाई श्री घोष ने डिफेन्ड

[श्री स० म० बनर्जी]

किया कि यह इम्मारल नहीं है, रांग नहीं है । मैं कहता हूं कि आप इस से अधिक ऊंचे हैं, आप के पीछे इतिहास है जो हमारे पीछे नहीं है, हमारे पीछे कुर्बानी का इतिहास नहीं है, आप के पीछे कुर्बानी का इतिहास भी है, इसलिए अगर नये हिन्दुस्तान के नक्शे के लक्ष्य को, जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी की आंखों के सामने है, आप कामयाब बनाना चाहते हैं तो अमीरों से, सरमायदारों से, बल्कि मैं तो कहता हूं कि शार्क्स हैं, उन से पैसा ले कर आप ऐसा नहीं कर सकते । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गरीबों पर विश्वास करो, विश्वास करो नंगों और भूखों पर जिन से एक एक पैसा ले कर आप फिलहाल चुनाव जीत सकते हैं, करो विश्वास हमारी जनता के ऊपर । अगर जनता और मिनिस्टरों के बीच पुलिस की कतार खड़ी हो जाय तो आप विश्वास मानिये वह चुनाव चुनाव नहीं होगा । अगर रुपये से आप गरीबों की जिन्दगियों को खरीदना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वोटों को खरीदा जाय, तो वह जमाना अब चला जा रहा है । लोगों ने अपने वोट की कीमत पहचान ली है । उन्होंने पहचान लिया है कि सही वोट इस्तेमाल करने से हमारी किस्मत की लकीरें पलट नहीं सकतीं । इसलिए मैं तो चाहता हूं कि टाटा कम्पनी दस करोड़ रु० कांग्रेस को दे ताकि जनता के सामने असली रूप आ जाय । लेकिन मुझे तो ठेस लगती है जब मैं सोचता हूं गांधी के आदर्शों की बात । मुझे ठेस लगती है जब मैं उस पवित्र इन्सान की बात सोचता हूं । मेरे दोस्त इस तरफ से कहते हैं "ज्वाइन दि कांग्रेस पार्टी" । मैं कहता हूं कि आप अपनी पार्टी को सम्भालिये । पंजाब में अभी रामलीला खत्म हुई है, लखनऊ में रामलीला शुरू हो गई है । तुम कोई और बात कर रहे हो दूसरा कोई दूसरी बात कर रहा है । कांग्रेस की इमारत को आज आपस के लोग ढा रहे हैं । उस की छत अगर लोग पंजाब में ले कर भाग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में वे उसे तोड़ रहे हैं । हमारे नेहरू जी पंचशील के सीमेन्ट की बोरी ले कर पलस्तर कर रहे हैं, लेकिन वह रुकेगा नहीं ।

आप विश्वास मानिये कि आज जैसी स्थिति हो रही है उसमें कांग्रेस की इमारत गिरने में देर नहीं । कांग्रेस की सही सिद्धान्तों पर चलाने से ही एक नेशनल यूनिटी कायम हो सकती है और राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है और राष्ट्रीय आधार पर चल कर और सही सिद्धान्तों को अपना कर ही हम इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को कामयाब बना सकते हैं । लेकिन यह खेद का विषय है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि श्री महन्ती के बिल के पीछे जो स्प्रिट काम कर रही है और जो उस में तत्व हैं कि वे राजा महाराजाओं की तरफ़ जांय, तो आप देखें कि वाक़ई में इस बिल में क्या है ? इसके बाद आप सोचें कि यह रुपया लेने से जो रुपया देने वाले हैं वे क्या खुश होंगे और उससे आपका नैतिक स्तर गिरेगा या उठेगा, इसके बारे में आप विचार करें ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । विधेयक में कहा गया है कि कोई समिति समवाय किसी चुनाव कोष में ५००० रु० से अधिक चन्दा नहीं दे सकती है और इस प्रयोजन के लिए भी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी । अनुमति मिलने के ६० दिन के भीतर यह राशि प्रदान कर देनी चाहिए ।

मेरे विचार से यह विधेयक बहुत आवश्यक है । इस से हम लोकतंत्र की शुद्धता बनाये रख सकते हैं । और जनता के सामान्य वर्ग का सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है । आज हमारे देश में सच्चा लोकतंत्र नहीं है । यही कारण है कि यद्यपि हमारी जनसंख्या में ८० प्रतिशत से ऊपर लोग हैं तथापि संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत कम लोग हैं अधिकांश सदस्य धनी मानी राजा या नवाब हैं जो पैसे के बल पर चुनाव जीत कर आये हैं यही कारण है कि सभा में किसानों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और न उनकी बातें सुनी जाती हैं ।

हम ने किसानों की अधिकतम आय निश्चित कर दी है भूमि की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर रहे हैं लेकिन हम ने अन्य लोगों की आय को सीमित करने या उनकी सम्पत्ति के परिमाण को निश्चित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। यह केवल किसानों के प्रति उपेक्षा के कारण ही हुआ है।

वस्तुतः देश के प्रशासन में पूंजीपतियों का बड़ा प्रभाव है। ये लोग राजनैतिक दलों को मोटी रकमें देते हैं जिससे मंत्रियों तक सांठगांठ हो सके और इस प्रकार अपना लाभ हो। लोकतंत्र का दम भरने वाली सब से बड़ी संस्था कांग्रेस वस्तुतः पूंजीपतियों की संस्था है। वे लोग इस दल को मोटी मोटी रकमें चन्दे के रूप में देते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो। कुछ लोग साम्यवादियों को भी चन्दा देते हैं जिससे वे लोग बखेड़े खड़े न करें। इस प्रकार लोकतंत्र का उपहास किया जाता है अतः यह अनिवार्य है कि कोई भी समिति समवाय या समभागिता अधिनियम के अधीन पंजीयित कोई भी समवाय किसी राजनैतिक दल को धन न दे सके। यह लोकतंत्र की शुद्धता बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे यह सुन कर दुख हुआ है कि सदस्यों ने इस विधेयक के गुणों व अवगुणों के सम्बन्ध में ही नहीं कहा अपितु इसी प्रसंग में वे कांग्रेस संस्था को भी घसीट लाये हैं और उसकी अच्छाइयों तथा बुराइयों की चर्चा करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का अधःपतन हो रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस आज भी उतनी ही ठोस और सुदृढ़ है जितनी कि पहिले थी यहां वहां थोड़ा दान स्वीकार करने से कांग्रेस के आदेश में कोई परिवतन नहीं आ सकता है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस समाजवादी ढांचे के समाज के आदेश के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। यह कहना गलत है कि हमने, सम्पत्ति विधेयक, व्यय-कर विधेयक तथा अतिरिक्त लाभ कर विधेयक जैसे विधेयक पारित किये हैं जिनसे हम पूंजीपतियों की सम्पत्ति का एक बड़ा अंश ग्रहण कर सकते हैं और इस प्रकार समाज में समता ला सकते हैं। विरोधी पक्ष के लोग केवल बातें ही बनाना चाहते हैं वस्तुतः इस सम्बन्ध में यदि कोई पक्ष ठोस कार्य करने का दावा कर सकता है तो वह कांग्रेस ही है। वस्तुतः बातें बनाना जितना सरल होता है, कोई ठोस कार्य करना उससे कहीं कठिन होता है हमने अब खाद्यान्नों का व्यापार भी राज्यव्यापार निगम को सौंप दिया है, क्या यह समाजवादी समाज की स्थापना की ओर एक कदम नहीं है।

श्री महन्ती ने यह उपबन्ध रखा है कि दान ५००० रु० तक का ही होना चाहिये। यदि वे यह प्रस्ताव रखते कि किसी भी उपक्रम को दान देने की अनुमति न हो तब मैं अवश्य इस विधेयक का समर्थन करता और यह बात पूणतः न्यायोचित होती लेकिन एक प्रकार की सीमा बांध देने से तो यह ज्ञात होता है कि श्री महन्ती यह चाहते हैं कि अन्य राजनैतिक दलों को भी थोड़ा बहुत धन मिलता रहे। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं।

इसके अलावा भी यह विधेयक पिछड़े हुए प्रकार का है जो समय की मांग पूरी नहीं करता है स्वतन्त्र भारत में राजनैतिक दलों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। उन्हें समाज कल्याण सम्बन्धी अनेक कार्य करने होते हैं जिनके लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है अतः उनके लिये दान स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है।

इसके अलावा दान अब कई प्रकार का हो गया है। यथा श्रमदान बुद्धिदान इत्यादि तब इन दानों का मूल्य भी पैसों से आंका जायेगा।

अतः मैं विधेयक को समय के अनुरूप नहीं समझता हूं और मेरे विचार से यह भारत की स्थिति के अनुरूप नहीं है अतः मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ईश्वर अय्यर (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार लोक सीमित समवायों के द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने की प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी जाय क्योंकि वस्तुतः यह एक बुराई है जो किसी प्रकार हमारे समाज में व्याप्त हो गई है अतः उसका जितने शीघ्र मूलोच्छेद किया जाय उतना ही अच्छा है। यदि इस प्रश्न पर हम बौद्धिक दृष्टिकोण से सोचें तो भी हम देखेंगे कि लोक सीमित समवायों द्वारा किसी एक राजनैतिक पार्टी को चन्दे के रूप में रुपया देना अच्छा नहीं है। लोक सीमित समवाय में कई अंशधारी होते हैं सम्भव है उनमें से बहुमत एक विशेष राजनैतिक दल की ओर झुका हो तथापि अल्प संख्यक अंशधारी उस विशेष दल के विरुद्ध भी हो सकते हैं उनका रुपया भी उनके इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष राजनैतिक दल को देना अनुचित है।

इस प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि समवाय राजनैतिक दलों को, विशेषतः शासन करने वाले राजनैतिक दल को क्यों चन्दा देते हैं। स्पष्ट है कि वे उनकी शुभेच्छायें या सहारा चाहते हैं जिससे उन्हें अनुज्ञप्तियां, परमिट या ऋण इत्यादि सरलता से मिल सकें। और इस प्रकार उनका लाभ हो। वस्तुतः यह एक प्रकार की घूस है जिससे शासकवर्ग का कृपादृष्टि प्राप्त की जाती है। अतः यह त्याज्य है। इसे बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये क्योंकि इससे लोक तन्त्र कलुषित होता है और दो व्यक्तियों के प्रति विभेद पैदा होता है। यदि सरकार एक व्यापारी को परमिट या अनुज्ञप्तियां देती है तो दूसरे लोगों को यह कहने का अवसर मिलता है कि अमुक व्यक्ति को यह लाभ इसी कारण प्राप्त हुआ कि उसने अमुक राजनैतिक दल को पर्याप्त चन्दा दिया था।

अतः हमें इस अनुचित प्रथा को पूर्णतः बन्द करना चाहिये। क्योंकि कोई ऐसा विधेयक अभी तक नहीं लाया जा सका है जिससे इस कुप्रथा पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लग सके, इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू जिससे ५००० रु० की सीमा तक इस बुराई पर रोक लगती है।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, हमारे मित्र सुरेन्द्र महन्ती जी ने कम्पनीज़ एक्ट में संशोधन करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन में काफ़ी समय से इस सम्बन्ध में चर्चा हो रही है और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं इस बिल में महन्ती जी ने जो सिद्धान्त पेश किया है, वह सचमुच विचारणीय है। इस बिल को लाने का सबसे बड़ा श्रेय कलकत्ता हाईकोर्ट और बम्बई हाईकोर्ट को है। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो निर्णय दिए हैं, उनकी प्रतिक्रियास्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि जब टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के डायरेक्टर्ज़ ने कांग्रेस पार्टी को एक लम्बा चौड़ा लाखों रुपयों का——चन्दा दिया और उस के फलस्वरूप कम्पनी के शेयर होल्डर्ज़ ने डायरेक्टर्ज़ के खिलाफ़ एक मकदमा दायर किया तो उस पर उस वक्त के न्यायमूर्ति श्री छागला ने जो जजमेंट दिया था, मैंने उस को पढ़ा——मैं उस समय जेल में था—और मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय सदस्यों ने भी उस को पढ़ा होगा। सचमुच में वह निर्णय आंखें खोल देने वाला था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लोक सभा को आह्वान किया कि अब समय आ गया है, जबकि इस देश की सर्वोच्च लोक-सभा को एक कानून, एक नियम बनाना चाहिए, जिसके अनुसार उन बड़े बड़े लोगों, उन पूंजीपतियों उन लिमिटिड कनसर्न्ज़ पर कुछ अंकुश लगाया जा सके, जो राजनीतिक पार्टियों को लाखों रुपए चन्दे की शक्ल में देकर उन के चरित्र को भ्रष्ट करते जा रहे हैं। पूंजीपतियों का——चाहे वे इस देश के हों या संसार के किसी अन्य भाग के——तो एक ही उद्देश्य, एक ही धर्म और एक ही काम है और वह यह कि अपने पैसे के बल पर अपने देश की राजनैतिक पार्टियों के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाय और उन पार्टियों को और उन व्यक्तियों को, जो कि देश के कर्णधार माने जाते हैं, पैसा देकर——एक प्रकार से उन को अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देकर समाज को भ्रष्ट किया जाय और अपने वर्ग विशेष के हितों को सदा के लिए सुरक्षित रखा जाय और इस हेतु अपने अनुकूल कानून और नियम बनवाए जायें। न्यायमूर्ति

के शब्द अब भी मुझे याद है कि अगर देश में जनतन्त्र को सुरक्षित रखना है, अगर हम सचमुच चाहते हैं कि देश के उन करोड़ों मतदाताओं की ध्वनि, जिन के पास पैसा और अन्य साधन नहीं हैं, लोक सभा में प्रसारित हो, उन की सही आवाज़ वहां पहुंचे, उन के हित के लिए कानून बनाए जायें, तो निश्चित रूप से अब वह समय आ गया है जबकि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन पूंजीपतियों द्वारा संचालित कम्पनियां और संस्थान राजनीतिक पार्टियों को चन्दा न दे सकें। उन्होंने कहा कि चूंकि कम्पनीज़ एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिये हमें खेद के साथ उनकी अपील अस्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन इस प्रकार का नियम अवश्य बनाया जाना चाहिये। मुझे विश्वास था कि सरकार कम्पनीज़ एक्ट में इस प्रकार का कोई नियम बनायगी, लेकिन ऐसा न होकर विरोधी पक्ष की ओर से आज यह विधेयक रखा गया है, जो कि हर दृष्टि से उचित है।

महन्ती साहब ने अपने संशोधन में कहा है कि कोई भी चन्दा, जो लिमिटिड फर्म की ओर से किसी राजनीतिक पार्टी को दिया जाय, या जो रुपया चैरिटी के नाम पर दिया जाय, वह पांच हजार से ज्यादा न हो और उसकी स्वकृति प्रथम किसी कोर्ट से ली जाय। इस संशोधन से इस प्रकार से रुपया देने पर कानूनी बन्दिश हो जाती है। कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी से इसका सम्बन्ध नहीं है। सीधा और मोटा सवाल है कि इस के द्वारा किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को मौका नहीं मिलेगा कि वह किसी लिमिटिड कनर्सन से चन्दे के रूप में लाखों रुपये ले सकें और न ही लिमिटिड कनर्सज़ को ही इस बात का मौका मिलेगा कि अपने स्वार्थ के लिये चन्दे के नाम पर इस प्रकार से पूंजी लगा सकें। देश की राजनीतिक पार्टियों को स्वतः चाहिए कि वे इस प्रकार चन्दा न लें। हम सब को स्मरण होगा कि जब कांग्रेस पार्टी शासन में नहीं थी, तो वह किस प्रकार से चुनाव लड़ती थी। वह जिन ग़रीबों का वोट लेती थी, उन्हीं से धन लेती थी——उन्हीं से दो दो पैसे लेकर चुनाव लड़ती थी। १९४७ से पहले कांग्रेस पार्टी गरीबों से ही पैसा लेती थी और उन्हीं की सच्ची ध्वनि को प्रसारित करती थी।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली——रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अब भी तो वह गरीबों का वोट लेती है।

श्री जगदीश अवस्थी : वोट तो गरीबों का लेती है, लेकिन पैसा बड़े आदमियों का लेती है और ये बड़े आदमी——ये टाटा और बिड़ला——उस को जो चन्दा देते हैं, वह इस लिए नहीं कि उनको उसके संगठन का ख्याल है, या जनहित का ख्याल है, बल्कि वे चुनाव के मौके पर चन्दा इसलिए देते है कि कांग्रेस पार्टी जब चुन कर शासन में पहुंचेगी, तो स्वभावतः उन के हितों का ख्याल करेगी। कहावत है कि जिसकी खायेंगे उसकी बजायेंगे। अगर हम लोग उन धनपतियों का पैसा लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा, हमारे मन हमारे विचार और हमारे तौर-तरीके उन की ओर जायेंगे और ऐसा हो रहा है। पूंजीपति जब चन्दे के नाम पर रुपया देते हैं तो वे एक प्रकार से उधार पैसा देते है और वे समझते हैं कि जब ये लोग चुनकर शासनारूढ़ होंगे तो इसपैसे के बदले हमको बहुत कुछ लाभ पहुंचायगे और इस देश में यही हो रहा है। क्या वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी देश में इतनी लोकप्रिय थी शासन में आने के बाद आज उसकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। आज स्थिति यह है कि लाखों रुपए सेंट्रल फण्ड में इकट्ठे होते हैं और कांग्रेस पार्टी के जिन उम्मीदवारों के पास पैसा नहीं होता है, उनको तीन, चार, पांच हज़ार रुपए दिये जाते हैं और इस प्रकार विरोधी पक्ष के ग़रीब लोगों को असमर्थ कर दिया जाता है कि वे चुनाव में खड़े हो सके। इसलिये कांग्रेस पार्टी और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। अब वह समय नहीं है कि वह पैसा ले लेकर चुनाव जीत सक। एक बार हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने स्वतः कहा था कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को वह स्थिति खत्म कर देनी चाहिए जबकि वह लम्बे लम्बे चन्दे लेकर, बड़ी बड़ी जीपें दिखा कर चुनाव जीत लेती है। लेकिन दुख होता है कि एक ओर प्रधान मन्त्री महोदय ऐसे भाषण देते हैं और स्वयं उन की पार्टी इतने लोगों का चन्दा

[श्री जगदीश अवस्थी]

लेती है। इससे यह स्पष्ट है कि करनी और कथनी में कितना अन्तर हो गया है। जिन के हाथ में मत है, अगर उनका पैसा लिया जाय और उन के बीच में काम किया जाय, तो वह ठीक है। मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक गरीब अध्यापक था। मैंने लोक सभा के लिये चुनाव लड़ा और उस चुनाव के लिये सिक्योरिटी जमा करवाने के लिये मैंने पांच सौ रुपया अपने प्रिंसिपल से उधार लिया और ७५ रुपये एक एक पैसा करके गरीब लोगों से लिया और उनका वोट लेकर मैं चुनाव जीता। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि आप आम जनता की पार्टी बनें। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मतदाताओं का विश्वास आप पर रहे, उनका विश्वास न उठे तो मेरी यह निश्चित राय है कि आप पैसे के बगैर भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिये पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना पैसे के भी विजयी हो सकते हैं। जब एक ऐसे पार्टी या ऐसे प्रतिनिधि जो गरीब जनता का मत और गरीब जनता से धन लेकर जीत कर आते हैं उनका असर जनता पर बहुत पड़ता है और वे जनता को अपने साथ ब बनाये रख सकते हैं।

आप समाजवाद की बात करते हैं, जनतन्त्र की बात करते हैं। लेकिन आम जनता का मत लेकर और धनियों से धन लेकर मैं समझता हूं एक प्रकार का भ्रम जनता में फैलाया जाता है और एक प्रकार का भुलावा जनता को दिया जाता है। मैं समझता हूं कि देश के अन्दर यह एक बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है और इस पाप के पंक में से मैं समझता हूं जितनी जल्दी यह कांग्रेस पार्टी अपने आप को निकाल ले उतना ही अच्छा होगा।

मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आज जनता चुप नहीं बैठी रह सकती है। आप इस भ्रम में न रहें कि यहां की जनता अशिक्षित है और वह किसी चीज को समझती नहीं है। वह धीरे धीरे पार्टियों को समझती जा रही है, व्यक्तियों के चरित्र को समझती जा रही है। देश की जनता बहुत ही सेंटीमेंटल होती जाती है। वह प्यार भी करती है और दुतकारती भी है। यही कांग्रेस पार्टी है जिस को जनता प्यार करती थी और आज भी यही पार्टी है जिस को जनता प्यार नहीं करती है। अगर जनता इस पार्टी को प्यार करती होती तो विरोधी पक्ष के लोग कैसे यहां आ सकते थे।

इस बिल के अन्दर जो बात कही गई है उस में कोई ऐसी बात नहीं है जिस में किसी की पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो या किसी के इस के विरुद्ध होने की बात हो। लेकिन यह जो चन्दा लेने की बात उठाई गई है वह बहुत सामयिक है। इस में कोई शक नहीं है कि इस देश के अन्दर राजनीतिक पार्टियां पैसे के बगैर नहीं चल सकती हैं और व चन्दे लेती भी हैं। लेकिन जो चन्दा व लें वह उन को सामान्य जनता से लेना चाहिये। जैसा कि गांधी जी किया करते थे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी चलती थी और आज भी उसी तरह से काम कर सकती है। लेकिन आज आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप गांधी जी द्वारा बताये हुए रास्ते पर चलें —

एक माननीय सदस्य : गांधी जी भी बिड़ला से चन्दा लिया करते थे।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं मानता हूं कि वे उन से लेते थे। उन में महान शक्ति थी। उन को कोई प्रभावित नहीं कर सकता था। लेकिन आज देश के अन्दर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि बड़े आदमियों से चन्दे ले कर आप जनता के दिलों में अपनी पार्टी के प्रति सन्देह नहीं कर रहे हैं। जनता में सन्देह पैदा होता जा रहा है, यह आज स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि सचमुच राजनीतिक पार्टियों के प्रति जनता की आस्था बनी रहे, सरकार के प्रति जनता की आस्था उत्पन्न हो, तो यह मेरी निश्चित राय है कि शासकीय दल को आगे आना होगा और पहल करनी होगी और इस चीज पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी कम्पनियों से चन्दा न ले, इस के बारे में हमें कानन बनाना होगा।

श्री दी० चं० शर्मा ने कहा कि चन्दा लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये । मैं उन से इस बात में सहमत हूं और मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो कहेगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह से चन्दा नहीं लेना चाहिये । अगर आप राजनीतिक पार्टियों को जिन्दा रखना चाहते हैं, लोगों की आस्था राजनीतिक पार्टियों में बनाये रखना चाहते हैं—वे राजनीतिक पार्टियां जो कि जनतन्त्र के लिये बहुत आवश्यक हैं जिन का महत्व दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जायेगा अगर हमें जनतन्त्र को विकसित करना है, तो इस सदन को इस तरह के नियम बनाने ही होंगे एक न एक दिन । अगर हम चाहते हैं कि लोगों का चरित्र ऊंचा हो तो उस को ऊंचा करने के लिये इस तरह की व्यवस्था आप को करनी ही होगी । आप को जो पार्टियों की वार्षिक आय व्यय होती है, उस का लेखा जोखा करना होगा और उन के एकाउंट्स को चैक करवाना होगा । जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तथा जो शासकी पार्टी है उन सब के लिये यह व्यवस्था करनी होगी । शासकीय पार्टियों के पास लाखों रुपया सेन्ट्रल फंड के रूप में पड़ा हुआ है और पड़ा रहता है । आज कोई एकाउन्ट नहीं रखा जाता है कि कितना रुपया कहां से से आया और कितना रुपया कहां व्यय हुआ । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उनके पैसे की, उनकी आय की उन के व्यय की जांच हर साल होती रहनी चाहिये ताकि लोग समझ सकें कि कहां से उन के पास धन आता है और कहां उन का धन व्यय होता है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संशोधन महन्ती साहब ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही सामयिक है, और निश्चित रूप से आज इस सदन को बिना किसी भेदभाव के इस को स्वीकार कर लेना चाहिये और हम को आज जनता को यह दिखा देना चाहिये कि हम पार्टी-बन्दी से ऊपर उठ कर इस काम को करना चाहते हैं और हम जो जनता के प्रतिनिधि बन कर बैठे हुए हैं, वे वास्तव में जनता के ही प्रतिनिधि हैं न कि किसी वर्ग विशेष के ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस को स्वीकार करे ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : (कोरापट) : श्री महन्ती चाहते हैं कि सार्वजनिक समवाय राजनीतिक दलों को चन्दा न दे सकें, और राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों की सीमा ५,००० रुपयों तक ही निश्चित कर दी जाये ।

श्री महन्ती राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों पर पूरी तौर से प्रतिबन्ध इसलिये नहीं चाहते कि राजनीतिक दल चन्दों से ही चलते हैं । फिर भी वह नहीं चाहते कि यह चन्दा इतना अधिक हो कि किसी दल की ओर से चुना जाने वाला व्यक्ति किसी एक नीति पर ही चलने के लिये विवश हो फिर चाहे वह नीति लोकहित के विरुद्ध ही क्यों न हो । मैं इस विधेयक के सिद्धान्त को सही नहीं समझता । ५,००० रुपयों तक के चन्दे को भी क्यों नैतिक माना जाये ?

इंगलैंड लोकतन्त्रवाद का जन्मदाता है, फिर भी इंगलैंड में भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। राष्ट्रमंडलीय देशों में कहीं भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसे प्रतिबन्ध की कोई भी आवश्यकता नहीं है । यदि कोई समवाय या कोई कार्मिक संघ किसी राजनीतिक दल को चन्दा भी देता है तो उस से सरकारी नीति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । कांग्रेस दल को सार्वजनिक समवायों से काफी चन्दे मिले हैं, लेकिन फिर भी उस की औद्योगिक नीति पर उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति पर भी उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

मैं तो यहां तक कहता हूं कि अपनी ही इच्छा से राजनीतिक दलों को जो भी व्यक्ति चन्दा देता है, वह लोकतन्त्र को बढ़ावा देता है । यदि किसी दल के घोषणापत्र से किसी व्यक्ति या किसी समवाय को सहमति है तो वह उसे चन्दा दे सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

अमरीका में सार्वजनिक समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये दो अधिनियम हैं, लेकिन उन का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। 'एण्टी लोबिइंग एक्ट' में विधान है कि ५०० डालर या इस से अधिक के चन्दों की सूचना सभा के क्लर्क को दी जानी चाहिये, अन्यथा उस पर दण्ड दिया जा सकता है। दूसरा अधिनियम है '१९५८ का फैडरल करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट' जिस का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। और कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं है।

यदि श्री महन्ती राजनीतिक आचार विचारों की कोई संहिता पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे चन्दों पर पूरी तौर से प्रतिबन्ध लगाने की बात कहनी चाहिये। फिर वह, ५००० रुपये तक के चन्दों को उचित और नैतिक क्यों मानते हैं ?

समवाय अधिनियम संशोधन समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। उसने पृष्ठ ११ पर कहा है कि आज स्थिति यह है कि यदि किसी समवाय का निदेशक-बोर्ड चाहे तो वह, अपने समवाय के सभी हितों को देखते हुए, किसी भी राजनीतिक दल को २५,००० रुपये तक या अपने वार्षिक शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत तक इनमें से जो भी अधिक हो, चन्दे के रूप में दे सकता है। सार्वजनिक या निजी समवाय की सामान्य बैठक करके इससे अधिक राशि का चन्दा भी दिया जा सकता है।

श्री ईश्वर अय्यर ने सुझाव दिया था कि निहित सीमा से अधिक राशि के चन्दे के लिये शेयर होल्डरों की सामान्य बैठक बुलाई जानी चाहिये, क्योंकि हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर समवाय के निदेशकों के राजनीतिक दृष्टिकोण से सहमत न हों।

हमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता कि किसी समवाय ने चन्दा दे कर सरकार से कोई अनुचित लाभ उठा पाया हो।

समवाय अधिनियम संशोधन समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि आगे से जब भी ऐसे चन्दे दिये जायें, समवायों को उस चन्दे को उसी समय अपने लेखे में दर्ज करना चाहिये। इसलिये, मैं समझता हूं कि ऐसे चन्दों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग सर्वथा अनुचित है। और इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाना चाहिये।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : इस सभा में यह प्रश्न दूसरी बार उठाया गया है। कुछ महीने पहले श्री नौशीर भरूचा ने इसी विषय को ले कर एक और विधेयक प्रस्तुत किया था, जिस पर पूरी तौर से चर्चा हुई थी। श्री महन्ती शायद इसे न मानें, पर दोनों विधयकों के उद्देश्य तथा कारणों के विवरणों में कुछ वाक्य भी बिल्कुल एक ही हैं। जो भी हो, लेकिन इन दोनों विधेयकों पर जो भी चर्चा हुई है उस से पता चलता है कि इस विषय पर चर्चा के बहाने सरकार पर कीचड़ उछालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। देश की जनता में यह भावना फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे सरकार ने अपना हित साधने के लिये ही विधि बनाई है।

स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। १९१३ के समवाय अधिनियम में ऐसे किसी भी प्रतिबन्ध की व्यवस्था नहीं थी कि समवाय राजनीतिक दलों को कोई चन्दा नहीं दे सकते। लेकिन अब कुछ तरह बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पहले कोई व्यवस्था थी जिसे अब सरकार ने वर्तमान अधिनियम में अधिक उदार बना दिया है। जब कि सभी चीज यही है कि वर्तमान अधिनियम में पहली बार धारा २९३ रखी गई है, जो सार्वजानकि समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों को सीमित करने के लिये है। सरकार ने उस की सीमा कुछ कम ही रखी थी। लेकिन संयुक्त समिति ने उसे बढ़ा

†मूल अंग्रेजी में

दिया है। सच तो यह है कि समावाय अधिनियम में पहली बार ही इन नये प्रतिबन्धों की व्यवस्था की गई है ।

बम्बई और कलकत्ता उच्चन्यायालयों के जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है, उन को थोड़ा गलत ढ़ंग से पेश किया गया है उन की पृष्ठभूमि से अलग। समवाय अधिनियम की धारा १७ के अनुसार यदि कोई समवाय अपनी संस्था के नियमों में संशोधन करना चाहती है तो उसे उच्च-न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी । इसी धारा के अन्तर्गत, कलकत्ता और बम्बई के दो समवायों ने उच्चन्यायालयों की शरण ली थी कि उन्हें अपनी संस्था के नियमों में यह व्यवस्था करने की अनुमति दी जाये कि वे पूर्त संस्थाओं या राजनीतिक दलों को दान दे सकें ।

उच्चन्यायालयों ने उन के प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी थी । कलकत्ता उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश मुकर्जी ने, इस विषय की चर्चा के सिलसिले में कहा था कि इस बात का पूरी तौर से प्रचार होना चाहिये सभी को अच्छी तरह बताया जाना चाहिये कि समवाय अपने उद्योग के हित में और अपने शेयर-होल्डरों के हित में ही राजनीतिक दलों को चन्दा दे रहा है । ऐसी अदायगियों को जरा सा भी गुप्त नहीं रहना चाहिये । मेरा तो ख्याल है कि उच्चन्यायालय ने निष्कर्ष यही निकाला था कि ऐसा चन्दा सार्वजनिक रूप से ही दिया जाना चाहिये । उन को गुप्त नहीं रहना चाहिये ।

इसी तरह, बम्बई उच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों में भी कुछ और ही कहा गया था, जिसे माननीय आलोचकों ने सामने नहीं रखा है। न्यायाधीश तेन्दुलकर ने अपने निर्णय में कहा था कि वह यह मानने को तैयार नहीं हैं कि दान या चन्दा दे कर राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलाया जा सकता है ।

बम्बई उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के एक दूसरे निर्णय में, न्यायाधीश छागला और देसाई ने अन्त में यही कहा था कि इस सम्बन्ध में संसद् कम से कम यही कर सकती है कि किसी भी बड़ी राशि के दान के लिये न्यायालय की अनुमति की अपेक्षा की व्यवस्था कर दे ।

मद्रास उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश, श्री विश्वनाथ शास्त्री के सभापतित्व में एक समिति ने समवाय अधिनियम के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है । उस का मंशा था नये अधिनियम के पारण के बाद प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर संशोधनों के सुझाव देना। श्री विश्वनाथ शास्त्री को यह मामला भी सौंपा गया था । उन का कहना है कि जब भी ऐसे चन्दे दिये जायें, उन को गुप्त न रहने दिया जाये । हर ऐसे चन्दे को लेखे में दर्ज किया जाये और उसे अगली सामान्य वार्षिक बैठक से पहले सदस्यों में परिचालित किया जाय, जिस से कि सभी सदस्यगण भविष्य के लिये निदेशकों को अपनी राय बता सकें। श्री विश्वनाथ शास्त्री की राय श्री मुकर्जी और श्री तेन्दुलकर से मिलती जुलती है। उन के विचार से न्यायालयों को यह दायित्व नहीं दिया जाना चाहिये कि वे राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों के गुण दोषों के बारे में निर्णय करें।

श्री शास्त्री की यह सिफारिश सभा पटल पर रख दी गई है । उन की सिफारिश यही है कि हर समवाय को अपने चालू वर्ष के लेखे में ऐसे चन्दों का पूरा विवरण दर्ज करना चाहिये, कि चन्दा कितना और किसे दिया गया था ।

यह सिफारिश सरकार के पास है और हम शीघ्र ही समवाय विधि के व्यापक संशोधन विधेयक में उपयुक्त संशोधन सम्मिलित करने की सोच रहे हैं ।

श्री महन्ती ने अमरीकी विधि का हवाला दिया था । लेकिन वह अमरीकी विधि तो समवाय विधि नहीं है । उन्होंने अमरीकन लोबिइंग विधि का हवाला दिया था ।

[श्री सतीश चन्द्र]

लेकिन समवाय विधि का संशोधन तो अमरीकी विधि से सर्वथा भिन्न है।

हमारे देश में सभी दलों के चुनाव समवायों से प्राप्त होने वाली निधियों के आधार पर ही लड़े जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि सभी अन्य दलों की अपेक्षा कांग्रेसी उम्मीदवार चुनावों पर कम ही खर्च करते हैं।

इस विधेयक के प्रस्तावक श्री महन्ती एक ऐसे दल के सदस्य हैं जो उड़ीसा के बड़े बड़े भू-स्वामियों और भूतपूर्व शासकों का दल है। वह इस प्रकार का विधेयक रख सकते हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि एक ओर तो वह कहते हैं कि समवायों द्वारा दिये जाने वाले ये चन्दे रिश्वत की तरह हैं, और दूसरी ओर उन का सुझाव है कि इस चन्दे की सीमा २५,००० रुपयों से घटा कर ५,००० रुपये कर दी जाये। ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खातीं। मैं उन की तरफ कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। पर मैं यह जरूर कहुंगा कि यदि वह अपने दल के लेखे की जांच करें तो उन्हें उस में भी ऐसी रिश्वत-खोरी के प्रमाण काफी मिलेंगे। समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों को ही रिश्वतें क्यों कहा जाये? राजा-महाराजाओं के ट्रस्टों द्वारा दिये गये चन्दे क्या इस से भिन्न होते हैं? चन्दा तो कार्मिक संघ भी दे सकते हैं। उन को इकट्ठे करने के भी अच्छे-बुरे, नैतिक-अनैतिक सभी तरीके हो सकते हैं, फिर, केवल समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों पर ही प्रतिबन्ध लगाने की बात क्यों कही जा रही है? अमरीका में तो ठीक है, क्योंकि वहां लोबिइंग एक्ट ने सभी प्रकार के चन्दों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

लेकिन, यहां यह बात समझ में नहीं आती कि केवल समवायों के चन्दों पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। 'टिस्को' समवाय या टाटा से चन्दा लेना क्यों बुरा बताया जाता है। उन से जो भी ले पाता है, चन्दा अवश्य लेता है, इसलिये यह उचित नहीं है कि खुद शीशे के कमल में बैठ कर दूसरों पर पत्थर चलाये जायें।

इसलिये इस मामले के कई पहलू हैं। सभा यदि चाहे तो इस पर एक व्यापक तौर से चर्चा कर सकती है। सरकार विरोधी पक्ष के हर उचित सुझाव पर विचार करने को तैयार है।

हमारे देश के निर्वाचन संसद् द्वारा पारित एक निर्वाचन विधि के अनुसार ही होते है और संसद् ने निर्वाचन व्यय की एक सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब यदि सभा चाहे तो अवश्य ही एक संशोधन कर के प्रत्येक उम्मीदवार के निर्वाचन-व्यय में कमी कर सकती है, उस की एक नई सीमा निर्धारित कर सकती है और सभी दल उस में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन यह कहना तो बड़ा अनुचित है कि केवल कांग्रेस दल ही निर्वाचन पर बहुत अधिक व्यय करता है, केवल कांग्रेस ही इस की दोषी है। यदि सभी दल इस बात पर सहमत हों कि निर्वाचन-व्यय घटा दिया जाय और विभिन्न स्रोतों से चन्दे न लिये जायें, तो कांग्रेस भी उस के लिये तैयार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विरोधी दल का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि हमारी संसद् धनी लोगों की कठपुतली बन जाये। यदि कम्युनिस्ट दल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है और साम्यवादी दल श्रमिकों तथा कृषकों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कांग्रेस भी उन का ही प्रतिनिधित्व करती है। तब फिर निर्वाचन विधि द्वारा विहित सीमायें बनाये रखने से कोई लाभ ही नहीं है। लेकिन यदि संसद् इन सीमाओं को रखना ही उचित समझती है, तो फिर हर दल को उसी ढंग से धन एकत्रित करना पड़ेगा, जैसे कि कांग्रेस करती है।

यह तो एक दूसरी ही बात हुई कि कांग्रेस दल देश में सब से बड़ा राजनीतिक संगठन है और वही सब से अधिक संख्या में उम्मीदवार खड़े करता है, इसलिए वह कुल मिलाकर अधिक व्यय करता

है। विरोधी दल तो, कांग्रेस की तरह, हर राज्य में हर सीट के लिए उम्मीदवार खड़े नहीं करते। इसलिए वे कम व्यय से भी काम चला लेते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रस अपने एक ही उम्मीदवार पर अन्य दलों की अपेक्षा कहीं कम व्यय करती है। इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।

समवाय विधि विधेयक की चर्चा के समय कम्युनिस्ट दल के एक माननीय सदस्य, श्री क० कु० बसु ने एक संशोधन रखा था कि समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों की सीमा ३,००० रुपये निर्धारित की जानी चाहिए और मंत्रियों से सम्बन्धित संस्थाओं को कोई भी दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं रहनी चाहिए।

श्री महन्ती इसे बड़ी बुद्धिमानी का संशोधन कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे दान मिल सकते हैं, शायद उड़ीसा में नहीं क्योंकि उससे बाद में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। श्री बसु दान या चन्दा लेने के सिद्धान्त के विरोधी नहीं थे। इसके बाद, समाजवादी दल के सदस्य, श्री गुरुपादस्वामी ने एक दूसरा संशोधन रखा था कि समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों की सूचना शेयरधारियों को दी जानी चाहिए। बम्बई और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में कहा है कि निदेशक बोर्ड को इसकी सूचना. . . . . .

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)** : क्या कम्युनिस्ट दल ने उस खण्ड के पक्ष में वोट दिया था जिसमें समवायों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति देने की व्यवस्था की गई थी ? माननीय उपमंत्री तो ऐसे कह रहे है जैसे कि कम्मुनिस्ट दल ने सिद्धान्ततः उसका विरोध ही नहीं किया था।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि उस दल के एक सदस्य ने उसके सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। वह चन्दों को सीमित कराना चाहते थे, उन पर पूरा प्रतिबन्ध नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम ने उसका भरपूर विरोध किया था।

माननीय उपमंत्री केवल एक ही संशोधन को उसके संदर्भ से अलग करके पेश कर रहे हैं। इससे उसकी पूरी तसवीर सामने नहीं आती। अध्यक्ष महोदय को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। संशोधनों की कई अवस्थायें होती हैं। सिर्फ़ एक संशोधन को लेकर इस प्रकार एक सामान्य बात कह देना ठीक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या को स्वयं भी बोलने का अवसर मिलेगा। वह यह तो निश्चित नहीं कर सकतीं कि माननीय उपमंत्री किस ढंग से अपने तर्क पेश करें।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी को इस प्रश्न पर ठंडे दिल से, निष्पक्षता से विचार करना चाहिए। इस प्रकार के अनुचित आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें कि दान स्वीकार करने का प्रभाव सरकारी नीति पर भी पड़ता है। ऐसे आरोपों से कोई भी लाभ नहीं होगा। सरकार इस पूरी समस्या पर और इस सम्बन्ध में पेश किये जाने वाले सभी रचनात्मक सुझावों पर विचार करने के लिए तयार है। यह मामला समवाय विधि से कहीं अधिक व्यापक है। जो भी हो, हम समवाय विधि में यह संशोधन करने जा रहे हैं ऐसे सभी चन्दों का पूरा विवरण सार्वजनिक बनाया जाये। दूसरी चीज़ यह है कि यदि सभी दल किसी अन्य व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार हों, तो हम भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : राजनीतिक दलों की निधियों का ब्यौरा भी सार्वजनिक बनाया जाना चाहिए ।

†श्री सतीश चन्द्र : सरकार इस सुझाव पर भी विचार कर सकती है, लेकिन अलग से नहीं इस मामले के सभी पहलुओं के साथ ही । यह एक बड़ा ही व्यापक मामला है । इस के सभी पहलू समवाय विधि की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में नहीं आते । समवाय अधिनियम तो केवल इसके एक ही पहलू से सम्बन्ध रखता है——समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे या दान । यदि सभी राजनीतिक दल अपनी सभी निधियों, अपनी आय और व्यय का विवरण सार्वजनिक रूप से जनता के सामने पेश करने को तैयार हों, तो कांग्रेस भी उसके लिए तैयार हो जायेगी । कांग्रेस तो अपना लेखा नियमित रूप से प्रकाशित करती ही है । वह सारा लेखा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और राज्य कांग्रेस समिति के सामने रखा जाता है । पता नहीं अन्य कौन से दल अपने लेखे इस प्रकार प्रकाशित करते हैं ।

मेरा यही अनुरोध है कि हम इस मामले पर ठंडे दिल से निष्पक्षता के साथ ही विचार करना चाहिए, उत्तेजित होकर नहीं ।

†श्री महताब (ढेंकानाल) : मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव का अन्त क्या होगा मैंने ५,००० रु० की अधिकतम सीमा रखी है उसके बारे में अनेक बातें कही गयी हैं । मैं नहीं समझता कि सरकार इस सम्बन्ध में इतनी अदूरदर्शी क्यों है । जब श्री भरूचा ने राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाने का विधेयक रखा था तो यह आपत्ति की गयी थी कि क्या आप दान के साधनों को समाप्त करना चाहते ह । अब इस विधेयक के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गयी कि आप अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित कर रहे हैं ? यह दान ऐसा है जिसे देने वाला और लेने वाला दोनों भ्रष्ट होते हैं । इस विधेयक का उद्देश्य कांग्रस दल के मार्ग में कोई बाधा डालना नहीं है । इसका उद्देश्य केवल यही है कि राजनतिक दल पवित्र रहे ।

श्री छागला ने भी अपनी आपत्तियों म यही कहा था कि किसी समवाय द्वारा किसी राजनैतिक दल को जब कोई बड़ी राशि दी जाये तो न्यायालय की अनुमति अवश्य ले ली जाये । इसी आधार पर मैंने यह सीमा रखी है कि ५००० से अधिक दान करने पर न्यायालय की अनुमति अवश्य ले ली जाये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले दान को बिल्कुल ही बन्द क्यों न कर दिया जाये । मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न करने वाले कानून नहीं जानते क्योंकि कानून द्वारा इसे बन्द नहीं किया जा सकता । आवश्यक यह है कि इस सम्बन्ध में एक समुचित सीमा निर्धारित कर दी जाये । मैंने टिस्को तथा इस्को के दो उदाहरण दिये थे जिन्ह ९ करोड़ का ऋण बिना ब्याज के दिया गया है । क्यों ? इसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया । मैं इस बात को बुरा नहीं कहता कि व्यापारिक समवाय राजनैतिक दलों को दान न दें पर साथ ही यह ध्यान की बात है कि उस दान के बल पर राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धि न की जाये ।

२४ मई, १९५७ को वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने कहा था कि समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले दान के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा । तब से १८ महीने का समय व्यतीत हो चुका है और तीन न्यायिक निर्णय भी दिये जा चुके हैं । भारत सरकार ने श्री एपलबी को आमंत्रित किया था । उनका भी यही कहना है कि भारत की संसद् में ऐसे बहुत से स्वार्थी तत्व हैं जो मनमाना काम आसानी से करवा लेते हैं । क्या यह बात हमारे लिए शोभनीय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप देखिये कि किसानों आदि से ६$^{1}/_{3}$ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है और इधर टाटा तथा एक अन्य संस्था को ५ करोड़ का बिना ब्याज ऋण दिया गया है । कितनी विचित्र अवस्था है ? इसका कारण यही है कि इन संस्थाओं ने शासक दल को बहुत सा धन दान रूप में दिया है ।

अतः मेरा निवेदन है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा बम्बई उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में जो न्यायिक निर्णय दिये हैं उन्हें सरकार द्वारा अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और अच्छी प्रकार विचार करके कार्य करें । आशा है राजनैतिक दलों की पवित्रता को बनाये रखने के लिए वे अवश्य कुछ करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २५ और विपक्ष में ९३

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक पर चर्चा करने के लिए १९ सितम्बर, १९५८ को सभा द्वारा आवण्टित समय [**देखिये** गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन] २ घंटे से बढ़ा कर ३ घंटे कर दिया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक पर चर्चा करने के लिए १९ सितम्बर, १९५८ को सभा द्वारा आवण्टित समय [**देखिये** गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन] २ घंटे से बढ़ा कर ३ घंटे कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिक्ख गुरुद्वारों के संचालन तथा तत्संबंधी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर ३० मार्च, १९५९ तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में गुरुद्वारों के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं । ये गुरुद्वारे बहुत प्राचीन काल से सिक्ख धर्म के पवित्र स्थान माने जाते रहे हैं । इन में जाति, धर्म तथा रंग आदि का भेदभाव न मान कर मानवता की सेवा की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब सिक्खों के गुरु होते थे उन दिनों इन गुरुद्वारों का प्रबन्ध मसनदों द्वारा किया जाता था। दसवें गुरु तक यही प्रथा थी। शुरू में यह प्रथा ठीक थी बाद में इस में भ्रष्टाचार पैदा हो गया। अतः दसवें गुरु ने मसनद प्रथा का अन्त कर दिया।

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अभी बहुत कुछ कहना चाहते हैं।

†सरदार अ० सिंह सहगल : जी हां।

†अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी करें।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	.	८३३—५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२९१	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये प्रविधिज्ञों की आवश्यकतायें	८३३—३५
२९२	बच्चों का अपहरण . .	८३५—३७
२९३	पंजाब में स्थानीय निकायों के स्कूल .	८३७—३८
२९४	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् .	८३८—४०
२९५	जीवन बीमा निगम को नीति सम्बन्धी निदेश	८४०—४१
२९६	मिट्टी हटाने के उपकरणों का निर्माण .	८४१—४५
२९७	धान की भूसी का उपयोग .	८४५—४६
२९८	जीपों के सौदे सम्बन्धी मुकदमा . .	८४६—४८
२९९	कानपुर में विश्वविद्यालय	८४८—४९
३००	विदेशी मुद्रा विनियम . . .	८५०—५३
३०१	स्टैनलैस स्टील	८५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८५४—८४
तारांकित प्रश्न संख्या		
३०२	निवेली में ताप बिजलीघर . . .	८५४—५५
३०३	विदेशी बैंकों द्वारा भुगतान	८५५
३०४	वाटर प्रूफ मड प्लास्टर	८५५—५६
३०५	जापान से ऋण	८५६
३०६	रूरकेला के लिये पुलिस बल	८५६
३०७	बाल अवकाश गृह	८५६
३०८	इण्डियन स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन कम्पनी की सेवाएं .	८५७
३०९	जीवन बीमा निगम द्वारा मृत्यु दावों का फैसला . .	८५७
३१०	कृत्रिम चावल	८५७—५८
३११	दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय . .	८५८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१२	राज्य विधेयक	८५८
३१३	महा आयुक्त	८५८–५९
३१४	राजहुंडियां (ट्रैज़री बिल)	८५९
३१५	सीमावर्ती विवाद	८५९
३१६	केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड . . .	८५९
३१७	विक्रय में छूट	८६०
३१८	"बांड डिलीवरी"	८६०
३१९	प्रादेशिक सेना	८६०–६१
३२०	'पुष्पक' विमान	८६१
३२१	वायु शीतक यंत्र	८६१
३२२	पुरातत्व संस्था	८६१–६२
३२३	उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण . . .	८६२
३२४	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	८६२–६३
३२५	उत्तर प्रदेश में गंधक और मेगनेशियम के निक्षेप	८६३
३२६	वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प . . .	८६४
३२७	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद . .	८६४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४८०	पुनर्वित्त निगम	८६४–६५
४८१	उड़ीसा के अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां .	८६५
४८२	भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा .	८६५
४८३	मैट्रिक पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . .	८६५–६६
४८४	संघ राज्य क्षेत्रों में मिली जुली बस्तियां	८६६
४८५	उड़ीसा में शिक्षा विकास कार्यक्रम . .	८६६–६७
४८६	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त	८६७
४८७	टेक्नीकल शिक्षा	८६७–६८
४८८	बम्बई का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	८६८
४८९	बम्बई में माध्यमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था . .	८६९
४९०	बम्बई में समाज सेवा कैम्प . . .	८६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

४६१	बम्बई में टैक्नीकल शिक्षा	८६६
४६२	बम्बई राज्य में विज्ञान मन्दिर	८६६
४६३	प्रतिरक्षा सेवाओं में पाकिस्तानी	८७०
४६४	पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी	८७०
४६५	आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि	८७०
४६६	भारत-पाक वित्तीय विवाद	८७०—७१
४६७	तेल के लक्ष्य	८७१
४६८	कोयला संसाधन	८७१—७२
४६६	विज्ञान मंदिर	८७२
५००	सिकंदराबाद में खनन संस्था	८७२
५०१	विदेशों से ऋण	८७३
५०२	वित्त मंत्री की विदेश यात्रा पर हुआ खर्च	८७३
५०३	जापान में भारतीय संस्कृति केन्द्र	८७३
५०४	विदेशी पूंजी विनियोजन	८७३—७४
५०५	राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र	८७४
५०६	विज्ञान मन्दिर	८७४
५०७	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर	८७५
५०८	पूंजी विनियोजन केन्द्र की स्थापना	८७५—७६
५०६	उड़ीसा में चूने के पत्थर के निक्षेप	८७६
५१०	राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी	८७६
५११	रत्नगिरि पहाड़ी पर खुदाई	८७६—७७
५१२	मैसर्ज दी चीफ गैमन को ठेका	८७७
५१३	उच्चन्यायालय में न्यायाधीश	८७७
५१४	सरकारी समितियां	८७८
५१५	त्रिपुरा परिषद् का १६५८—५६ का आयव्ययक	८७८
५१६	अगरताला में सरकारी क्वार्टर	८७६
५१७	कौशाम्बी में प्राप्त वस्तुयें	८७६
५१८	हिमालय पर्वतारोहण संस्था	८७६—८०
५१६	शिक्षा मंत्रालय में कर्मचारी	८८०
५२०	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	८८०—८१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५२१	उड़ीसा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां	८८१
५२२	बम्बई में कोयला	८८१
५२३	भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण . .	८८१
५२४	मनीपुर में स्मारक . . .	८८२
५२५	राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली . .	८८२
५२६	बम्बई को लोहे और इस्पात का संभरण . .	८८२
५२७	अनुसूचित जातियों के लिये मकान . .	८८२–८३
५२८	मानक समिति	८८३
५२९	राजस्थान में चोरी-छिपे लाई पकड़ी गई वस्तुयें .	८८३
५३१	अनुसूचित जातियों के लिये मकान . . .	८८४
५३२	पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	८८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .		८८५
निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—		
(१)	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९७ की एक प्रति ।	
(२)	संस्कृत आयोग, १९५६–५७ के प्रतिवेदन की एक प्रति ।	
अनुपस्थिति की अनुमति . .		८८५
तेरह सदस्यों को लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गयी ।		
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख . .		८८६–८७
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने "अखिल भारतीय पैट्रोलियम कर्मचारी संघ की हड़ताल के बारे में श्रम उपमंत्री द्वारा ९ सितम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर में कथित अशुद्धता का उल्लेख करते हुए एक वक्तव्य दिया ।		
श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने उस के उत्तर में एक वक्तव्य दिया ।		

विषय पृष्ठ

जीवन बीमा निगम को विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव ८८७—९९

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने भारत के जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में २५ अगस्त, १९५८ को दिये गये अपने वक्तव्य पर चर्चा उठाई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ८९९

तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित ९००—०३

निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये—

(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन) ।

(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन) ।

(३) श्री अ० भ० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक ।

(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन और नई धारा ४७-क, ४७-ख और ४७-ग का रखा जाना) ।

(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८ और ८५ आदि का संशोधन) ।

(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधम) ।

(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधयक (धारा ८ का संशोधन) ।

(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक ।

(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३-क और २५० का रखा जाना और धारा २३४, २३७ आदि का संशोधन) ।

(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया ९०३

श्री अब्दुल सलाम का मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक लोक-सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत . ९०३—२१

श्री महन्ती के समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा २९३ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। चर्चा के पश्चात् प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ, पक्ष में २५, विपक्ष में ९३ ; तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव—विचाराधीन ९२१—२२

सरदार अ० सिं० सहगल ने प्रस्ताव किया कि सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक पर ३० मार्च, १९५९ तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा समवाय अधिनियम के कार्य संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।